खण्ड-239, अंक-10
मंगलवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(5 मार्च, 1963 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 239 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	६८१–६८५
प्रश्नोत्तर	६८५–७१३
श्री नेकराम शर्मा द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण	७१३–७१४
विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	७१४
नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं	७१४–७१८
गोरखपुर तथा बस्ती जिलों में भारत—नैपाल सीमा पर तिब्बती शरणार्थियों के प्रवेश करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य	७१८–७२१
सचिव, विधान सभा के अध्यक्षीय मंच पर श्री अध्यक्ष के साथ बैठने तथा उनको सुझाव देने के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय ..	७२२–७२४
३ दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न २१–२३ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन	७२४–७२५
१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान— अनुदान संख्या ३८—सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान (स्वीकृत)	७२५
अनुदान संख्या ४५—प्रकीर्ण व्यय (स्वीकृत)	७२५
अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३१—सिंचाई अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत)	७२५–७६८
नत्थियां	७६९–७७०

LEGISLATURE LIBRARY
JUL

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, ५ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १०, १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५८

अक्षयवर्रासिह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी , श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायण प्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेशप्रताप, राजा
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह यादव, श्री

कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री (उपनाम छुन्नन गुरू)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
कृष्णपाल सिंह, श्री
कृष्णा, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री

गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण द्विवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पांडेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पांडेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
परमाईलाल, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री

फूल सिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (मुन्नू सिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महरामसिंह, श्री
महादेव, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हुसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री

राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायण राय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री

विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
बैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तलादेवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफतहुसैन रिजवी, श्री
शशिभूषणसिंह, श्री
शांतिचन्द्र शुक्ल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्दसिंह, श्री
शारदाभक्तसिंह, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवसम्पति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सहदेवसिंह, श्री

सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट:--नियोजन मंत्री ,श्री हरगोविंद सिंह, वन मंत्री, श्री अलगू राय शास्त्री तथा सिंचाई उप मंत्री, डाक्टर रामनारायण पांडेय भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, ५ मार्च, १९६३

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

शिक्षा कर

**१--श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) तथा श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदशीय सरकार को केन्द्रीय सरकार द्वारा शिक्षा शुल्क बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई निर्देश प्राप्त हुआ है ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)--

प्रारम्भिक शिक्षा विकास के लिये आवश्यक धन उपलब्धि के सन्दर्भ में भारत सरकार ने शिक्षा शुल्क बढ़ाने के लिये नहीं बल्कि शिक्षा कर लगाने का सुझाव प्रदेशीय सरकार के विचारार्थ भेजा है।

**२--श्री जगन्नाथ राव तथा श्री रक्षपालसिंह--

यदि हां, तो वह क्या है तथा क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वह शिक्षा शुल्क बढ़ायेगी ?

श्री केशभान--

उपरोक्त सुझाव पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया।

**३--श्री जगन्नाथ राव तथा श्री रक्षपाल सिंह--

यदि हां, तो कब से तथा कितना ?

श्री केशभान--

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगन्नाथ राव--

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि शिक्षा कर लगाने का जो सुझाव आया है वह सुझाव क्या है और किस रूप में कर लगाने का सुझाव दिया गया है ?

श्री केशभान---

सुझाव यह है कि शिक्षा विशेषकर और सामान्यतः अन्य शिक्षा के खर्च को जितना प्लान में आवश्यक है उसके लिये केन्द्र के ही आधार पर वह काम नहीं चलाया जा सकता है इसलिये राज्य सरकार अपने साधन को ऊंचा करने के लिये कर लगाये।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---

मन्त्री जी बतायेंगे जो शिक्षा कर लगाया जायगा वह किन चीजों पर लगाया जायगा और उसका क्या रूप है?

श्री केशभान---

कोई स्पेसिफिक सुझाव नहीं आया है।

श्री जगन्नाथ राव---

सरकार ने कहा कि अभी उस सुझाव पर निर्णय नहीं लिया गया, तो कब तक निर्णय हो जायगा?

श्री केशभान---

शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायगा।

श्री जगन्नाथ राव---

शिक्षा कर विद्यार्थियों पर लगेगा या उनके अभिभावकों पर लगेगा?

श्री केशभान---

विद्यार्थियों पर जो लगता है वह तो शिक्षा कर नहीं होता।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)---

क्या सरकार बतायेगी कि एक तरफ तो मन्त्री जी कह रहे हैं कि अभी विचाराधीन है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पूरे तौर पर नहीं आया है कि उसका रूप क्या होगा, तो दोनों में कौन-सी चीज सही है? और अगर विचाराधीन है तो कौन-सी चीज विचाराधीन है?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

लगाया जायगा कि नहीं और अगर लगाया जायगा तो किस शक्ल में लगेगा अभी इसकी कोई रूप-रेखा निश्चित ही नहीं है, इसलिये अभी कुछ निश्चित नहीं बताया जा सकता।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

केन्द्रीय सरकार से क्या रूप-रेखा सरकार के पास आयी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

कोई रूप-रेखा नहीं। एक सजेशन है एजूकेशन कर लगाया जाय।

श्री मेघनाथसिंह शिशोदिया (जिला मेरठ)---

मन्त्री जी बतायेंगे कि शिक्षा शुल्क है या कर है?

श्री केशभान---

शिक्षा कर का सुझाव है, शुल्क का नहीं।

श्री रक्षपालसिंह---

सरकार ने माना है कि शिक्षा निःशुल्क दी जाने वाली है, पर किसी प्रकार के कर लगाने से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर एक गलत धारणा उत्पन्न होने वाली है, तो क्या सरकार सिफारिश करेगी कि ऐसा कर न लगाया जाय?

शिक्षा मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)---

सरकार ने कोई निश्चय अभी नहीं किया है और जब निश्चय करेगी तो सब बात आपके सामने रख दी जायगी।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

मन्त्री जी इस बात को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश में लिट्रेसी और प्रदेशों के मुकाबले सबसे कम है, केन्द्रीय सरकार से इस बात का निवेदन करेंगे कि कोई शिक्षा कर न लगाया जाय जिससे यहां के बच्चों की शिक्षा ठीक तरह से चल सके और उसका पिछड़ापन दूर हो सके ?

आचार्य जुगल किशोर---

जैसा कि मैंने अभी कहा गवर्नमेंट ने अभी इस पर विचार ही नहीं किया है। इसलिये निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि क्या करेंगे और क्या न करेंगे।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

कटेहर क्षेत्र में सिंचाई

*१---श्री गयाप्रसाद (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार को पता है कि वाराणसी जिले के कटेहर क्षेत्र में कोई नहर बनाई गई है ? यदि हां, तो यह नहर कब बनाई गई और उसके द्वारा कब से पानी देना शुरू किया गया ? क्या उपर्युक्त नहर नियमित रूप से आवश्यकतानुसार किसानों को पानी दे रही है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री राममूर्ति)---

वाराणसी जिले के कटेहर क्षेत्र में निम्नलिखित तीन नहरों का निर्माण हुआ है :---

(१) चोलापुर माइनर,

(२) दानगंज माइनर,

(३) शिवपुर माइनर।

उक्त नहरें निम्नलिखित वर्षों में पूर्ण हुयीं तथा उन्हीं वर्षों में उनसे पानी देना शुरू हुआ :---

(१) चोलापुर माइनर	.. .. ..	१९५८-५९
(२) दानगंज माइनर	.. .. ..	१९५९-६०
(३) शिवपुर माइनर	.. .. ..	१९५९-६०

ये नहरें शारदा कैनाल सिस्टम के मड़ियाहूं ब्रांच सिस्टम के टेल पर हैं। मड़ियाहूं ब्रान्च सिस्टम का रिमार्डलिंग का कार्य अभी पूरा न होने के कारण ये नहरें नियमित रूप से आवश्यकतानुसार पूरा पानी नहीं दे पा रही हैं।

*२---श्री गयाप्रसाद (अनुपस्थित)---

क्या उपर्युक्त नहर से पिछले मई, जून के महीने में गन्ने की सिंचाई के लिये कटेहर क्षेत्र के किसानों को पानी दिया गया ?

श्री राममूर्ति---

उक्त नहरों से पिछले मई तथा जून के महीने में गन्ने की सिंचाई के लिये कटेहर क्षेत्र में कुछ पानी दिया गया जिससे सिंचित क्षेत्र का ब्योरा इस प्रकार है :---

	एकड़
चोलापुर माइनर	३४४
दानगंज माइनर	१३२
शिवपुर माइनर	९४

विधायक निवास के चौकीदारों को सेवा मुक्ति नोटिस

*३---श्री रक्षपालसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ स्थित विधायक निवास के कितने राजकीय कर्मचारियों को सेवा मुक्ति के लिये नोटिस दे दी गई है ?

सिंचाई उपमन्त्री (डाक्टर राम नारायण पांडेय)---

दो ।

*४---श्री रक्षपालसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उनको नोटिस दिये जाने का कारण क्या है ?

*५---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कर्मचारी यूनियन से सम्बन्धित है तथा वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

कर्मचारी विधायक निवास कर्मचारी संघ के सदस्य थे जो कि सरकार द्वारा अमान्यता प्राप्त संस्था (Unrecognise Association) है ।

श्री रक्षपालसिंह---

जो दो कर्मचारी बतलाये गये हैं क्या माननीय मन्त्री जी उनका नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

ये हैं श्री त्रिलोकी, चौकीदार और श्री नन्दलाल, चौकीदार ।

श्री रक्षपालसिंह---

विधायक निवास कर्मचारी संघ एक अनरिकग्नाइज्ड संस्था है परन्तु यह रजिस्टर्ड हो गयी है तो क्या सरकार फिर से बतलाने की कृपा करेगी कि यह रजिस्टर्ड सोसाइटीज ऐक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी है या नहीं ?

श्री राममूर्ति---

सरकार के कुछ नियम हैं अपने कार्यों के बारे में। जिस बात का माननीय सदस्य ने जिक्र किया सरकार का विभाग उससे सहमत नहीं है और उसके बारे में खतोकिताबत कर रहा है और उसके बाद जो फाइनल नतीजा निकलेगा उसके हिसाब से आगे की कार्यवाही की जायगी। इस वक्त जो कुछ किया गया है वह इस वक्त के कानून के लिहाज से किया गया है।

श्री जगन्नाथ राव---

इन दो कर्मचारियों को सेवा मुक्ति का नोटिस दिया गया है, वह किस कारण से दिया गया है ?

श्री राममूर्ति---

यह कहा जा चुका है जवाब में कि वे अनरिकग्नाइज्ड यूनियन के मेम्बर बन गये। सभायें होने लगीं और उन्होंने खुराफातें शुरू कीं तो उनको हटा दिया गया। लेकिन इन दोनों आदमियों न बाद में माफी मांग ली तो उनको वापस काम पर ले लिया गया। एक तीसरे साहब नोटिस जिन पर सर्व किया गया था उससे पहले ही वे चले गये लेकिन उन्होंने भी माफी मांग ली लिख कर जिससे उनको भी रख लिया जायगा।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि नन्दलाल और त्रिलोकी दोनों पर्मानेन्ट हो चुके थे और पर्मानेन्ट होने के बावजूद भी स्टेट आफिसर ने नोटिस दे कर निकाल दिया, यदि हां, तो पर्मानेन्ट एम्पलाईज को क्यों इस तरह का नोटिस दे कर हटाया गया ?

श्री राममूर्ति---

पर्मानेंसी के बारे में मुझे मालूम नहीं है लेकिन जैसा कि अर्ज किया इन दोनों को वापस ले लिया गया है। जिस दर्मियान में वे अपनी नौकरी से बाहर रहे उसकी तनख्वाह उन्हें दे दी गयी और उनकी सर्विस का लिंक किया गया है। इसलिये किसी को नुकसान पहुंचाने का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री रघुनार्थसिंह (जिला वाराणसी)---

यूनियन की मान्यता के लिये सरकार से खतोकिताबत हो रही है। जब खतोकिताबत का कोई निर्णय नहीं निकला तो इसी बीच इन दोनों कर्मचारियों को निकालने का क्या औचित्य है?

श्री राममूर्ति---

मैंने अर्ज किया कि जब एक यूनियन रिकग्नाइज्ड न हो और उसके बाद कुछ ऐसी कार्यवाहियां उन्होंने शुरू कीं जिनसे काम में उलझन पैदा हुई तो उन्हें नोटिस दे कर हटा दिया गया।

लेकिन जब इन लोगों ने माफी मांग ली और खेद प्रकट किया तो दोनों को वापस ले लिया गया, तनख्वाहें दे दी गयीं और जितने वक्त ये लोग गायब रहे उसको छुट्टी मान लिया गया। तो फिर अब सवाल काहे का है?

श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)---

क्या माननीय सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को यूनियन बनाने का अधिकार है? अगर है तो फिर इन कर्मचारियों को यूनियन बनाने की बिना पर क्यों निकाला गया और अब अगर उनको सर्विस में फिर ले लिया गया तो क्या इन्होंने अपनी यूनियन को भंग कर दिया है?

श्री राममूर्ति---

मैंने अर्ज किया कि अगर यह मसला तय हो जाय कि इनको यूनियन बनाने का हक है तो फिर दिक्कत ही क्या है। लेकिन चूंकि हक सरकार नहीं मानती है और उन्होंने बदमाशी शुरू की और काम में अड़चन पैदा की तब सरकार ने वह कार्यवाही की थी।

श्री हिम्मतसिंह---

जिन सज्जनों को सेवा मुक्ति का नोटिस दिया गया क्या उनको पहले आगाह कर दिया गया था कि तुम इस संस्था के सदस्य न बनो?

श्री राममूर्ति---

मैं समझता हूं कि जो तरीका रहा होगा वह बरता गया होगा।

श्री रक्षपालसिंह---

माननीय मन्त्री जी स्पेसिफिक बता दें कि यह यूनियन रजिस्टर्ड है या नहीं?

श्री राममूर्ति---

सरकार के जरिये से अभी मान्यता नहीं दी गई है।

*६---श्री गंगाप्रसादसिंह (जिला बलिया)---

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया।]

खड़वारी ग्राम की फसल को शारदा नहर से क्षति

*७---श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष आजमगढ़ जिले में शारदा कैनाल कहां-कहां टूटी है जिसके पानी से रबी की फसल को क्षति पहुंची है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

आजमगढ़ जिले में शारदा नहर की आजमगढ़ शाखा, ग्राम महुवारा खुर्द मील १३-६-१०० पर, ग्राम दाउदपुर मील २२७५० पर, ग्राम खड़वारी में मील २८-२११० पर टूट गई थी। नहर के टूटने से रबी की फसल का नुकसान सिर्फ ग्राम खड़वारी में हुआ है।

*८--श्री मंगलदेव--

क्या यह सही है कि उक्त शाखा नहर के टूटने से सदर तहसील और फूलपुर तहसील में खड़वारी कड़छा, पुत्तनपुर, ओस्ती और महुवारा गांव के सैकड़ों बीघा रबी की फसल नष्ट हो गई है? यदि हां, तो अब तक वहां क्या सरकारी सहायता पहुंचाई गयी है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

केवल ग्राम खड़वारी तहसील सदर, आजमगढ़ में फसल का नुकसान हुआ है। इसकी क्षति का मुआवजा बनाया जा रहा है, और आशा है शीघ्र ही वितरित किया जा सकेगा।

*९--श्री मंगलदेव--

क्या यह सही है कि उक्त नहर उक्त स्थानों में गत वर्ष भी टूटी थी? यदि हां, तो क्या कारण है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

यह नहर १,३६९ फसली में भी टूटी थी। यह नहर सन् १,३६९ फसली में बनने के बाद प्रथम बार चलाई गई थी। मिट्टी नई तथा ऊसर है और नहर पांच फुट से नौ फुट तक की भराई में है। आशा है कि दो तीन वर्ष तक चलने से इसके किनारे मजबूत हो जावेंगे।

श्री मंगलदेव--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिन गांवों में क्षति हुई है उनकी जांच किस अधिकारी ने की है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

विभागीय अधिकारी ने वहां जा कर जांच की है। जहां तक दाउदपुर का प्रश्न है यहां नहर का पानी धान के चकों से होकर निकल गया है और महवारा खुर्द में एक नाले के पास टूटी जिससे पानी बह गया और खड़वारी ग्राम में जो नुकसान हुआ है उसके मुआविजे के कागज तैयार किये जा रहे हैं और जल्दी ही उसका बटवारा कर दिया जायगा।

श्री मंगलदेव--

क्या माननीय मन्त्री जी प्रश्नकर्ता की इस बात को सूचना मान कर कि कड़छा, पुत्तनपुर और ओस्ती गांवों में मैंने खुद जाकर देखा है किसी अधिकारी से पुनः जांच करके उसकी सूचना मुझे भी देंगे?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

अगर लिख कर भेज दें तो मैं फिर जांच करा लूंगा।

श्री मंगलदेव--

जो खड़वारी गांव की सूचना दी गई कि उसमें नुकसान हुआ है तो उसमें कितने एकड़ का नुकसान हुआ है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, विस्तार तो नहीं है लेकिन लगभग ५०० रुपये के नुकसान की रिपोर्ट आई है। यह नुकसान दिसम्बर में हुआ है, उस समय तक कोई फसल बड़ी हालत में नहीं थी।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जिन स्थानों पर जिन तारीखों में नहर टूटने की चर्चा है, उन स्थानों की जांच सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कितने दिनों बाद या महीनों बाद कराई है या जब माननीय सदस्य ने सवाल किया है उस समय जांच कराई है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, दाऊदपुर और खड़वारी में १५ दिसम्बर को नहर टूटी है तो महीनों का प्रश्न नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से मैं नहीं बता सकता कि किस तारीख को जांच की गई है। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो मंगा दूंगा।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)---

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो नहर टूटी है, उसके बनाने में कितना धन व्यय हुआ है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

श्रीमन्, आंकड़े कोई नहीं हैं। लेकिन बहुत थोड़े व्यय में ठीक हो गई है। इसमें ज्यादा नुकसान पानी का, श्रम का और सिंचाई का होता है। मिट्टी के काम में बहुत ज्यादा रुपया व्यय नहीं होता है। बहुत थोड़े रुपये में बन जाती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिस गांव के नुकसान होने की बात बताई है उसमें कितने रकबे की फसल का नुकसान हुआ है, एकड़ों में?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

यह तो मैंने निवेदन कर दिया कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मंगाकर बता दूंगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय---

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि सवाल में ही पूछा है और उत्तर में बताया गया है कि मुआवजे का हिसाब लगाया जा रहा है। हमने पूछा है कि कितने एकड़ में नुकसान हुआ है। यह तो फाइल में ही लिखा हुआ है अगर मंत्री जी पढ़ने का कष्ट करेंगे तो मिल जायगा, नहीं तो मुआवजा कैसे बनेगा?

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये सवालों में इतने डिटेल की बात और बहस नहीं हो सकती है।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

मंत्री जी ने कहा है कि ५०० रुपये के नुकसान की अब तक सूचना है। रकबा मालम नहीं है तो नुकसान कहां से आया? आप ध्यान नहीं देते हैं।

ट्यूबवेल डिवीजन, साउथ मुरादाबाद

*१०---श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ट्यूबवेल डिवीजन, साउथ मुरादाबाद में कुल कितने नलकूप हैं और उनमें से कितने तीन साल से बन्द पड़े हैं और उसका क्या कारण है?

*११---क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि ऐसे कितने कुयें हैं जिनका डिसचार्ज २०,००० जी० पी० एच० से कम है और उन कुओं का डिसचार्ज बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

वांछित सूचना एक की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहूंगा कि यह सवाल २-२-६३ को भेजा है और एक दफा मुल्तवी हो चुका है और यह सवाल एक ट्यूबवेल डिवीजन, साउथ मुरादाबाद से मुताल्लिक है तो सूचना इकट्ठी होने से क्या परेशानी हो रही है, और इसके क्या कारण हैं ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

श्रीमन्, कारण यह है कि जितने कुयें हैं उनमें से प्रत्येक की डिस्चार्ज शीट मांगी है और किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया। दोनों ही बातें माननीय सदस्य जानना चाहेंगे। इस कारण से यह सूचना जब तक उपलब्ध न हो जाय तब तक अनुपूरक प्रश्नों का जवाब देना सम्भव नहीं होगा। दो हफ्ते का समय है। इस बीच में सूचना आ जायगी।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, मैं मन्त्री जी से पूछूंगा कि मुझे कल का एजेंडा मिला है, उसमें तीन नम्बर पर मेरा प्रश्न है, उसे आज के लिये मुल्तवी किया गया है और आज फिर उस सवाल को मुल्तवी कर दिया गया है २४ नम्बर पर पांचवें मंगलवार के लिये तो इस गड़बड़ झाले की क्या वजह है ?

श्री मैनेजरसिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि इस समय आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। डिस्चार्ज का जो सवाल है उसमें आप समय मांग सकते हैं लेकिन जो पहले सवाल है उसमें यह पूछा गया है कि तीन साल से कितने ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं। यह बिलकुल साफ सवाल है। इसका उत्तर घंटों में आना चाहिये। इसका उत्तर अभी तक न आने का क्या कारण है ?

श्री राममूर्ति--

अध्यक्ष महोदय, दो सवाल हैं और एक डिवीजन के अंदर करीब साढ़े चार सौ, पांच सौ ट्यूबवेल हुआ करते हैं, इतने डिटेल की चीज वह जानना चाहते हैं। अगर आधे सवाल का जवाब दे दिया जाता है तो परेशानी होती है। इसलिये इस बात की कोशिश की गई कि जब पूरे हालात मालूम हो जायं तो सामने रख दिये जायं।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि इस ट्यूबवेल डिवीजन के सिलसिले में पन्दरह दिन पहले भी सवालात हो चुके हैं और उनको स्थगित किया गया है, तो इस ट्यूबवेल डिवीजन के तीन साल से कितने कुयें बन्द हैं, उसकी सूचना इकट्ठी होने में क्या परेशानी है जब कि बराबर सवालात हो रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--

इससे माननीय सदस्य को बड़ा सन्तोष होना चाहिये कि १५ दिन पहले हालात मालूम हो चुके। अगर पन्दरह दिन पहले हालात मालूम हो गये तो पूछना बेकार था।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

इस डिवीजन के सम्बन्ध में जब कभी माननीय रियासत हुसैन या मैं सवाल करता हूं तो यही जवाब आता है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। मेरे पास दस पन्दरह सवालों के जवाब मौजूद हैं। सब में यही कहा गया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। माननीय सिंचाई मन्त्री ने काउंसिल में यह कहा था कि इस डिवीजन के अन्दर हजारों रुपये की चोरी हर साल, हर महीने हो रही है। इस सम्बन्ध में अधिकारियों द्वारा हालात को छिपाने की कोशिश की जा रही है। मुझको गत वर्ष एक लिस्ट दी गई थी कि पूरे डिवीजन में कुओं का डिस्चार्ज इतना है, जिसमें १३-१४ हजार डिस्चार्ज दिखाया गया था।

श्री उपाध्यक्ष--

सवाल कीजिये।

श्री शराफत हुसैन रिजवी--

मैं जानना चाहता हूं कि इस वक्त तक इन कुओं की बोरिंग क्यों नहीं कराई गई, इस का क्या कारण है?

श्री राममूर्ति--

दोनों सवाल आप देख लें। एक में लिखा है कि तीन साल से कितने ट्यूबवेल बन्द पड़े हैं। दूसरे सवाल में यह लिखा है कि कितने कुओं का डिस्चार्ज २०,००० जी० पी०एच० से कम है। इसमें चोरी से क्या वास्ता है? माननीय सदस्य वाकयात जानना चाहते हैं उसके लिये मालूम किया जा रहा है। इसमें न चोरी का सवाल है, न छिपाने का सवाल है। जैसे ही मालूम होगा आपकी खिदमत में पेश किया जायगा।

छाता तहसील में चकबंदी के उपरान्त सिंचाई

*१२--श्री लखीसिंह (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा की छाता तहसील में चक-बन्दी होने से किसानों की जमीन अदल-बदल गई है जिससे कि पुराने कुलाबों द्वारा सिंचाई नहीं हो सकती? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को नये कुलाबे भी देगी?

श्री राममूर्ति--

जिला मथुरा की छाता तहसील में चकबन्दी कार्य चल रहा है जो अभी समाप्त नहीं हुआ है। पुराने कुलाबों का समायोजन (adjustment) और उनका दुबारा लगाना किसानों की सहमति और राजस्व अधिकारियों से पूर्ण रूपेण कागजात (final records) प्राप्त होने पर किया जायगा।

*१३--श्री लखीसिंह (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी होने से नहर के पानी के बटवारे में घपला हो गया है? यदि हां, तो क्या मन्त्री ओसराबन्दी को पुनः ठीक कराने का कष्ट करेंगे?

श्री राममूर्ति--

चकबन्दी कार्यक्रम के पूर्ण होते ही मौजूदा ओसराबन्दी निरर्थक हो जाती है परन्तु कृषकों के प्रार्थना-पत्र देने पर विभाग द्वारा फिर से ओसराबन्दी बनाये जाने की कार्यवाही की जाती है। इस काम के लिये अलग से स्टाफ रखा गया है ताकि देर न हो।

नैपाल बांध

*१४--श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नेपाल बांध घाघरा कटाव योजना, बरहज सुरक्षा योजना हाल की जांच के बाद किस स्तर तक पहुंच चुकी है?

श्री राममूर्ति--

नैपाल बांध का निर्माण और उसका एलाइनमेंट गंडक कोआरडीनेशन कमेटी द्वारा स्वीकृत हो चुका है परन्तु नैपाल सरकार से अभी स्वीकृति नहीं मिल सकी है। घाघरा कटाव तथा बरहज सुरक्षा के सम्बन्ध में कोई भी योजना जांच में नहीं है।

*१५--श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री कृपया बतायेंगे कि नैपाल बांध पर कब से काम शुरू हो जायगा?

श्री राममूर्ति--

नैपाल सरकार की स्वीकृति तथा निर्माण हेतु भूमि प्राप्त होते ही काम शुरू हो जायगा।

*१६--श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)--

क्या सरकार पश्चिमी गंडक नहर योजना को स्थगित करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं।

जल कुन्डी योजना

*१७--श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मन्त्री राप्ती बाढ़ नियन्त्रण हेतु बनी जल कुंडी योजना की संक्षिप्त रपट सदन की मेज पर रखेंगे और यह भी बतायेंगे कि यह योजना कब तक पूरी हो जावेगी ?

श्री राममूर्ति--

प्रारम्भिक सर्वेक्षण के आधार पर इस योजना की रूपरेखा निम्नलिखित है--

१--लागत	.. ..	५५.३ करोड़
२--अधिकतम ऊंचाई	.. ..	१८० फीट
३--कुल प्रस्तावित सींच	.. ..	७,६५,७२९ एकड़
४--कुल नहरों की लम्बाई	..	१,७२३ मील।
५--डूब में आने वाले क्षेत्र	.. ..	१११ वर्गमील।
६--लाभ	.. ..	इस योजना के बनने पर बहराइच, गोंडा बस्ती और देवरिया जिलों की लगभग ढाई लाख एकड़ भूमि बाढ़ से बचाई जा सकेगी और लगभग १६,००० किलोवाट बिजली के उत्पादन की सम्भावना है।

चूंकि इस योजना का अभी विस्तृत सर्वेक्षण नहीं हुआ है, अतः इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि यह योजना ली भी जायगी या नहीं।

आजमगढ़ जिले में नलकूप चालक

*१८--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सिंचाई मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिलान्तर्गत कितने नलकूप चालक ऐसे नियुक्त हैं जो अनट्रेंड हैं तथा किसी कमेटी द्वारा उनका चुनाव नहीं हुआ है तथा कितने ट्रेंड नलकूप चालकों की सूची में नाम रहते हुये भी स्थान नहीं दिया गया है और क्यों ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

*१९--श्री रामसुन्दर पांडेय--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य अभियंता के आदेश नं० ०३०३९, सन् १९५८ के अनुसार २१ अगस्त, १९६० को ए० पी०, फैजाबाद द्वारा कुछ सीनियर नलकूप चालकों का चुनाव अमीन पद के लिये हुआ था ? यदि हां, तो परीक्षा में कितने शामिल हुये और कितने उत्तीर्ण हुये और किनको-किनको अमीन का पद दिया गया और कब ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

उपाध्यक्ष जी, जरा-सा मैं निवेदन करूंगा कि यह केवल एक जिले का सवाल है और १५ दिन तक आपके कार्यालय से नोटिस गया और १५ दिन अभी और मांग रहे हैं तो एक जिले के सवाल में जिसमें कुल ४०-५० नलकूप चालक हैं, अगर इस तरह से महीना-महीना भर लगगा तो कैसे काम चलेगा ? श्रीमन्, आप इसकी ताकीद कर दें ।

श्री राममूर्ति--

उपाध्यक्ष महोदय, सूचना आयी थी लेकिन मेरा यह कायदा है कि मैं हर चीज को पूरे डिटेल में मंगाया करता हूं ताकि माननीय सदस्यों को हर चीज बता सकूं । चूंकि जो सूचना आयी थी उसमें मुझे खुद ही शुबहा था, इसलिये मैंने दोबारा उनसे सूचना मंगायी है जो आने पर आपकी खिदमत में रखी जायगी ।

*२०--श्री गंगाप्रसाद सिंह--

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

वाराणसी सिंचाई विभाग के असिस्टेंट स्टोर सुपरिन्टेन्डेन्ट

*२१--श्री गयाप्रसाद (अनुपस्थित)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी सिंचाई विभाग में कोई असिस्टेन्ट स्टोरकीपर का स्थान है ? यदि हां, तो उक्त पद पर कौन कार्य कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--

सिंचाई विभाग, वाराणसी में असिस्टेन्ट स्टोरकीपर का कोई स्थान नहीं है वरन् स्टोर का कार्य असिस्टेन्ट स्टोर सुपरिन्टेन्डेट श्री राम प्रसाद कर रहे हैं ।

*२२--श्री गयाप्रसाद (अनुपस्थित)--

क्या यह सही है कि उक्त पद पर कोई महाशय-बिना वतन कार्य कर रहे हैं ?

श्री राममूर्ति--

जी नहीं ।

*२३--श्री गयाप्रसाद (अनुपस्थित)--

क्या यह भी सही है कि उनका स्थानान्तरण अन्यत्र क लिय हो गया है किन्तु वे वहां न जाकर यहीं पर विराजमान हैं ?

श्री राममूर्ति--

श्री राम प्रसाद के स्थानान्तरण का आदश वर्कशा . डिवीजन, बरेली के लिये हुआ था, किन्तु बाद में विभागीय कार्य की आवश्यकता को देखते हुये स्थानान्तरण के आदेश रद्द कर दिये गये । उन्हें नलकूप डिवीजन, वाराणसी में १५ अप्रैल, १९६३ तक कार्य करने की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

*२४--श्री रियासत हुसैन--

[१९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

सुल्तानपुर जिले के मुन्सिफ के खिलाफ स्ट्रक्चर

*२५--श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १६ दिसम्बर, १९६२ को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मा० धवन ने सुल्तानपुर जिले के प्रथम मुन्सिफ के संबंध में एक फैसला देते हुए स्ट्रक्चर पास किया है कि मुन्सिफ का आचरण न्याय की दृष्टि से भ्रष्ट रहा है, क्योंकि मकान मालिक द्वारा किरायेदार को बेदखली के लिये दाखिल किये गये मुकद्दमे के दौरान में मुन्सिफ साहब ने विवाद-ग्रस्त मकान को बिला दोनों पक्ष को सूचना दिये अपने नाम एलाट करा लिया है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

न्याय मंत्री के सभा सचिव (श्री चन्द्रसिंह रावत)--

मा० जस्टिस धवन के दिनांक १७ दिसम्बर, १९६२ (न कि १६ दिसम्बर, १९६२ जैसा कि प्रश्न में दिया है) के फैसले के संबंध में सरकार ने हाईकोर्ट से रिपोर्ट मांगी है । हाई-कोर्ट की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है । हाई कोर्ट की अन्तरिम (interim) रिपोर्ट से प्रतीत होता है कि वे इस मामले में आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री ऊदल--

श्रीमान् जी, अभी तो इसमें सरकार का कहना यह है कि अन्तरिम रिपोर्ट आयी है, तो मैं समझता हूं कि इसको आप स्थगित कर दें दूसरे दिन के लिये .....

श्री उपाध्यक्ष--

तो वह तो दोबारा आयेगा ही .....

श्री ऊदल--

लेकिन फिर वह दोबारा जवाब कैसे देंगे ? इसलिय मैं चाहता हूं कि इसको दूसरे दिन के लिये आप स्थगित कर दें । मुकम्मल जवाब आ जाय तब आप जवाब दिला दें ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने एक जवाब दिया, उस पर आप क्वेश्चन कर लीजिये ।

श्री ऊदल--

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम रिपोर्ट से भी यह मालूम हो रहा है कि मुन्सिफ ने गलत काम किया है, अभी सरकार को पूरी रिपोर्ट नहीं मिली है तो क्या सरकार पूरी रिपोर्ट आने के बाद इसकी सूचना सदन को देने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रसिंह रावत--

इसमें हाई कोर्ट ने मुन्सिफ साहब से पहले ही जवाब तलब कर दिया है । उनका जवाब हाईकोर्ट में पहुंच चुका है । उसमें थोड़ी-सी बातें क्लेरिफिकेशन के लिये फिर से मांगी गई हैं, उसके पहुंचने पर यह पूरी पावर्स हाईकोर्ट को हैं कि मुंसिफ के खिलाफ वह कोई भी ऐक्शन ले सकें । उसके अप्वाइंटमेंट, डिसमिसल, प्रोमोशन और हर प्रकार के ऐक्शन के मामले उसे में पूरे अधिकार हैं और वह उससे डील कर रहे हैं और ऐक्शन लिया जा रहा है ।

श्री ऊदल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस मुंसिफ साहब ने जिस मकान के संबंध में वह केस था और उन्हीं की अदालत में था और उन्होंने दोनों पार्टियों को बिना सूचना दिये अपने नाम उसे एलाट कर लिया और उसी के संबंध में स्ट्रिक्चर पास हुआ, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की, अपनी तरफ से उसने हाईकोर्ट को क्या लिखा ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--

बात यह है कि यह फैसला तो हाईकोर्ट का ही था और वही मुंसिफ के खिलाफ कोई कार्य-वाही कर सकता है और वह कार्यवाही कर रहा है । आपने सवाल पूछा तो हमने उनसे दरियाफ्त किया । वहां से जो इत्तिला मिली वह आपको हमने बता दी । अब वह क्या कार्यवाही करते हैं, क्या करेंगे इसका पूरा उनको अधिकार है ।

श्री ऊदल--

माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि हाईकोर्ट ने उस फैसले में यह लिखा है कि इसकी प्रति हम सरकार को उचित कार्यवाही के लिये भेजेंगे ? तो क्या मंत्री जी इसको मंगाकर देखेंगे ?

श्री सैयद अली जहीर--

फैसला तो यहां मेरे पास रखा हुआ है । मैंने उसको देख लिया ।

[५मार्च, १९६३ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री गंगाप्रसाद सिंह—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

रोडवेज मैनुअल

*२—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित) तथा श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री बतलायेंगे कि रोडवेज मैनुअल अब तैयार हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)—

अभी पूर्णतया नहीं क्योंकि सर्विस रूल्स को प्राथमिकता देने के कारण, मैनुअल बनाने का कार्य स्थगित कर दिया गया है ।

*३—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित) तथा श्री गंगाप्रसाद सिंह (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि रोडवेज विभाग, उत्तर प्रदेश में इमर्जेन्सी के नाम पर अब तक कुल कितने कर्मचारियों की छटनी प्रत्येक क्षेत्र में की गई है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

रोडवेज में इमर्जेन्सी के कारण कोई छटनी नहीं की गई है ।

*४—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित) तथा श्री गंगाप्रसादसिंह (अनुपस्थित)—

क्या परिवहन मंत्री गत वर्ष के विभागीय शुद्ध लाभ को देखते हुए परिवहन कर्मचारियों को १९६१-६२ साल के लिये बोनस देने की घोषणा कर रहे हैं ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री मुजफ्फर हसन—

जी नहीं । परिवहन संगठन में बोनस देने का कोई नियम नहीं है ।

*५-७—श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

[१९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*८—श्री गंगाप्रसाद सिंह—

[हटा दिया गया]

*९—श्री गंगाप्रसादसिंह—

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित किया गया ।]

*१०-११—श्री ऊदल—

[१९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

*१२—श्री ऊदल—

[हटा दिया गया ।]

*१३-१४—श्री सुरेन्द्रविक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

[१९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

यमुना सैण्ड का ठेका

*१५—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सिंचाई मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि यमुना सैण्ड ओखला का ठेका, कब और किसको दिया गया और किस आधार पर ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

यमुना सैण्ड का ठेका २०-८-६२ को नीलाम के आधार पर मेसर्स जमालुद्दीन किशनलाल को दिया गया । क्योंकि उसकी बोली सबसे ऊंची थी ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या सिंचाई मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ठेका देने की शर्तें क्या-क्या हैं ?

श्री राममूर्ति—

एग्रीमेंट डीड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ठेका साल भर के लिये दिया जाता है और साल भर के अन्दर वह ठेका उठाये ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि कुछ रुपया पेशगी लेने की शर्त है, यदि हां, तो उसमें कितना रुपया लेने की शर्त है ?

श्री राममूर्ति—

कायदा २५ परसेंट पेशगी लेने का है । मेरे पास यह लिखा नहीं है, इसलिये मैं सही नहीं कह सकता ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पेशगी रुपया दिया गया या नहीं ?

श्री राममूर्ति—

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी को यह भी मालूम है कि इस २५ फीसदी के अलावा जो रुपया और देना था वह भी अभी तक दिया गया या नहीं ?

श्री राममूर्ति—

मैंने अर्ज किया कि इसके लिये नोटिस की जरूरत है । अगर इन तमाम चीजों को माननीय सदस्य जानना चाहते हैं या उनको शुबहा है तो वह लिखकर भेज दें, मैं इन तमाम वाकयात की मालूमात करके उनके सामने पेश कर दूंगा ।

श्री रामचन्द्र विकल—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जिस ठेकेदार को ठेका दिया गया इनके अलावा और कौन-कौन लोग बोली पर थे और उनको ठेका क्यों नहीं दिया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

इसके अलावा एक तो मेसर्स मंगतराम नासरुद्दीन, दूसरे भारत सेवक समाज और तीसरे जमालुद्दीन किशन लाल थे । इन तीनों के बीच में बिड हुआ तो इन तीनों में यही हाइयेस्ट बिडर थे ।

श्री रामचन्द्र विकल—

मंत्री जी बतायेंगे कि इनमें से प्रत्येक की अलग-अलग बोली कितनी थी ?

श्री राममूर्ति—

मैंने अर्ज किया कि पिछले सन् १९५२ से लेकर आज तक हाइयेस्ट बिड इनकी थी, इसलिये इनको ठेका दिया गया । मैंने यह भी अर्ज किया कि अगर माननीय सदस्य के पास कोई ऐसी इत्तिला हो जिसमें कोई गोल माल होने का शुबहा हो तो वे स्पेसिफिकली मुझे लिखकर दें तो मैं पूरे हालात मालूम करके उनके सामने रख दूंगा ।

नैपाल बांध

*१६—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मुख्य मंत्री से नैपाल के महाराजा साहब ने नैपाल बांध तथा अन्य विषयों के ऊपर उनकी कोई वार्ता गत २६ या २७ जनवरी को उनके आगमन के संबंध में हुई है ? यदि हां, तो इस संबंध में कोई वक्तव्य सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

नैपाल के महाराजा जब लखनऊ पधारे थे तब मुख्य मंत्री जी ने संक्षेप में उनसे नैपाल बांध के बारे में जिक्र किया था । उस पर महाराजा ने उत्तर दिया कि उनकी सरकार ने संबंधित बांध क्षेत्र में छान बीन की आज्ञा दे दी है । रिपोर्ट आने पर आगे क्या कार्यवाही हो, विचार किया जा सकेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे अभी कुछ दिन पहले अपने जवाब में इसी सदन में यह आश्वस्त किया था कि नैपाल बांध इसी बरसात के पहले बन जायगा । क्या माननीय मंत्री जी इस बात की पुनः घोषणा करेंगे कि नैपाल बांध इस बरसात से पहले जैसी कि महाराजा से बात हुई है, उसको बनाने की कोई योजना है ?

श्री राममूर्ति---

श्रीमन्, सरकार को इस बात की पूरी उम्मीद है कि यह काम पूरा होगा, क्योंकि २८ दिसम्बर की मीटिंग में जो एलाइनमेंट तय हुआ था, उसके बारे में कागज भी भेज दिये गये हैं, नैपाल सरकार के पास । अब वहां से जैसे ही जमीन मिले, वह काम शुरू हो जायगा । अभी तक कोई अड़चन नहीं हुई है कि जिससे यह महसूस हो सके कि यह काम हमारा रुकेगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात की निश्चित घोषणा करेंगे कि इस बरसात से पहले वह नैपाल बांध बनकर तैयार हो जायगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

वह तो उन्होंने कह दिया है कि कोई अड़चन नहीं हुई है और वह अपने को बांधते नहीं हैं । दूसरा प्रश्न कीजिये ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस नैपाल बांध का काम कितना शुरू हो गया है और कब तक उसके पूरा होने की उम्मीद है ?

श्री राममूर्ति---

श्रीमन्, इतना काम हो गया है कि एलाइनमेंट हमारे चीफ इंजीनियर और नैपाल के इंजीनियर दोनों ने मिलकर देख लिया है, उसके बारे में जो तय हुआ और एलाइनमेंट के कागजात काठमान्डू भेज दिये गये । जैसे ही अब वह जमीन मिले, वैसे ही काम शुरू कर दिया जायगा, यह उम्मीद की जाती है कि इस बरसात से पहले इतना काम हो जायगा कि जिससे आगे जो तकलीफ है, वह दूर हो सके । अब यह टाइम फैक्टर की बात है, दूसरी सरकार को अब हम मजबूर तो नहीं कर सकते हैं । अभी वहां हमारे देश के होम मिनिस्टर साहब भी गये हैं । हमने उनको भी इस मामले में सूचित कर दिया है कि वे इसको तय कराने की जल्दी से जल्दी कोशिश करें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस नैपाल बांध का क्या प्राक्कलन होगा, कितना इस पर खर्चा होगा और उसमें हमारी सरकार को कितना देना पड़ेगा और नैपाल सरकार को कितना देना पड़ेगा ?

श्री राममूर्ति---

श्रीमन्, यह खयाल किया जाता है कि इस पर ६० लाख रुपया खर्च होगा और हमारी सरकार व बिहार सरकार इस पर पूरा खर्चा करेगी तथा नैपाल सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी ।

बीरा माइनर योजना का स्थगन

*१७--श्री मतोलासिंह (जिला बांदा)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बांदा में केन कैनाल डिवीजन की अतर्रा शांच के रजबहा कमासिन से सांडा ग्राम से बीरा माइनर निकालने का सर्वे करा चुकी है ? सरकार बीरा माइनर का कार्य कब तक चालू करने का विचार रखती है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी हां । सर्वेक्षण से ज्ञात हुआ कि इस योजना की उपयोगिता व्यय की अपेक्षा कम है । इस कारण इस योजना को त्याग दिया गया ।

श्री मतोलासिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि इसके सर्वेक्षण में कितना खर्चा पड़ा ?

डाक्टर रामनारायण पाण्डेय--

श्रीमन्, इसमें कोई अलग हिसाब नहीं रखा जाता है । इस समय यह कार्य हुआ कि वहां पर जाकर इन्जीनियर्स ने देख लिया है और यह करीब ९ मील लम्बी चैनल होती है और उसमें सिंचाई का बहुत थोड़ा क्षेत्र आता है। यह करीब १५ हजार रुपये मील से अधिक चैनल पड़ती है और सिंचाई का डाइरेक्ट या इनडाइरेक्ट लाभ होने वाला था, वह बहुत कम था और इसी कारण यह कार्य रोक दिया गया है और आगे नहीं हुआ है ।

श्री मतोलासिंह--

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उस सूखे क्षेत्र के लिये कोई योजना यह सरकार बना रही है और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राममूर्ति--

श्रीमन्, बांदा के सूखे क्षेत्रों के लिये १९४७ से लगातार सरकार का प्रयास रहा है कि वहां पर योजनायें इसके लिये बनाई जायें और रुपये का खयाल न करते हुये भी उन योजनाओं को बनाया जाता है । इसलिये ऐसा माननीय सदस्य को खयाल नहीं होना चाहिये । जब किसी योजना से लाभ नहीं होता है तभी उसको छोड़ा जाता है । योजनायें तो बनती ही रहती हैं ।

श्री मतोलासिंह--

क्या सरकार ने बिजनेस के आधार पर नहर विभाग खोला है ?

श्री राममूर्ति--

इसके बारे में तो खैर थोड़ी देर बाद बतलाऊंगा कि सिंचाई विभाग में किस प्रकार कामर्शियल और नान-कामर्शियल सब बातें चल रही हैं, लेकिन खयाल किया जाता है कि जो रुपये की लागत है और उसके बाद साढ़े चार फीसदी का सूद आ जाता है तो अच्छा है, लेकिन अब तो २ परसेंट ही कायम करते हैं । जहां तक कि बुन्देलखंड और हिल एरियाज का ताल्लुक है वहां माइनर रिकवरी पर काम करते हैं ।

श्री रक्षपालसिंह--

जो माइनर के द्वारा एरिया सींचा जाने वाला था उसमें क्या कोई और आल्टरनेटिव इन्तजाम नहर के अतिरिक्त संभव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसके लिये प्रयत्न करेगी ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

श्री मैनेजरसिंह--

जो सर्वेक्षण हुआ उसमें प्रस्तावित व्यय का कितना अनुमान किया गया और उससे कितने लाभ का अनुमान किया गया ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

बात यह है कि कुछ योजनायें ऐसी होती हैं जिनका विस्तृत सर्वेक्षण किया जाता है और कुछ ऐसी हैं कि सर्वेक्षण के समय औसत लम्बाई देख ली गयी कि कितनी जमीन है और कितनी सिंचित हो सकती है, इसको देख कर कि इसका व्यय बहुत होगा वह पहले स्टेज में ही ड्राप कर दी जाती है। यह जो योजना है वह इसी प्रकार की है कि जो पहले ही सर्वेक्षण में, प्रिलिमिनरी में ही रिजेक्ट कर देनी पड़ी, क्योंकि जिस जगह से जाती थी वहां सिंचाई के योग्य भूमि बहुत कम थी।

रेउना माइनर को बढ़ाने का सुझाव

*१८--श्री शिवनाथ सिंह (जिला कानपुर)--

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत नहर गंगा डिवीजन कानपुर के रेउना माइनर को चौड़ा करके आगे बढ़ाकर असिंचित क्षेत्र को सिंचित करने की रूप-रेखा तृतीय पंचवर्षीय योजनाकाल के अन्तर्गत है ? यदि हां, तो कब तक ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय--

जी नहीं।

श्री शिवनाथसिंह--

यह जो रेउना रजबहा है इसको आगे बढ़ाने के लिये ताकि जो असिंचित क्षेत्र है वह सिंचाई के योग्य बन जाय और सिंचाई की पूर्ति हो जाय, इसके लिये कोई रूपरेखा सरकार के विचाराधीन है ?

डाक्टर रामनारायण पांडेय---

इस समय नहर में पानी नहीं है जिसके कारण इन चीजों को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे ही रामगंगा योजना पूरी हो जायगी उसे इन क्षेत्रों में भी बढ़ाने का प्रस्ताव है और ये नहरें बढ़ाकर इन सारे क्षेत्रों को सिंचित करने का प्रयत्न किया जायगा।

श्री शिवनाथसिंह--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि रामगंगा बांध पूरा हो जाने के पहले क्या इस क्षेत्र में रेउना रजबहे को बढ़ाने का सर्वेक्षण किया गया है ? यदि हां, तो कब ?

श्री राममूर्ति--

रामगंगा रिजर्वायर बन जाने के बाद उसका पानी जिन-जिन क्षेत्रों को उपलब्ध होगा उससे पहले उन इलाकों की नहरें बना दी गयी हैं जहां पर धान की पैदावार होती है और जो काम किया गया है उससे ज्यादा पैदा हो रही है। जो रबी के इलाके हैं, चूंकि पानी नहीं है तो उनके लिये नहरें नहीं बढ़ा रहे हैं।

रायबरेली जिले में पशु-सेवा केन्द्र तथा धूता गोसदन

*१९--श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले में किस-किस विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कितने-कितने पशु-चिकित्सा केन्द्र हैं ? इन पशु-चिकित्सा केन्द्रों में से कितने ऐसे केन्द्र हैं जिनमें कोई चिकित्सक नहीं है और कब से ?

कृषि उपमंत्री (श्री शिवराजसिंह)--

जिला रायबरेली में १६ विकास क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों के अन्तर्गत पशु सेवा केन्द्रों की संख्या सं,लग्न तालिका में दी है । १८ पशु सेवा केन्द्रों में ७ पशु सेवा केन्द्र ऐसे हैं जिनमें पशु सेवक नहीं हैं, उन पशु सेवा केन्द्रों के नाम और खाली रहने की तिथि निम्नलिखित है :

ब्लाक	पशु सेवा केन्द्र	खाली रहने की तिथि
१--तिलोई	इहहोना	७-४-६२
२--जगतपुर	गोरा	१४-६-६२
३--सतांव	सतांव	२४-१२-६१
४--सरेनी	भोजपुर	९-११-६२
५--महराजगंज	शिवगढ़	२२-१२-६२
६--खीरी	सेमरी	१८-१२-६२
७--राही	लोधवारी	मार्च, १९६१

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ७६९ पर)

*२०--श्री रतीपाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायबरेली जिले के विकास क्षेत्र जगतपुर के अन्तर्गत कोई गोसदन है ? यदि हां, तो उस में किस तरह के जानवर लिये जाते हैं तथा उन जानवरों के ऊपर चारे आदि पर सरकार प्रति दिन किस दर से व्यय करती है ?

श्री शिवराजसिंह--

रायबरेली जिले के जगतपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत धूता नामक स्थान पर एक जिला गोसदन है जिसमें बूढ़े, कमजोर, अपंग तथा अनुत्पादक पशु लिये जाते हैं । इस गोसदन में पशुओं के रख रखाव के लिये सरकार द्वारा १८ रुपये प्रति पशु प्रति वर्ष की दर से दिये जाते हैं ।

श्री रतीपाल--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस गोसदन में अब तक कितने लूले-लंगड़े तथा अपाहिज जानवर आये हैं और उन पर कितना खर्चा हुआ है ?

श्री शिवराजसिंह--

इस गोसदन में वित्तीय वर्ष १९६१-६२ में ६७ पशु प्रविष्ट हुये थे । इसके लिये भवन निर्माण के लिये १० हजार की धनराशि भी स्वीकृत थी । यहां प्रति मवेशी, प्रति वर्ष, १८ रुपये दिये जाते हैं ।

श्री रतीपाल--

इन ६७ में से कितने पशु इस समय गोसदन में हैं ?

श्री शिवराजसिंह--

इसकी सूचना नहीं है ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)--

गोसदन में जो जानवर मरते हैं, उनके चमड़े या हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है या नहीं ? यदि हां, तो उससे कितनी आमदनी होती है ?

श्री शिवराज सिंह---

यह तो आम सवाल है, प्रदेश में जितने गोसदन हैं, उनमें जो जानवर मरते हैं, उन्हें हाइड फ्लेइंग सेन्टर भेज दिया जाता है, वहां उनका इस्तेमाल होता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

यह जो रकम प्रतिवर्ष प्रति मवेशी दी जाती है यह करीब ३ पैसा प्रति दिन पड़ती है जो बहुत ही कम है । तो क्या इस मात्रा को देखते हुये माननीय मंत्री जी इसको बढ़ाने का प्रबन्ध करेंगे ?

श्री शिवराजसिंह---

यह गोसदन आमतौर से उन क्षेत्रों में खोले जाते हैं जहां पर खुदरो घास बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और यातायात की कठिनाइयों के कारण उसको दूसरी जगह लाना मुश्किल होता है । यह घास वहीं इस्तेमाल हो जाती है जो बहुत सस्ती बैठती है । उससे वहां का काम चल जाता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की शिकायत मिली है कि यह जो पैसा दिया जा रहा है वह बहुत कम है, उसे बढ़ाया जाय ?

श्री उपाध्यक्ष---

इसका जवाब तो दिया जा चुका है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मैं दूसरा सवाल पूछता हूं । यह जो धन इतना कम रखा गया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वहां लोग पशुओं का रोजगार करते हैं, उनका चमड़ा आदि दे देते हैं, पशुओं को बेचते हैं । तो क्या इनको वहां रोजगार की दृष्टि से रखा गया है ?

श्री शिवराजसिंह---

इस प्रकार की कोई सूचना नहीं है, माननीय सदस्य इस संबंध में माननीय कृषि मंत्री जी से बात कर लें, तो उपयुक्त होगा ।

*२१-२३---श्री द्विजेन्द्रनारायण (जिला बाराबंकी)---

[वापस ले लिये गये ।]

*२४---श्री जगन्नाथ राव---

[१९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया ।]

मछली की दूकानें

*२५---श्री कल्याणचन्द्र मोहिले (जिला इलाहाबाद)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन जिलों में फिश डिपो खोले गये हैं ?

श्री शिवराजसिंह---

राज्य के लखनऊ, जौनपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, झांसी, आगरा, बरेली, नैनीताल तथा देहरादून जिलों में मछली की सरकारी दुकानें खोली गयी थी जिनमें से लखनऊ तथा नैनीताल की मौसमी दूकान को छोड़ कर शेष दूकानों को जुलाई, १९६२ से बन्द कर दिया गया है ।

*२६---श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश भर के फिश डिपो में कितने कर्मचारी कार्य करते हैं? उनमें कितने स्थायी हैं और कितने अस्थायी हैं ?

श्री शिवराजसिंह---

मछली की दूकानों को विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों द्वारा ही चलाने की व्यवस्था की गयी थी । अलग से किसी कर्मचारी की इसके लिये नियुक्ति नहीं की गई ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दूकानें बन्द करने का कारण क्या हैं ?

श्री शिवराजसिंह---

इसके लिये अलग से कोई स्टाफ नहीं रखा गया था । विभागीय कर्मचारी इसे चला रहे थे । तीसरी पंचवर्षीय योजना में मछली-पालन कार्य का विस्तार हुआ और उन्हें इन कर्मचारियों के लिये चलाना सम्भव नहीं रहा । जिन जलाशयों में पहले सरकार स्वयं फिशिंग किया करती थी उन्हें कोआपरेटिव सोसाइटियों को दे दिया गया है और अब यह मुनासिब नहीं समझा गया कि सरकारी विभाग किसी प्रकार से इन सहकारी समितियों से किसी प्रकार का कोई कम्पीटीशन करे । इसलिये ये दूकान बन्द कर दी गई हैं ।

श्री रघुवीर---

जो कर्मचारी अभी तक अस्थायी हैं उन्हें स्थायी करने में सरकार को क्या दिक्कत है ?

श्री शिवराजसिंह---

इससे यह सवाल पैदा नहीं होता है, विभाग की नीति और प्रोग्राम के आधार पर स्थायीकरण होता है ।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

कृपा करके मंत्री जी बतावेंगे कि जिला इलाहाबाद जिले में मत्स्य पालन के लिये कोई सहकारी समिति बनी है और वहां जो इमारत सरकार ने बनवाई है उसका वह क्या कर रही है ?

श्री शिवराजसिंह---

इमारत कहीं नहीं बनवाई थी । लेकिन जहां सरकारी दूकानें बन्द हो गई और जिन जलाशयों से विभाग द्वारा अब फिशिंग नहीं किया जाता है वहां सहकारी समितियां काम करती हैं ।

श्री सत्यनारायण पांडेय---

प्रयाग में क्या कोई मत्स्य की सहकारी समिति खुली है और तब यह सुविधा हटाई गई ?

श्री शिवराजसिंह---

सूचना की आवश्यकता है ।

श्री मैनेजरसिंह---

यह देखते हुये कि प्रयागराज में मछली की मांग बढ़ती जा रही है, जैसा माननीय गुरुजी ने और माननीय सत्यनारायण जी पांडेय ने कहा, क्या कृषि मंत्री जी वहां पुनः डिपो खुलवाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराजसिंह---

इलाहाबाद में जिस कदर मछली की मांग बढ़ती जा रही है उसी अनुपात से पैदावार भी बढ़ती जा रही है । इसका प्रमाण यह है कि वहां कोल्ड स्टोरेज में रखने के लिये पर्याप्त मात्रा में मछली नहीं मिल रही है चूंकि वहां के निवासी सब हजम कर जाते हैं ।

श्री कल्पनार्थासिंह---

जहां सहकारी समितियों को यह काम दिया गया है वहां क्या सरकार को घाटा था या मुनाफा, और कितना ?

श्री शिवराजसिंह---

नो-प्राफिट-नो-लास बेसिस पर यह काम होता था । जितना खर्चा बीज, फिशिंग, ट्रान्सपोर्ट इत्यादि पर होता था उस पर कीमत लगा कर मछली बेची जाती थी ।

श्री ऊदल---

क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि सन् १९५६ में विभाग ने ४ शीतलगृह मछली रखने के लिये, लखनऊ में, २५ हजार की इमारत और ६३ १/२ हजार की मशीनरी से बनाया, तथा आगरा, वाराणसी और गोंडा में बनाये, उन पर लाखों रुपया खर्च हुआ और सन् ६० तक एक भी मछली उनमें नहीं रखी गई, इसका क्या कारण है ?

श्री शिवराजसिंह---

इस नये सवाल के लिये नोटिस चाहिये ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय कृषि मंत्री स्वयं इस बात पर ध्यान देंगे कि अच्छे प्रकार की मछली इन जगहों पर रखी जावें और लोगों को उपदेश देने से पहले स्वयं उन्हें इस्तेमाल करने की कृपा करेंगे ?

श्री शिवराजसिंह---

विभाग द्वारा अच्छी मछली पालने की ही कोशिश की जाती है और माननीय सदस्य अगर कोई सुझाव देंगे तो उस पर विचार किया जायगा ।

*२७---श्री विजयसिंह (जिला जालौन)---

[६ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*२८-२९---श्री विजय सिंह---

[१९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये ।]

बस डिपो, महोबा के कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत

*३०---श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)---

क्या परिवहन मंत्री बस डिपो महोबा (हमीरपुर) के कर्मचारियों की अव्यवस्था व अनुशासनहीनता को सुचारुरूप से चलाने की कृपा करेंगे और जनता द्वारा आपत्ति पुस्तिका मांगने पर तुरन्त आपत्ति पुस्तिका दिये जाने की व्यवस्था करेंगे क्योंकि महोबा बस डिपो में तथा चलने वाली बसों में आपत्ति पुस्तिका मांगने पर नहीं दी जाती जिसकी यही वजह है कि जनता कोई आपत्ति नहीं कर पाती ?

परिवहन मंत्री के सभा सचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)---

रोडवेज के समस्त कर्मचारियों को आदेश हैं कि मांगने पर तुरन्त आपत्ति पुस्तिका दी जाय । इन आदेशों की अवहेलना पर कर्मचारियों को उचित दंड दिया जाता है ।

श्री मदनपालसिंह---

क्या माननीय परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके पास ऐसे कोई शिकायती पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

सन् ६२ के वर्ष में ४ शिकायतें तो पुस्तिका के न देने की आई हैं । उनमें से २ सही पाई गईं । उन पर उचित कार्यवाही की गई । २ झूठ पाई गईं । इसी बीच में अनुशासनहीनता की ८ शिकायतें आईं और उन पर उचित कार्यवाही की गई ।

श्री काशीनाथ मिश्र---

मंत्री जी को किस जरिये से पता चला कि आपत्ति पुस्तिका मांगने वाली शिकायत निराधार हैं और रोडवेज के अधिकारियों ने नहीं दिया ?

श्री गनेशी लाल चौधरी---

जांच के आधार पर ।

श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय---

जो मंत्री जी को ४ शिकायतें मिलीं वे किन-किन की थीं और २ शिकायतों पर जिनमें कार्यवाही की गई वह क्या कार्यवाही की गई अधिकारियों के खिलाफ ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

पहली शिकायत तो श्री एम० ए० जलील, सब-इन्सपेक्टर अवकाश प्राप्त, मोदहा हमीरपुर की है। उनकी शिकायत थी कि बुकिंग क्लर्क, हमीरपुर ने मौदहा का टिकट नहीं दिया तथा शिकायत पुस्तिका उपलब्ध नहीं थी। इस पर जांच की गई। कथित बुकिंग क्लर्क अपनी असावधानी और पुस्तिका न देने के लिये दोषी पाया गया और उसे भविष्य के लिये चेतावनी दे दी गई। तीसरी शिकायत थी रामेश्वरलाल, ओवरसियर, पी० डब्ल्यू० डी०, कानपुर की जिसमें कहा गया था कि उनको गलत टिकट दे दिया जिससे उनको असुविधा हुई। पुस्तक मांगी गयी लेकिन नहीं दी गयी। इसमें शिकायत पुस्तक न देने के लिये बुकिंग क्लर्क को चेतावनी दे दी गयी है और टिकट का मूल्य ३.७२ रुपया वापस करने के आदेश दे दिये गये हैं।

चौथी शिकायत श्री एस० एस० निगम, बांदा की थी कि उनके साथ स्टेशन कर्मचारियों ने दुर्व्यवहार किया, शिकायत पुस्तक मांगी लेकिन वह भी नहीं दी गयी। लेकिन उन्होंने यह शिकायत, शिकायत पुस्तिका में ही दर्ज की। बात यह थी शिकायत कर्त्ता और रिक्शे वाले से स्टेशन गेट पर झगड़ा हो गया था जिसको कर्मचारियों ने शांत करा दिया। शायद इसी से नाराज होकर उन्होंने शिकायत कर दी।

एक शिकायत श्री जंगबहादुर ने यह की कि महोबा की बस समय से पहले छूट गयी। हो सकता है शिकायत कर्त्ता और स्टेशन की घड़ी में कुछ अन्तर रहा हो। शिकायत पुस्तिका स्टेशन इंचार्ज के कमरे में बन्द थी। क्लर्क ने उनसे कहा कि आप एक सादा कागज पर शिकायत लिख कर दे दीजिये और उसकी आपको रसीद दे दी जायगी। इसमें भी शिकायत की जांच हुई और कर्मचारी निर्दोष पाया गया।

अन्तर्जातीय तथा बाल विधवा विवाह

*३१---श्री चन्द्रबलीसिंह---

न्याय मंत्री बतायेंगे कि क्या अंतर्जातीय शादी करने वाले लड़की लड़कों को प्रोत्साहनार्थ नौकरी, रोजगार, मकान तथा शिक्षा आदि में विशेष सहायता देने की कोई योजना है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो ऐसी योजना बनाने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री सैयद अली जहीर---

जी नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है और न उसकी कोई आवश्यकता ही प्रतीत होती है।

*३२---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या न्याय मंत्री बाल विधवाओं की शादी को प्रोत्साहन हेतु कोई कदम उठाने की बाबत सोच रहे हैं ? यदि हां, तो वह क्या ? यदि नहीं, तो सरकार के सामने क्या कठिनाई है ?

श्री सैयद अली जहीर---

जी नहीं, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है और न उसकी कोई आवश्यकता ही प्रतीत होती है।

पशुपालन विभाग में स्टाकमैनी के प्रशिक्षार्थियों को वजीफा न मिलना

*३३---श्री कोतवालसिंह भदौरिया (जिला फर्रुखाबाद)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पशु पालन विभाग में स्टाकमैनी की ट्रेनिंग में हर ट्रेनिंग लेने वाले को वजीफा के रूप में कुछ सरकारी सहायता मिलती थी जो अब रोक दी गई है ? ऐसा क्यों ?

नोट---तारांकित प्रश्न ३० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)—

जी हां, पशुपालन विभाग में स्टाकमैन की ट्रेनिंग लेने वाले व्यक्तियों को २० रुपया प्रति माह वजीफे (stipend) के रूप में मिलने वाली सहायता उन व्यक्तियों के लिये जो अब भरती किये जायंगे रोक दी गई है चूंकि अब पढ़े-लिखे लोग काफी संख्या में उपलब्ध हो रहे हैं तथा ट्रेनिंग के बाद तुरन्त ही उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। इसलिये इस ट्रेनिंग करने वालों के लिये वजीफा देना वर्तमान संकटकाल में उचित नहीं समझा गया।

*३४—श्री कोतवालसिंह भदौरिया—

क्या सरकार इस संबंध में कुछ विचार करेगी कि इस महंगाई के समय ट्रेनिंग लेने वालों को सरकारी सहायता दी जाय ?

श्री चरणसिंह—

इस संबंध में सरकार इस समय कोई विचार नहीं कर रही है।

*३५-३६—श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)—

[१९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

*३७-३९—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा) तथा (श्री कल्पनाथसिंह)—

[१९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

मुख्य लेखा अधिकारी, कृषि विभाग

*४०—श्री केशवसिंह (जिला शाहजहांपुर) तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य लेखाधिकारी, कृषि विभाग के अस्थाई पद का चुनाव किस प्रकार किया गया और क्या उसमें वित्त लेखा सेवा के भी योग्य अधिकारी चुनाव हेतु बुलाये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरणसिंह—

मुख्य लेखा अधिकारी, कृषि विभाग का पद २२ मई, १९५९ को भरा गया। प्रथम नियुक्ति श्री के० बी० भटनागर की हुई जो कृषि विभाग के उस समय ज्येष्ठतम लेखा अधिकारी थे। उनके अवकाश ग्रहण करने पर श्री श्रीराम को, जो उस समय ज्येष्ठ लेखा अधिकारी थे इस पद पर नियुक्त किया गया। बाद को लोक सेवा आयोग ने भी कृषि विभाग के लेखाधिकारियों में से चुनाव किया और श्री श्रीराम की नियुक्ति की स्वीकृति प्रदान की। कृषि विभाग में काफी योग्य लेखाधिकारी हैं। अतः वित्त लेखा सेवा के अधिकारियों को बुलाने की आवश्यकता न थी।

*४१—श्री केशवसिंह तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या यह सत्य है कि मुख्य मंत्री ने मुख्य लेखा अधिकारी, कृषि विभाग के पद पर योग्य वित्त लेखा सेवा के अधिकारी को ही नियुक्त करने की कोई लिखित आज्ञा दी थी ? यदि हां, तो उसे कार्यान्वित क्यों नहीं किया ?

श्री चरणसिंह—

जी नहीं। प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*४२—श्री केशवसिंह तथा श्री सुरेन्द्रविक्रम—

मुख्य लेखाधिकारी, कृषि विभाग का पद कब से स्थाई हुआ है और उसे अब तक वैधानिक रीति से लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा विज्ञापन निकलवा कर योग्य अधिकारी को नियुक्त करने की कोई भी कार्यवाही सरकार ने की या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चरण सिंह---

कृषि विभाग के मुख्य लेखा अधिकारी का पद १ अप्रैल, १९६२ से स्थाई हुआ है। सरकार ने यह निर्णय किया कि इस पद पर स्थाई नियुक्ति पदोन्नति द्वारा की जाय। अतः किसी विज्ञापन निकलवाने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसको पदोन्नति द्वारा भरने की मुनासिब कार्यवाही हो रही है।

नीमसार के सीमावर्ती क्षेत्र से बहेतू गायें पकड़ने की प्रार्थना

*४३---श्री डल्लाराम (जिला सीतापुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नीमसार तीर्थ क्षेत्र की समीपवर्ती ग्राम सभाओं ने एक प्रार्थना-पत्र जिलाधीश सीतापुर को इस आशय का दिया था कि वहां पर जंगली गायें फसल को बेहद नुकसान पहुंचा रही हैं। उनको सरकार द्वारा पकड़वा कर दूसरे उपर्युक्त स्थान पर भेज दिया जावे और इसमें खर्च होने वाला पैसा संबंधित ग्राम सभाओं से प्राप्त कर लिया जावे। इस पत्र पर जिलाधीश सीतापुर क्या कार्यवाही कर रहे हैं या कब तक करेंगे ?

श्री चरणसिंह---

इस आशय की सूचना श्री जमुना प्रसाद यादव द्वारा जिलाधीश को मुडेरी कैम्प पर प्राप्त हुई थी। इस विषय में जांच के बाद मालूम हुआ कि यह गायें जंगली नहीं, वरन् वहां के निवासियों की हैं जिसको वे खुला चरने के लिये छोड़ देते हैं। पशु पालन विभाग की गाड़ी जानवर लादने हेतु कई बार गई परन्तु एक भी जानवर न तो वहां की जनता ने पकड़ कर दिया और न किसी ग्राम सभा ने इस विषय में रुचि प्रकट की। यदि संबंधित ग्राम सभायें इस विषय में सहायता के लिये अब भी प्रस्तुत हों तो विभाग द्वारा वे प्रदेशीय गो-सदन पहुंचाई जा सकती हैं।

इलाहाबाद का अल्फ्रेड पार्क

*४४---श्री झारखण्डेराय (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इलाहाबाद महानगरपालिका की ओर से कोई प्रस्ताव इस प्रकार का उसे प्राप्त हुआ है कि शहर के अल्फ्रेड पार्क का नाम अमर शहीद सेनापति चन्द्र शेखर आजाद के नाम पर 'आजाद' पार्क रख दिया जाय ?

श्री चरणसिंह---

जी नहीं।

श्री झारखण्डेराय---

यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या निर्णय कर रही है ?

श्री चरणसिंह---

प्रश्न नहीं उठता है।

अतारांकित प्रश्न

१-२---श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय---

[१९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किये गये।]

३---श्री गंगाप्रसादसिंह---

[१९ मार्च, १९६३ के लिये स्थगित किया गया।]

रुद्रपुर क्षेत्र से बरसाती पानी निकालने की प्रार्थना

४---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिले के रुद्रपुर के कानूनगो बाई के टंडवां और पनिहरपुर गांवों के बीच के ताल में भारी वर्षा के बाद इकट्ठा पानी के कारण डेढ़ हजार एकड़

भूमि की फसल डूब जाती है? और टंडवां, ततेरिया और पनिहरपुर, की आबादी को खतरा उपस्थित हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उस ताल के पानी की निकासी के लिये कोई पक्की नाली बनाने को सोच रही है ? यदि हाँ, तो यह काम कब तक पूरा होगा ?

श्री राममूर्ति---

वर्षा का पानी टंडवां, मनिहारपुर तथा सकटापुर गांवों के लगभग १५०० एकड़ निचली भूमि में एकत्रित होकर लगभग ५०० एकड़ भूमि को क्षति पहुंचाता है। इस समस्या को हल करने के लिये वहां के कृषकों ने एक २ फलांग लम्बी नाली रुद्रपुर--बरहज सड़क तक खोद रक्खी है। विभाग द्वारा कोई नाली बनाने का प्रस्ताव नहीं है ।

५---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उस ताल से जो नाली निकाली जायेगी उसके मार्ग में रुद्रपुर--बरहन सड़क पड़ती है ? यदि हां, तो उस पर पुल का निर्माण कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---

प्रश्न का प्रथम भाग---जी हां ।

प्रश्न का द्वितीय भाग---इस समय पुल बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

६---श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जिला के रुद्रपुर कानूनगो वाई के तरैनीताल से फसलों की रक्षा के लिये जनता ने श्रमदान से कोई नाली निकाल कर वर्षा से जमा होने वाले पानी को नकटा नाला में गिराने की व्यवस्था की है ?

श्री राममूर्ति---

जी हां ।

७---श्री चन्द्रबलीसिंह---

यदि हां, तो सरकार उस नाली को पक्की बनाने का विचार कर रही है और उससे कितनी एकड़ जमीन को लाभ पहुंचेगा ?

श्री राममूर्ति---

जी नहीं, आमतौर पर कोई भी ड्रेन पक्की नहीं बनाई जाती । कृषकों द्वारा बनाई गई नाली से लगभग १३० एकड़ भूमि लाभान्वित होती है।

बांदा जिले में रोडवेज कर्मचारियों का वेतन

८---श्री मतोलासिंह---

क्या परिवहन मंत्री को पता है कि बाँदा जिले के रोडवेज कर्मचारियों का दिसम्बर सन् १९६२ का वेतन आज तक नहीं दिया गया ?

श्री मुजफ्फर हसन---

वेतन दिनांक ५-१-६३ को दिया जा चुका है ।

९---श्री मतोलासिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त वेतन कब तक दे दिया जायगा ?

श्री मुजफ्फर हसन---

प्रश्न नहीं उठता।

१०---श्री भगवानदीन (जिला रायबरेली)---

[हटा दिया गया।]

जौनपुर जिले में राजनीतिक पेंशन

११—श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या परिवहन मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जौनपुर जिले की अलग-अलग तहसीलों में कितने-कितने व्यक्तियों को तथा कितनी-कितनी धनराशि राजनीतिक पेंशन के रूप में दी जाती है ?

श्री मुजफ्फर हसन—

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ७७० पर)

महोबा बस डिपो

१२—श्री मदनपालसिंह—

क्या परिवहन मंत्री को ज्ञात है कि महोबा से लखनऊ छूटने वाले मेल के अतिरिक्त महोबा बस डिपो (जिला हमीरपुर) में बसों के आने व जाने के समय की तथा बसों के साइनबोर्डों जो बसें जहां को जा रही हों सही लगाने की कोई पाबन्दी नहीं है ? यदि हां, तो इसे सूचना मान कर जांच कराने की कृपा करेंगे और समय की पाबन्दी कराने की व साइनबोर्डों को सही लगाने की कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

सामान्यतः सभी गाड़ियों में आने जाने के समय की पाबन्दी की जाती है तथा गंतव्य स्थलों की सूचना देने वाले बोर्ड भी लगाये जाते हैं। दुर्घटना आदि जैसी विशेष स्थितियों में जो कठिनाई हो जाती है उनको भी कम करने का प्रयास किया जाता है।

१३—श्री मदनपालसिंह—

क्या परिवहन मंत्री जांच करने की कृपा करेंगे कि महोबा (जिला हमीरपुर) बस डिपो में ड्राइवरों व कन्डक्टरों को माह नवम्बर-दिसम्बर, सन् १९६२ का रात डयूटी का भत्ता का पैसा नहीं बांटा गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री महोदय तुरन्त उपरोक्त भत्ता बंटवाने की व्यवस्था करने की कृपा करेंगे ?

श्री मुजफ्फर हसन—

भुगतान २५ फरवरी, १९६३ को कर दिया गया।

कृषि फार्म, रुद्रपुर का आय-व्यय

१४—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या कृषि मंत्री कृपा करके यह बतायेंगे कि रुद्रपुर सरकारी फार्म में सन् १९६१–६२ में कितने एकड़ पर कृषि कार्य हुआ और अनाजों की कौन सी किस्में कितनी-कितनी पैदा हुईं ?

श्री चरणसिंह—

१४४०५.७५ एकड़ भूमि पर कृषि कार्य हुआ और निम्नलिखित अनाजों की उपज हुई :

अनाज का नाम	उपज की मात्रा (मनों में)
१—गन्ना	१५,१२,०९१
२—धान	६,५००
३—मक्का	४,८२५
४—ढैंचे का बीज	८६९

अनाज का नाम	उपज की मात्रा (मनों में)
५—सन का बीज	९६२
६—लोबिये का बीज	९
७—ज्वार का बीज	१८
८—माइलो का बीज	२६५
९—मक्वरी (घास का बीज)	७
१०—गेहूं	३ ३,३४७
११—जई	१,८८४
१२—मटर	३,३४२
१३—चना	१,१९७
१४—तारा-मीरा और चना (मिलवां)	३
१५—सरसों पीली	२८
१६—लाही	७,५३४
१७—लाही और चना (मिलवां)	४८९
१८—हरी मटर	८३६
१९—ज्वार और बर्सीम पशुओं का चारा	१३,११७
२०—जौ	५,१२१
योग ..	१५,९२,४४४

१५—श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या कृषि मंत्री कृषि फार्म, रुद्रपुर के वार्षिक खर्च और आय की एक रिपोर्ट सदन की मेज पर व्योरेवार रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह—

१९६१-६२ के व्यय तथा प्राप्तियों का व्योरा नीचे दिया जाता है :

(क) व्यय की मद

	रु०
१—अधिकारियों का वेतन	३३,२६३
२—कर्मचारियों का वेतन	३,४९,१२३
३—महंगाई भत्ता	१,४४,३७३
४—यात्रिक भत्ता	९,२२५
५—मेडिकल एड	१४८
६—कार्यालय का आकस्मिक व्यय	१६,५०३
७—अन्य आकस्मिक व्यय	२२,७४,४५६
योग ..	२८,२७,०९१
(ख) राजस्व प्राप्तियां	११,५२,०९७

१६—श्री उमाशंकर तिवारी—

क्या कृषि मंत्री कृपया रुद्रपुर कृषि फार्म में लगे अस्थायी, स्थायी कर्मचारियों तथा वर्ष भर के मजदूरों की तादाद मय वेतन, मजदूरी के सदन की मेज पर रखेंगे ?

श्री चरणसिंह—

अभीष्ट सूचना नीचे दी जाती है :

(क)	अस्थाई कर्मचारियों की संख्या	३१०
(ख)	स्थायी कर्मचारियों की संख्या	४७
(ग)	साल भर में लगाये गये मजदूरों की औसत संख्या ..	७००

उपरोक्त कर्मचारियों तथा मजदूरों पर व्यय इस प्रकार है :—

	रु०
१—अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों पर व्यय ..	५,२६,७००
२—दैनिक मजदूर लगभग	३४,०००
	(प्रतिमास औसतन)

१७–१९—श्री कल्पनाथ सिंह—

[१९ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

२०—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

[१९ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

२१–२२—श्री ऊदल—

[६ठे गुरुवार के लिए प्रश्न ४९–५० के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

२३–२५—श्री शारदानन्द (जिला सीतापुर)—

[१९ मार्च, १९६३ के लिए स्थगित किये गये।]

देवबन्द तहसील में गुम्मापुर नलकूप से सड़क निकालने का विरोध

२६—श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मौजा शिवपुर, परगना नागल, तहसील देवबन्द जिला सहारनपुर में मो० गुम्मापुर के tube-well के लिये जो कि खसरा नं० २७३ में लगा हुआ है कोई Service Road बनाई जा रही है? यदि हां, तो वह किस-किस खसरा नम्बरान में से हो कर निकलेगी?

२७—क्या सरकार को यह मालूम है कि श्री हरिसिंह, पुत्र श्री मुल्तानसिंह, साकिन मो० शिवपुर ने उस Service Road के बनाये जाने पर कोई आपत्ति की है और Executive Engineer, Tube-well मुजफ्फरनगर तथा Chief Engineer, Meerut को कोई प्रार्थना-पत्र इस बारे में दिये हैं? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई?

२८—क्या सरकार इस बात को ध्यान में रख कर कि २७३ ख० नं० से Main Road पर पहुंचने के लिये ख० नम्बरान २७२, ६४५ से होकर फासला बहुत कम पड़ता है, आदेश देगी कि Service Road बनाते समय इस बात का भी ध्यान रखा जाय कि खर्चा कम से कम हो और यह सड़क Main Road से मिलते समय छोटी से छोटी हो?

श्री राममूर्ति—

जी हां। यह सड़क माजरा गुमानपुर के खसरा बन्दोवस्त के अनुसार खेत नं० २६२, २६०, २४६ तथा २७४ से होकर बनाये जाने के लिए प्रस्तावित थी। इस alignment को बदलने के विषय में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे। पहले प्रार्थना-पत्र पर जांच की गई किन्तु, चूंकि भूमि पर अधिकार इसके पहले ही मिल चुका था इसलिये प्रार्थना-पत्र खारिज कर दिया गया। परन्तु अब पुनः विचार के बाद यह आदेश जारी कर दिये हैं कि यह Service Road मूल प्रस्ताव के अनुसार न बनाई जाकर सब से छोटे alignment पर बनाई जावे।

२९---श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि ख० नं० २७५ पर unnecessary service road क्यों बनाई गई जब कि tube-well ख० नं० २६३ में बना हुआ है ?

श्री राममूर्ति---

खेत नं० २७५ पर कोई Service road नहीं बनाई गई है।

शाहजहांपुर जिले में सोत नदी का बांध

३०---श्री सुरेन्द्रविक्रम तथा श्री केशवसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शाहजहांपुर जिले में ब्लाक कलान के अन्तर्गत ग्राम लक्ष्मणपुर और ग्राम केलहा में सोत नदी पर हर वर्ष जो कच्चा बांध सिंचाई हेतु बनता है उसको पक्का करने के लिये सरकार ने कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री राममूर्ति---

जी नहीं।

नहवानीपुर नलकूप बन्द रहने से क्षति

३१---श्री गयाप्रसाद---

क्या सरकार को पता है कि रबी की फसल को जब पानी की अत्यन्त आवश्यकता थी उस समय वाराणसी जिलान्तर्गत नहवापुर नलकूप अकारण ही कई महीने तक बन्द रहा जिससे किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ी है ?

३२---यह नलकूप किस कारण और किस कर्मचारी की असवधानी से बन्द रहा ? क्या सरकार उसके सम्बन्ध में कुछ कार्यवाही करेगी ?

३३---क्या किसानों की क्षतिपूर्ति सरकार किसी रूप में करेगी ?

श्री राममूर्ति---

सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री नेकराम शर्मा द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)---

श्रीमन्, कल मेरी अनुपस्थिति में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कुछ शब्द कहे थे। मैं चाहता हूं कि उन शब्दों के सम्बन्ध में मैं अपना स्पष्टीकरण दे दूं। मुझे आशा है आप उसकी आज्ञा देंगे।

श्री उपाध्यक्ष---

आप केवल अपना पर्सनल एक्सप्लेनेशन दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा---

कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में यह चर्चा की कि आज हमारे विरोधी साथी जो जवाहरलाल जी की आज्ञा और फैसलों के खिलाफ खड़े होते हैं और वे सब से अधिक दिखाते हैं कि वे ही उनको सब से अधिक मानने वाले हैं और अन्य साथी जो वहां हैं वे जवाहरलाल जी के अनुयायी नहीं हैं, यह झूठ है।" श्रीमन् यह चीज बिलकुल गलत है। मैंने इस सदन में एक बार कहा था कि असेम्बली में मैं कांग्रेस के टिकट के लिये खड़ा नहीं हुआ। न उसके लिये मैं जवाहरलाल जी के पास गया और न पार्लियामेंटरी बोर्ड के किसी मेम्बर के पास टिकट मांगने के लिये गया। मैंने साफ कह दिया था कि मैंने इस्तीफा दिया है क्योंकि इस वक्त कांग्रेस जिन लोगों के हाथ में आ गयी थी। वे और मुख्य मंत्री जी ही गलत लोग हैं वे नेहरू जी के आदेश नहीं मानते। अभी हमारे दल के श्री चन्दन सिंह जी के लिये कह दिया कि उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैंने कोई अप्लीकेशन नहीं दी है न वे कांग्रेस में आना चाहते हैं, वे सदन में मौजूद हैं। जहां तक नेहरू जी की आज्ञा की बात है उनके दो.....।

श्री उपाध्यक्ष---

आप केवल पर्सनल बात ही कहिये। यह पर्सनल बात नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा---

मैं पर्सनल बात ही कह रहा हूं। जहां तक प्रधान मंत्री जी की आज्ञा का सवाल है ....

श्री उपाध्यक्ष---

यह सवाल नहीं उठता। आपके सम्बन्ध में जो गुप्ता जी ने कहा हो केवल उतना ही आप कहिये, उसी के बारे में सफाई दीजिये।

श्री नेकराम शर्मा---

मैंने इस सदन में यह कहा था कि नेहरू जी तो बहुत बड़े आदमी हैं और गुप्ता जी कोई आज्ञा दें तो उसको भी मैं टालने वाला नहीं हूं....

श्री उपाध्यक्ष---

यह कोई पर्सनल एक्सप्लेनेशन नहीं है ।

श्री नेकराम शर्मा---

अब आप देख लें कि गुप्ता जी मानते हैं नेहरू जी का आदेश या मैं मानता हूं। गुप्ता की हमारे साथियों को फोड़ रहे हैं बल्कि नेहरू द्वारा बनाये गये कांग्रेसी उम्मीदवारों को हराने और उनके विरोधियों को रुपये देने में नहीं चूकते। इसके गवाह श्री चरण सिंह जी हैं। सन् १९५७ में चौधरी साहब के खिलाफ गुप्ता जी ने एक कैंडीडेट को रुपया देकर खड़ा कराया था। (व्यवधान) इस बार गौतम जी तथा अन्य के विरुद्ध हराने को धन दिया।

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये ।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

उपाध्यक्ष महोदय, इस तरह की गलत बयानी और बेबुनियाद और झूठा बयान कि मैंने अपने सहयोगी साथी के विरुद्ध खड़ा होने के लिये किसी को रुपया दिया, यह उतना ही झूठा, गलत और बेबुनियाद है जितना कि और बातें जो कि हमारे माननीय सदस्य समय-समय पर इस सदन में कहते हैं। (व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

एक व्यवस्था का प्रश्न है ... (व्यवधान)

श्री नेकराम शर्मा---

चौधरी चरण सिंह और कांग्रेस के नेता इस बात को जानते हैं कि यह बात कहां तक सही है और कहां तक गलत है। (व्यवधान)

श्री दीपनारायणसिंह---

सदन दोनों के व्यक्तिगत आरोप के लिये जिम्मेदार नहीं है।

विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न आया है जो श्री नेकराम शर्मा ने उठाया है। मैं उनसे अर्ज करता हूं कि अभी मैंने उसको पढ़ा नहीं है, उसको मैं कल डील करूंगा और इस की प्रति मुख्य मंत्री जी के पास उन्होंने भेजी है या नहीं, अगर न भेजी हो तो भेज देंगे।

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास नियम ५२ के अन्तर्गत दो सूचनायें आयी हैं। उनमें से एक है श्री दयाराम शाक्य का, इसको मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

दूसरी माननीय नरसिंहनारायण पांडेय जी की एक सूचना है। इसमें जो विषय है वह सब केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है और इसलिये मैंने उसको डिसएलाउ कर दिया है, लेकिन सरकार के पास उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मेरा एक निवेदन है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप सुन तो लें । मेरा निवेदन यह है कि कल पार्लियामेंट में पंडित जवाहरलाल जी ने, जो भारत में प्रधान मंत्री है, श्री भगवत झा आजाद के प्रश्न के उत्तर में इस बात को स्वयं कहा कि मिट्टी का तेल नेपाल के रास्ते से चीन को जा रहा है . . . .

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी रूलिंग के बाद आप मेरी इजाजत के बिना इस तरह से नहीं बोल सकते ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

फिर आप बिना सुने हुए ही कैसे बतलाते हैं कि यह विषय केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

नेपाल और चीन की बात केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है ।

मेरी बिना इजाजत के जो माननीय सदस्य कह रहे हैं वह रेकार्ड न होना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मेरा एक प्वाइंट आफ आर्डर है । आपने श्री नरसिंहनारायण पांडेय की नियम ५२ की सूचना पर यह व्यवस्था की कि इस का संबंध केन्द्रीय सरकार से है लेकिन प्रादेशिक सरकार के पास आवश्यक कार्यवाही के लिये भेजे दे रहा हूं । तो मैं जानना चाहता हूं कि जब इस विषय का संबंध केन्द्रीय सरकार से था तो प्रादेशिक सरकार के पास आपने कौन सी कार्यवाही के लिये भेजा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसमें उन्होंने लिखा था कि नैपाल और चीन की तरफ तेल जा रहा है इसलिये उसके भाव बढ़ गये हैं लेकिन इसका मतलब यह कहीं नहीं है कि यू० पी० से ही नेपाल के द्वारा चीन जा रहा है । प्रधानमंत्री जी ने जो लोकसभा में कहा है मैंने उन पर भी गौर किया है, वह बिहार से भी जा सकता है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

उन्होंने स्पेसिफिक तौर से कहा है कि गोरखपुर, बस्ती और देवरिया से जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह कैसे मान लिया जाय ? उन्होंने गोरखपुर वगैरा का कहीं नाम नहीं दिया है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैं कहता हूं कि गोरखपुर, बस्ती देवरिया से जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष---

अगर जा भी रहा हो तो इसकी कोई सूचना नहीं है। मैंने इसको सरकार को इसलिये भेज दिया है क्योंकि इसमें यह लिखा है कि तेल के भाव ज्यादा हो गये हैं। इसके विषय में सरकार उचित कार्यवाही करेगी। यही मेरी रूलिंग इस विषय में है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मैं आपकी व्यवस्था पर क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। मैंने स्पेसिफिक लिखा है कि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और लखीमपुर खीरी के रास्ते से तेल जा रहा है जिसकी पुष्टि भारत के प्रधान मंत्री ने की है कि नेपाल के रास्ते से चीन को तेल जा रहा है। इस संबंध में नेपाल सरकार के पास तम्बीह गई है और होम मिनिस्टर की बातचीत भी वहां इस विषय पर हुई है।

श्री कल्पनार्थासिंह---

मेरा कहना यह है कि .....

श्री उपाध्यक्ष---

आपका जवाब हो गया, अब आप बैठ जायं। अब इस विषय में ज्यादा विवाद नहीं हो सकता मैंने व्यवस्था दे दी है, आप अब विराज जायं।

श्री कल्पनार्थासिंह---

श्रीमन्, पुनः व्यवस्था का प्रश्न पैदा हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष---

इस तरह की बात स्पीकर्स कांफ्रेन्स में भी उठी थी, बहुत से लोग व्यवस्था का प्रश्न उठाकर व्याख्यान देना चाहते हैं।

कृषि मंत्री (श्री चरणसिंह)---

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जब आप कोई बात कहते हैं तो बराबर हमारे दोस्त जिन को कि आप की रूलिंग पर मतभेद है वह खड़े रहते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ कर एक गुजारिश है कि जब तक वह खड़े रहें आप न बोलें और जब आप बोलें तो वह न खड़े रहें। अगर इस नियम का पालन पूरे तौर से होगा तो व्यवस्था कायम रहने में सहूलियत होगी।

श्री उपाध्यक्ष---

यह मैं मानता हूं लेकिन मुश्किल तो यह है कि वह तो बिना इजाजत के खड़े हो जाते हैं और बोलते भी रहते हैं, इसका कोई इलाज नहीं है। यह बहुत दिनों से उनका यह तरीका है लेकिन मैं आपकी बात मानने को तैयार हूं और माननीय सदस्यों से भी आशा करूंगा कि वह उचित रूप से कार्य करेंगे।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

मैं आपकी इजाजत से यह व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जो आपने फरमाया कि यह मिट्टी का तेल का मामला अन्तर्राष्ट्रीय मामला है तो मैं चाहता हूं कि मेरे मोशन को पढ़ दिया जाय जिससे सदन को पता लग जाय कि क्या उसमें अन्तर्राष्ट्रीय मामले के बारे में कहा गया है या प्रदेश के मामले में। मैं चाहता हूं कि आप उसे पढ़ दें।

श्री दीपनारायणसिंह---

एक मिनट आप मेरी सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष---

आपको इजाजत बोलने की नहीं मिली, फिर आप कैसे बोल रहे हैं। आप बैठ जायं।

श्री दीपनारायणसिंह---

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

जी नहीं, मैंन उसक लिये इजाजत नहीं दी है । आप कृपा करक बठ जाइये ।

अब, इस प्रस्ताव में अकेले तेल का प्रश्न नहीं है । नपाल के साथ चीन का भी जिक्र है जो अन्तर्राष्ट्रीय मामला है । जहां तक पढ़ने की बात है अगर हर एक माननीय सबस्य खड़े हो कर कहें कि पढ़िये, पढ़िये तो पढ़ने में तो कठिनाई होगी क्योंकि १२, १२ और १३, १३ प्रस्ताव आते हैं ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

तो उसमें मुश्किल क्या है ?

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप चुप रहिये, मैं बोल रहा हं । तो मैं कह रहा था कि १२, १२ और १३, १३ प्रस्ताव एक एक दिन में आते हैं तो मैं उनको पढ़ने का रिवाज तो डालना नहीं चाहता ।

जहां तक नैपाल और चीन का सवाल है, तेल वहां जाता है, जैसा आप कहते हैं तो यह अन्तराष्ट्रीय सवाल है और उससे इस प्रदेश का कोई ताल्लुक नहीं है । जहां तक तेल के भाव की बात है उसको मैंने उचित कार्यवाही के लिये सरकार क पास भेज दिया है । मेरा यह निर्णय अन्तिम है । अब मैं इस पर किसी को बहस करने की आज्ञा नही दूंगा । आइटम नं० ६, मुख्य मंत्री जी पेश करें ।

श्री दीपनारायणसिंह---

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष---

मैंने मुख्य मंत्री जी को बुला लिया है । अब नहीं हो सकता ।

श्री दीपनारायणसिंह---

क्या मैं व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा सकता ?

श्री उपाध्यक्ष---

नहीं, मैंने वह सब देख लिया है और अब व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री दीपनारायणसिंह---

आप सुन तो लें ।

श्री उपाध्यक्ष---

दीपनारायणसिंह जी, अब यह कायदे की बात नहीं है ।

श्री दीपनारायण सिंह---

मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं और केवल एक मिनट लूंगा ?

श्री उपाध्यक्ष---

केवल एक ही मिनट लेंगे न ?

श्री दीपनारायणसिंह---

जी हां । एक मिनट में ही कहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष---

अच्छा तो कहिये क्या कहना है आपको ।

श्री दीपनारायणसिंह---

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने कहा कि १०, १० और १२, १२ प्रस्ताव रोज आ जाते हैं, और उनको पढ़ना मुश्किल है । लेकिन उनको पढ़ने से एक बात हो जाती है कि जो आप निर्णय देते हैं जो व्यवस्थायें देते हैं उनको समझने में सदन को आसानी हो जाती है कहां तक उचित व्यवस्था बी गयी है और कहां तक अनुचित है ।

श्री उपाध्यक्ष--
आप विराजिये ।

श्री दीपनारायणसिंह---
इसलिये मैं चाहता हूं कि नियम ५२, नियम ५३ वगैरह में जो नोटिसें आवें उनको जरूर पढ़ दिया जाया करे ।

श्री उपाध्यक्ष--
आप विराजिये, यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है । मैंने लोक सभा की कार्यवाही भी देखी है और यहां पर भी देखा है कि सब सूचनाओं को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होती है । जो कोई खास हो या जिसमें मुझे कुछ शक हो तो उसके लिये अपनी जानकारी करने के लिये सूचना पढ़कर आपसे राय ले लेता हूं और तब निर्णय दे देता हूं । जब निर्णय दे देता हूं तब कोई बात उस पर नहीं होगी । (श्री दीपनारायणसिंह से)

अब आप बैठ जाइये (श्री रामकिशोर त्रिपाठी से)
आप बैठ जायं ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)--
मैं कई बार खड़ा हो चुका हूं । एक मिनट सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष--
जी नहीं । अब आप बैठिये । मैंने मुख्य मंत्री जी को आइटम नं० ६ पर बुलाया है वे अपना वक्तव्य अब देंगे ।

गोरखपुर तथा बस्ती जिलों में भारत-नैपाल सीमा पर तिब्बती शरणार्थियों के प्रवेश करने के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उप-मंत्री (श्री नवलकिशोर)--
माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वश्री जगन्नाथ राव, नरसिंहनारायण तथा काशीनाथ मिश्र द्वारा गोरखपुर तथा बस्ती जिलों की सीमा के पार नैपाल में तिब्बतियों के इकट्ठे होने के विषय में नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि इन व्यक्तियों के आने से विषम परिस्थिति उत्पन्न हो गयी है अथवा सुरक्षा के लिये खतरा पैदा होने की संभावना है जिसकी वजह से स्थानीय जनता में असुरक्षा आदि की भावना उत्पन्न हो गयी है । आरम्भ में ही मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रश्न पर निर्णय लेना कि तिब्बतियों को अथवा अन्य किसी विदेशी को किसी देश से भारत में आने की अनुमति दी जाय अथवा नहीं, पूर्णतया भारत सरकार के अधिकार में है । ऐसे विषयों में प्रदेशीय सरकार सामान्यतया भारत सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार ही कार्य कर सकती है । दूसरी बात यह है कि तिब्बती शरणार्थी अधिकतर मित्रता की भावना रखने वाले लोग हैं जो सहानुभूति के पात्र हैं क्योंकि यह अपने घरों से उजड़ गये हैं । फिर भी कितने शरणार्थियों को किसी समय आने की अनुमति दी जाय अथवा नहीं इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमारे पास उनके पुनर्वासन के लिये सुविधायें उपलब्ध हैं या नहीं, और हमारे पास क्या साधन हैं । जहां इतने अधिक जनसमुदाय का आना जाना लगा हो, सुरक्षा की समस्यायें तो उत्पन्न होती हैं परन्तु सरकार इस मामले में सतर्क रहती है । पर इसके कारण इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती कि वास्तविक तिब्बती शरणार्थी सभी प्रकार की सहानुभूति और सहायता के पात्र हैं ।

सरकार को प्राप्त सूचनाओं के अनुसार हमारी सीमा से कुछ दूरी पर नैपाल में लगभग ११०० से १४०० तक तिब्बती शरणार्थी ठहरे हुये हैं । इनमें से केवल ४ या ५ छोटी टुकड़ियों (groups) में शरणार्थियों ने भारत में आने की चेष्टा की । यह सत्य नहीं है कि उन सभी ने सीमा को पार करने की बार-बार चेष्टा की अथवा उनके द्वारा जबरदस्ती प्रवेश करने की कोशिश की गई हो । ऐसा कहा जाता है कि उनमें से कुछ ने यह व्यक्त किया कि उनको जो सुविधायें अब तक रेडक्रास सोसाइटी द्वारा नैपाल में दी जाती रही उनके बंद होने की संभावना है और इसलिये वे अपने पुनर्वास के लिये दूसरे स्थान ढूंढ़ रहे हैं । वे साधारणतया सीमा के पास खेमा डाले हुये हैं और शांत हैं । संभवतः परिस्थितियों की प्रगति को देख रहे हैं । यह सही नहीं है कि कुछ टुकड़ियों ने बस्ती तथा गोरखपुर जिलों में आकर जनस्वास्थ्य, सफाई तथा शांति और व्यवस्था के लिये समस्यायें पैदा कर दी हैं । यह भी सही नहीं है कि यह तिब्बती देवरिया और आजमगढ़ में आ गये हैं । एक साधारण घटना के अतिरिक्त जिसमें एक टोली एक मरे हुये भैंसे को ले गयी थी, ऐसी कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई है कि वे बलपूर्वक मवेशी उठा ले गये । सरकार इस संबंध में सतर्क है और भारत सरकार इस परिस्थिति से अवगत है ।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिस समय वे २७ दिसम्बर को गोरखपुर गये हुये थे, उस समय नौतनवां में एक तिब्बती पकड़ा गया था ? क्या उसके पास चीन के नक्शे उपलब्ध थे जिनको भारत सरकार ने जब्त कर लिया है और क्या उनमें नेफा और लद्दाख आदि को चीन का अंग बताया गया था ? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये जो शरणार्थी भारत में आने की चेष्टा कर रहे हैं उनपर रोक लगाने का विचार कर रहे हैं या जो इस प्रकार के शरणार्थी देवरिया, गोरखपुर, बस्ती आदि स्थानों में आकर ठहर गये हैं उनके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)---

सरकार इन तिब्बतियों के बारे में पूरी जानकारी रखती है और उस जानकारी के आधार पर वह सब कार्यवाही करती है जो देश और प्रदेश के हित में नितान्त आवश्यकीय है ।

श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर)---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो शरणार्थी आ रह हैं तिब्बत से उनके साथ बहुत से चीनी जासूस भी आ रहे हैं ? सुरक्षा की दृष्टि से क्या इस बात की जानकारी के लिये सरकार ने कोई व्यवस्था की है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मेरे पहले उत्तर में सारी बातें छिपी हुई हैं ।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

श्रीमन्, मैं बस्ती जिले का रहने वाला हूं इसलिये व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर प्रश्न कर रहा हूं । मुख्य मंत्री महोदय बस्ती जिले में गये थे । उस जिले का बार्डर बहुत लम्बा चौड़ा है और पुलिस के थाने वहां पर छः, छः और सात-सात मील की दूरी पर हैं इंटीरियर में, तो सुरक्षा को ध्यान में रखते हुये और इस बात को ध्यान में रखते हुये कि इस बात की संभावना है कि चीनी जासूस भी इन तिब्बतियों के साथ और वैसे भी आ सकते हैं, क्या सरकार के पास इसको रोकने के लिये, कम्यूनिकेशन्स और रोड्स बनाने के लिये कोई योजना है ? क्या कोई ऐसी योजना इस वर्ष है ताकि समय पर अपनी फोर्स या पुलिस वहां पहुंच जाय ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

सरकार इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियों के लिये पूरी मात्रा में जागरूक है। और जहां तक नैपाल का संबंध है वह हमारा मित्र देश है और जो मित्र देश के साथ हमारा व्यवहार होना चाहिये उस को रखने की हम चेष्टा कर रहे हैं। अन्य प्रश्न यदि कोई इस विषय में इस स्थिति में इस प्रकार से प्रस्तुत किये जाते हैं जिससे नैपाल को यह भासित हो कि भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश के निवासी उसे दुश्मन समझते हैं तो जो साथी इस प्रकार के प्रश्न करते हैं मैं समझता हूं वे अदूरदर्शिता का परिचय देते हैं और यदि मेरी धृष्टता न हो तो कभी कभी अबुद्धिमत्ता का भी परिचय देते हैं।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)---

क्या सरकार बतायेगी कि जो शरणार्थी नैपाल के रास्ते से आ रहे हैं और हमारे क्षेत्र के पास स्थित हैं उनके अलावा ६ तिब्बती ऐसे भी हैं जो नेफा साइड से होकर गोरखपुर होते हुये नौतनवां पहुंचे हैं और डिटेन किये गये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

जो इस विषय में कार्यवाही करनी चाहिये वह कार्यवाही सरकार के अधिकारी, चाहे पुलिस के हों या सिवीलियन्स हों, कर रहे हैं और इस कार्यवाही को इस सदन में प्रकाश में लाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री रामायणराय (जिला देवरिया)---

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री ने अपना विचार व्यक्त किया इस प्रश्न पर हमको कुछ गंभीरता से सवाल पूछने चाहिये और उनकी ओर से बोलते हुये उप-गृह मंत्री ने कहा कि जहां तक तिब्बतियों का सवाल है वे बहुत भोले-भाले हैं उन्हें हमारी सहानुभूति की आवश्यकता है। तो क्या मैं मुख्य मंत्री जी से जान सकता हूं कि इन भोले भाले तिब्बतियों के लिये उन्हें हमारी सहानुभूति भी चाहिये और वर्तमान परिस्थिति भी हमारी दृष्टि में है इन सब बातों को देखते हुये कोई एक स्थान पर उनको रखने और अपनी सहानुभूति के प्रदर्शन की योजना पर सरकार विचार कर रही है जिससे दोनों संभावनायें रुकें, बहुत से लोगों को जो संदेह हो रहा है उसकी गुंजायश न रहे और हमको अपनी सहानुभूति को चरितार्थ करने का अवसर मिल सके ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

सरकार को जो कार्य करना चाहिये वह कर रही है और मजबूती के साथ कर रही है वह सारे उन प्रश्नों को अपनी नजर में रख कर काम कर रही है जो प्रश्न इस समय इन शरणार्थियों के आने से उठ सकते हैं।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

मुख्य मंत्री जी का कल मैंने एक समाचार-पत्र म एक फोटो हाथ में बन्दूक लिये निशाना मारते हुये देखा था क्या इसी तरह का फर्जी इन्तजाम तो गोरखपुर और बस्ती में नहीं हो रहा है ? कहीं ऐसी ही सुरक्षा की व्यवस्था तो नहीं है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मुख्य मंत्री तो बन्दूक अभी तक चलाते नहीं रहे हैं, एक ही चीज चलाते रहे हैं और वह है राजनीतिक बन्दूक और उसमें सारे विरोधियों को परास्त करता रहा। और अब मैंने यह बन्दूक चीनियों के विरुद्ध उठायी है तो उसमें सफलता मिलेगी।

श्री कृष्णपालसिंह (जिला रायबरेली)---

श्रीमन्, बड़ी प्रसन्नता है अब तक मुख्य मंत्री दूसरों के कंधे पर रख कर बन्दूक चलाते थे, लेकिन अब स्वंय चला रहे हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान पंडित जवाहर लाल नेहरू के उस वक्तव्य की तरफ गया है जिसको उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से दिया है और यह कहा है कि शरणार्थी जो तिब्बत से आ रहे हैं ऐसी सूचना सरकार को मिल रही है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनमें कि चीनियों और तिब्बतियों में फर्क नहीं मालूम होता है इसलिये बहुत से चीनी तिब्बती रूप धर कर आ रहे हैं और उनके पास फोटो वगैरह मिल रहे हैं ? और उसके लिये सरकार को सतर्क रहना चाहिये और उन्होंने इस तरह की कोई सूचना प्रान्तीय सरकार को इस बारे में दी है जैसी कि नौतनवां में घटना हुई है जिसमें एक चीनी फोटो मिला है जिसमें हमारे देश के बहुत से हिस्सों को उसमें दिखाया गया है और जो एक तिब्बती के पास मिला है। तो क्या मुख्य मंत्री जी कोई सुनियोजित व्यवस्था इस तरह के कार्य की रोकथाम के लिये करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जहां तक इन शरणार्थियों का विषय है जो कार्य सरकार को करना है उसे वह बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता के साथ कर रही है।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मुख्य मंत्री ने मेरे प्रश्न के उत्तर में अबुद्धिमतापूर्ण तथा अदूरदर्शितापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल किया, पता नहीं क्यों ? मैं यह जानना चाहता हूं कि सारी सहृदयता तथा सहानुभूति होते हुये भी अगर यह आशंका होती हो तो बस्ती जिले में मुख्य मंत्री को जानकारी है कि मीन्स आफ कम्युनिकेशंस नहीं हैं तो क्या उन्होंने इस बात पर विचार किया है कि मीन्स आफ कम्युनिकेशंस बना दिये जायं ? यदि हां तो कितने समय में ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जितने पिछड़े हुये इलाके हैं उनमें सरकार मीन्स आफ कम्युनिकेशंस स्थापित करन की चेष्टा कर रही है और उनमें पूर्वी जिले तथा बस्ती जिला भी शामिल है। उनके पिछड़ेपन को दूर करने के लिये तेजी के साथ जहां जहां संभव हो सकता है सड़कें इत्यादि बनाने में और उसकी तैयारी में यह सरकार जुटी हुई है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)—

क्या माननीय मंत्री जी के पास इस बात की सूचना है कि ये जो तिब्बती शरणार्थी हैं वे अपना सम्पर्क यहां की कम्युनिस्ट पार्टी से बराबर रखे हुये हैं और उनके जरिये से चुपके-चुपके सीमा के इस पार आकर खुफियागीरी कर रहे हैं, इससे सरकार जागरूक है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मैं कल भी उपाध्यक्ष महोदय, सदन में निवेदन कर चुका था और आज फिर उस निवेदन को दोहराता हूं कि सदन में जितने सदस्य हैं वे सब चुन कर आये हैं और उनके विषय में किसी प्रकार का लांछन या आरोप का लगाना, उनकी कटु आलोचना करना यह सदन की मर्यादा के विपरीत बात है। इसलिये यह प्रश्न कटुता से भरा है और लांछन से भरा है, इसलिये इस विषय में कोई उत्तर देना न तो ठीक ही बात होगी और न इस प्रकार का प्रश्न करना ही इस सदन की पद्धति के अनुसार होगा।

कुंवर श्रीपालसिंह—

मैं यहां के सदस्यों के बारे में नहीं कह रहा हूं। कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में कह रहा हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी यहां के सदस्यों के ऊपर अपनी छत्रछाया रखे रहेंगे या पूरी कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर ?

सचिव, विधान सभा के अध्यक्षीय मंच पर श्री अध्यक्ष के साथ बैठने तथा उनको सुझाव देने के सम्बन्ध में श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

सचिव, विधान सभा के बारे में एक प्रश्न उठा था। उसके बारे में सदस्यों ने रूलिंग चाही थी। उसें मैं पढ़ कर सुना रहा हूं। "माननीय नरसिंह नारायण पांडेय ने ११ फरवरी, १९६३ को लिखित सूचना द्वारा एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था कि क्या हाउस का क्लर्क अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता को सदन के समक्ष राय, सलाह या आदेश, किसी भी प्रश्न पर जो सदन के अन्दर विचारणीय है, सदन के चलते रहते दे सकता है ?

और उसका ऐसा कार्य सदन के अपमान का प्रश्न नहीं बन सकता ?"

उसी दिन, अर्थात् ११ फरवरी, १९६३ को, इसी प्रश्न की व्याख्या करते हुये, उन्होंने सदन में यह कहा कि 'आदेश' शब्द, जिसका प्रयोग उन्होंने अपने लिखित प्रश्न में किया था, उससे उनका तात्पर्य 'डायरेक्शन' से है, अर्थात् उनका प्रश्न से मतलब यह है कि क्या Clerk of the House (सचिव) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता को राय या सलाह या डायरेक्शन (निदेश) उस प्रश्न पर दे सकता है या नहीं, जो सदन के चलते समय में उठे और विचाराधीन हो। मेज पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस के १६ वें संस्करण में पृष्ठ २५५ पर निम्न-लिखित वाक्य मिलते हैं—

"He (Clerk of the House) assists the Speaker and advises Members, in regard to questions of order and the proceedings of the House".

"हाउस का क्लर्क औचित्य प्रश्नों (Points of order) के सम्बन्ध में अध्यक्ष की सहायता करता है तथा सदन की कार्यवाही में सदस्यों को परामर्श देता है।"

फिर बसु की "Commentary on the Constitution of India" के चतुर्थ संस्करण, खंड २ के पृष्ठ ५४४ पर निम्नलिखित वाक्य हैं—

"The Clerk of the House of Commons holds an important and highly paid office. He is appointed by the Crown and is usually an expert having special knowledge in the history and procedure of the House. His principal function is to advice the Speaker, Minister, and other members of the House on matters of procedure.....In India the functions of the Secretary are generally similar.

"In general, it is the duty of the Secretary to advise the Speaker or Chairman in the matter of exercise of all the powers and functions that belong to the Speaker or Chairman."

"हाउस आफ कामन्स के क्लर्क का महत्वपूर्ण व उच्च वेतनवाही पद होता है। उसकी नियुक्ति, राज्याधिपति द्वारा होती है, और प्रायः वह अपने कृत्यों में दक्ष तथा सदन के इतिहास प्रक्रिया का विशेषज्ञ हुआ करता है। अध्यक्ष तथा सदन के सदस्यों को प्रक्रिया सम्बन्धित विषयों पर मन्त्रणा देना उसका प्रमुख कर्त्तव्य होता है।...भारत में भी सचिव के साधारणतया यही कर्तव्य हैं कि वह अध्यक्ष अथवा सभापति को अपने पद से सम्बन्धित समस्त अधिकारों व कृत्यों के बरतने में मन्त्रणा दे।"

Robert Rhodes James की पुस्तक 'An Introduction to the House of Commons के पृष्ठ ६८ पर इस प्रकार से Clerk of the House के कृत्यों का वर्णन किया गया है—

"The Clerk of the House devotes most of his time to advising the Speaker and Members on procedure and the business of the House, and running his own Department.....The Clerk advises the Speaker not only in the

House, but whenever questions of procedure or precedent arise. In the House he can lean back in his chair and whisper to the Speaker, or get up and stand beside the Chair.."

"हाउस का क्लर्क अपने अधिकांश समय को अध्यक्ष तथा सदस्यों को हाउस के कार्यों एवं प्रक्रिया के सम्बन्ध में परामर्श देने तथा अपने विभाग के संचालन में लगाता है....

क्लर्क, अध्यक्ष को केवल सदन में ही नहीं अपितु प्रत्येक समय जब कभी प्रक्रिया अथवा पूर्व दृष्टान्त (Precedent) सम्बन्धी प्रश्न उठता है, मन्त्रणा देता है। सदन में वह अपनी कुर्सी को पीछे झुका कर या अध्यक्षीय पीठ के समीप खड़े होकर अध्यक्ष को नीचे या धीमे स्वर में ऐसी मन्त्रणा देता है।"

फिर पृष्ठ ७० पर है कि--

"The Clerks are servants of the House, paid by the House.They are not Civil Servants and this distinction is important. Civil servants serve the Government, the Clerks serve the House and are protected by the privilege of the House.....The Clerks enjoy other exeptional advant ages. They are permitted to use almost all of the facilities in the Palace of Westminister available to Members, may enter the Chamber of the House at will when the House is sitting, and can either stand at the Bar, behind the Chair, or use part of the Members' gallaries."

क्लर्क सदन के सेवक हैं और सदन से वेतन पाते हैं। वे राज कर्मचारी (सिविल सर्वेंट) नहीं हैं और यह भेद महत्वपूर्ण है। राज कर्मचारी, राज्य शासन की सेवा में रहते हैं, किन्तु क्लर्क सदन की सेवा में। सदन के विशेषाधिकारों का संरक्षण सदन के क्लर्क को प्राप्त है। क्लर्कों को अन्य विशेष सुविधायें भी प्राप्त हैं। उनको वेस्ट मिनिस्टर पैलेस में वे सभी सुविधायें प्राप्त हैं जो सदस्यों को उपलब्ध हैं। वे स्वेच्छा से बैठक के समय सदन में प्रवेश कर सकते हैं, वे बार (Bar) पर खड़े हो सकते हैं, अध्यक्ष के पीछे खड़े हो सकते हैं या सदस्यों की दीर्घाओं का उपयोग कर सकते हैं।

उपर्युक्त वर्णन से स्पष्ट है कि सचिव अपने कृत्यों के सम्पादन करने के लिये अपने स्थान पर बैठे हुये अथवा मंच पर जाकर अध्यक्ष को राय और सलाह दे सकता है और मन्त्रणा देना उसका कर्त्तव्य है। सचिव की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है और वह सरकारी सेवक न होकर सदन का सेवक होता है, और उसका कोई राजनीतिक सम्बन्ध किसी दल विशेष या पार्टी से नहीं होता। वह सदन का सेवक दीर्घकाल पर्यन्त अपने स्थान पर कार्य करते हुये, अनुभव प्राप्त करता है और स्वाभाविक है कि वह संसदीय पद्धतियों और औचित्य प्रश्नों के सम्बन्ध में, सबको निष्पक्ष राय और सलाह दे। पार्लियामेंटरी प्रैक्टिस जो आजकल संसदीय पद्धतियों की आधारशिला है, के रचयिता और प्रणेता सर थामस अर्सकिन में, बृटिश पार्लियामेंट के क्लर्क आफ वि हाउस थे और अपने समय में श्रेष्ठ सचिवों में समझे जाते थे।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं समझता हूं कि सलाह और राय देना सचिव का कर्त्तव्य है और अपने कर्त्तव्य के पालन करते हुये उसके किसी काम से सदन के अवमान का प्रश्न नहीं उठता।

माननीय पांडेय जी का यह कहना कि सचिव अध्यक्ष को आदेश, निदेश या डायरेक्शन दिया करते हैं, ठीक नहीं है। सदन के कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष या अध्यक्षीय पीठ पर आसीन व्यक्ति ही पर है, उसके अधिकार में है कि वह सचिव का परामर्श माने या न माने। डायरेक्शन, आदेश या निदेश का प्रश्न ही नहीं उठता।

[श्री उपाध्यक्ष]

सदन में वक्तव्य देते समय माननीय नरसिंह नारायण पांडेय ने एक प्रश्न और नया उठाया कि क्या सचिव का अध्यक्षीय पीठ के समीप बैठना उचित है? यदि सचिव किसी अन्य स्थान पर बठकर परामर्श देने के हेतु अध्यक्षीय पीठ के समीप आ सकते हैं, अथवा अपने स्थान पर बैठे-बैठे अपने मत को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं, तो अध्यक्ष पीठ से हटकर समीप में सचिव के कुछ दूर बैठने से सदन की मर्यादा भंग नहीं होती। सुविधा की दृष्टि से सचिव के उक्त स्थान पर बैठने से सदन में कोई अड़चन नहीं पड़ती। जहां तक मुझे ज्ञात है, दीर्घ-काल से यह प्रथा निरापति चली आ रही है और इस प्रबन्ध में परिवर्तन करने का प्रश्न इससे पूर्व कभी नहीं उठाया गया, कदाचित् इस कारण से कि यह प्रबन्ध सदस्यों तथा अध्यक्ष पीठ दोनों के लिये सुविधाजनक सिद्ध होता रहा है। अतः मेरा निर्णय यह है कि हाउस का क्लर्क (Clerk of the House) अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या अधिष्ठाता को सदन में, सदन के चलते रहते, औचित्य प्रश्नों के सम्बन्ध में तथा प्रक्रिया के सम्बन्ध में मन्त्रणा दे सकता है और उसे मन्त्रणा देना चाहिये। उसके परामर्श को स्वीकार करना या न करना यह पीठासीन व्यक्ति के विवेक पर निर्भर है। सचिव के किसी भी कार्य से, जो उसके कृत्यों, कर्त्तव्यों से सम्बन्धित हों, सदन का अपमान व अवमान नहीं हो सकता। सचिव के अध्यक्षीय मंच पर अध्यक्ष के पीछे बैठना संसदीय परम्परा के विरुद्ध नहीं है और चूंकि दीर्घकाल से यह परिपाटी इस सदन में चली आई है तथा सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये सुविधाजनक सिद्ध होती रही है, अतः उसमें परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, माननीय नरसिंह नारायण पांडेय का जो व्यवस्था का प्रश्न था उसको इंटर-प्रेट करते हुये आपने व्यवस्था दी है। उनका व्यवस्था का प्रश्न यह था कि हाउस के कंड-क्शन में सचिव अध्यक्ष को आदेश नहीं दे सकता है, किसी बिजनेस के चलाने के प्रोसीजर में वह राय दे सकता है। इस पर आपने निर्णय नहीं दिया कि हाउस के संचालन में सचिव का कहां तक हाथ रहेगा। इस पर वह व्यवस्था चाहते थे। दूसरी बात यह है कि हिन्दुस्तान की किसी भी विधान सभा में सचिव अध्यक्ष के समकक्ष नहीं बैठता है। उत्तर प्रदेश विधान सभा में सचिव आपके पास बैठता है।

उपाध्यक्ष--

आप बैठिये, आप बैठिये। मिश्र जी, आप बैठिये।

श्री काशीनाथ मिश्र--

यहां नयी परम्परा डालेंगे उत्तर प्रदेश विधान सभा में?

३ दिसम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न २१-२३ के अनुपूरक

प्रश्न के उत्तर का शोधन

रसद उप मन्त्री (श्री बलदेवसिंह आर्य)--

उपाध्यक्ष महोदय, दिनांक ३ दिसम्बर, १९६२ को सर्वश्री जमादार सिंह तथा ऊदल द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१, २२, २३ के सम्बन्ध में श्री ऊदल ने अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि मन्त्रीजी को जानकारी है कि जो २१ नये पैसे बढ़ाये गये उसकी जगह पर जो कैश मेमो काटा है उसमें २५ नये पैसे लिये गये और १ रुपया जो आपका कहना है कि सेल्स टैक्स की जगह चुंगी का ले लिया गया। इस तरह की शिकायत है तो मन्त्री जी जांच करायेंगे कि जो इस तरह से हो रहा है उसको रोका जा सके?

उस समय सदन में उत्तर दिया गया था कि जी हां। कैशमेमो से ऐसा मालूम होता है कि ३ परसेंट सेल्स टैक्स अधिक लिया। २ नये पैसे जो चार्ज किये उसका विवरण कैश-मेमो में नहीं है। इसलिये जांच करानी पड़ेगी कि दो पैसे काहे के लिये।

उक्त उत्तर ठीक नहीं था जिसका बाद में पता चला। सही उत्तर इस प्रकार है:--

जी हां। जो २१ नये पैसे प्रतिमन राज्य सरकार द्वारा बढ़ाये गये हैं वह आटा की फुटकर बिक्री पर बढ़ाये गये हैं। कैशमेमो में बिल ने जो २५ नये पैसे प्रतिमन बढ़ा कर लिये हैं, वह ठीक लिए हैं क्योंकि थोक भाव में केन्द्रीय सरकार द्वारा इतनी ही वृद्धि की गयी है। चुंगी का एक रुपया नहीं लिया गया है। चुंगी निर्धारित दर पर ही ली गयी है। कैशमेमो में ३ प्रतिशत सेल्स टैक्स ठीक लिया गया है, १ प्रतिशत गेहूं पर दिया गया सेल्स टैक्स तथा २ प्रतिशत गेहूं से बने हुये माल की बिक्री पर सेल्स टैक्स। कैशमेमो में २ नये पैसे जो चार्ज किये हैं उसका विवरण उसमें नहीं है। इसलिये २ नये पैसे के विषय में जांच करानी होगी। मूल प्रश्न तथा उसका उत्तर संलग्न है।

१९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ३८––सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान

स्वायत्तशासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)––

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश स प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ३८–सार्वजनिक निर्माण–कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १,०२,२९,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३८––सार्वजनिक निर्माण कार्यों के लिये सहायक अनुदान के अन्तर्गत १,०२,२९,४०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ४५––प्रकीर्ण व्यय

श्री विचित्रनारायण शर्मा––

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ४५–प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ४,४३,८९,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदानसंख्या ४५––प्रकीर्ण व्यय के अन्तर्गत ४,४३,८९,७०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३०––राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य, अनुदान संख्या ३१––सिंचाई अधिष्ठान तथा अनुदान संख्या ४९––सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत

*सिंचाई मंत्री (श्री राममूर्ति)––

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा हो तो मैं तीनों मांगों को इकट्ठा पेश कर दूं।

श्री उपाध्यक्ष––

जी हां, पेश कर दीजिये।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राममूर्ति—

मान्यवर, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३०—राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अन्तर्गत १३,७७,२२,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३१–सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ६,३८,२८,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ४९—सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत १९,०६,२४,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

मान्यवर, यह मेरा सौभाग्य है कि पिछले साल की तरह इस वर्ष भी मैं सिंचाई के अनुदान आपके और इस आदरणीय सदन के सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं। हमारे देश में जब से स्वराज्य हुआ तब से निरन्तर इस सरकार का यह प्रयास रहा है कि केन्द्रीय सरकार की मदद से अपने इस प्रदेश में सिंचाई क साधन ज्यादा से ज्यादा बढ़ाये जायं। कुछ उसकी वजह यह भी थी कि जब दूसरी लड़ाई खत्म हुई उसके बाद हमारे देश में जिस अनुपात में आबादी बढ़ी, उस अनुपात में गल्ले की पैदावार नहीं बढ़ी जिसके फलस्वरूप बाहर के देशों से हमारे यहां गल्ला मगांना पड़ा और उसमें हमारा बहुत-सा रुपया बाहर जाने लगा। दूसरी बात यह भी थी और जो मौलिक बात थी कि यह प्रदेश कृषि प्रधान है। इसमें जराअत का काम और उसके जरिये से जीविकोपार्जन का साधन करीब-करीब ७४–७५ फीसदी आदमियों का ह और काफी और भी ऐसा तबका है कि जो खेती करने वालों पर आश्रित रहता है। इसलिये इस बात की आवश्यकता थी कि हम अपनी खेती बाड़ी के काम को अच्छा बनायें और तीसरी यह भी मौलिक बात है कि अगर हम अपने मुल्क के अन्दर कल कारखाने बढ़ाना चाहते हैं, मुल्क को इंडस्ट्रिलाइज करना चाहते हैं तो उसके रा-मैटीरियल के लिये, उसकी ओर उन्नति करने के लिये सबसे बड़ा जो हमारा बेस और बुनि-याद है वह मजबूत किया जाय। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये इस बात का निरन्तर प्रयास रहा है कि हम सिंचाई के साधनों को बढ़ायें और उससे हमारी खेती की पदावार अच्छी हो जिससे कि हमारे गरीब काश्तकारों के अन्दर स्वावलंबन आये। कुछ ज्यादा पैसा उनके पास आये, उनकी आमदनी बढ़े, और उनके रहन-सहन का स्तर कुछ ऊंचा हो। साथ ही साथ हमारा जो रुपया बाहर बेकार जाया करता है वह बचे और उस फारेन एक्सचेंज की मदद से हम कीमती कल कारखाने अपने यहां खड़े कर सकें। इस लिहाज से इस बात का विचार किया गया कि सिंचाई के सम्बन्ध में जो पुराने खयालात थे उनको बदला जाये।

इस प्रदेश में सिंचाई के साधन ज्यादातर पश्चिम के जिलों में और जो बीच का, मध्य का हिस्सा है, उसी में थे। लेकिन जब से हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुई और स्वराज्य हुआ तब से इस नीति को बदलकर इस बात की तरफ खास ध्यान दिया गया कि जो हमारे पूरब के, बुन्देलखंड के और पहाड़ी क्षेत्र हैं उन के सबके अन्दर भी सिंचाई का काम तेजी से बढ़ाया जाय। पहले और दूसरे प्लान में करीब ७२ या ७४ करोड़ रुपया खर्च किया गया और उसके फलस्वरूप करीब ७६ लाख एकड़ जमीन जिस पर सन् ४७ में सिंचाई के साधन थे, उससे बढ़कर १ करोड़ १८ लाख एकड़ जमीन के लिये सिंचाई के साधन उपलब्ध हुये। यह जरूरी है कि जो साधन हुये उनके इस्तेमाल में भी कुछ वक्त लगता है। यह तर्जुबे से देखा गया है कि सिंचाई के साधन उपलब्ध होते हैं तो उसके इस्तेमाल करने में भी कम से कम सात से दस साल तक लगा करता है। चूंकि हमारे यहां एक असाधारण परिस्थिति है इसलिये हम इस प्रयास में हैं कि इस टाइम के लिये क्या किया जाय जिससे जल्दी उसका इस्तेमाल हो। माननीय सदस्यों को भी स्मरण होगा कि पिछले दिनों एक बिल यहां पर आया था जिसको सब माननीय सदस्यों ने पास किया। उसके जरिये से सरकार को आपने यह हक दिया था और जनता को इस बात के लिये आगाह किया था कि अपनी नाली बनाकर वह पानी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें।

सन् १९४७ से और हमारा तीसरा प्लान जो चल रहा है इसके अन्त तक हम इस कोशिश में हैं कि करीब-करीब दुगुना पोटेन्शियल यानी १ करोड़ ३७ लाख एकड़ जमीन के लिये पानी हम सरकार के जरिये से तैयार कर दें, उपलब्ध करा दें। हमारी तो ख्वाहिश थी कि हम इसको १ करोड़ ४५ लाख एकड़ तक कर दें लेकिन जिस तरीके से फारेन एक्सचेंज की और दूसरी दिक्कतें जो हमारे सामने आ रही हैं, उससे मुझे ऐसा शुबहा होने लगा है कि शायद हम उस लक्ष्य तक न पहुंच सकें। सन् १९६१-६२ में जो काम हुआ है उसमें मैं सिर्फ इतना बतलाना चाहता हूं कि करीब ७ करोड़ ७० लाख रुपया सन् १९६१-६२ में खर्च हुआ और करीब ३ लाख एकड़ का पोटेन्शियल हमारे यहां बढ़ा और जो सेकेन्ड प्लान का काम बाकी रह गया था उसको पूरा किया गया और ईस्टर्न जमुना कैनाल, आगरा कैनाल, बाल्मीक सरोवर, जिरगो और अपर खजराओ पर जो काम चल रहा था यह काम समाप्त हुआ। इस वित्तीय वर्ष में हमारा लक्ष्य था कि हम १४ करोड़ ५३ लाख रुपया खर्च करें और फ्लड के सिलसिले में कुछ और काम करें तो हम बजाय १४ करोड़ ५३ लाख के अब सिर्फ १३ करोड़ १४ लाख का ही काम करेंगे। बल्कि शुबहा इस बात का हो रहा है कि इस १३ करोड़ १५ लाख में भी कमी हो जाय और वह करीब १३ करोड़ का ही काम होगा। उसकी वजह यह हुई कि करीब १।। करोड़ की स्कीम हमें अपनी छोड़नी पड़ी। हमारी इस तीसरी प्लानिंग में गंडक सरजू की जो बड़ी कैनाल थीं उनसे सरजू कैनाल को फिलहाल छोड़ना पड़ा क्योंकि केन्द्रीय सरकार की तरफ से कुछ रुपये में कमी हुई और जैसा मैंने अर्ज किया साधनों की भी कमी हुई इसी तरह से कुछ छोटी छोटी योजनायें और मिडिल सेक्टर में थीं जिनको टेक्नीकली अच्छी न होने की वजह से छोड़ना पड़ा। वह कुछ ऐसी थीं जिन पर बहुत कम रिटर्न था। तो इस इमरजेन्सी के वक्त में हमने उनको छोड़ रखा है। इस लिहाज से जो रुपया हमारे पास बाकी बचा उससे उस लक्ष्य को हमने सही तरीके से पूरा कर लिया है बल्कि माइनर इर्रीगेशन में १६ लाख का काम ज्यादा हो रहा है। इसी तरह से फ्लड सेक्टर था उसमें भी इस साल काम करने के लिये जो लक्ष्य था वह ९८ लाख रुपये का काम करना था लेकिन उसके बरखिलाफ १ करोड़ ३७ लाख रुपये का काम फ्लड सेक्टर में होगा। इस माने में जितना रुपया निर्धारित था इस वित्तीय वर्ष के लिये वह काम पूरा किया गया और उस काम को पूरा करने में हमारा शारदा सागर, जो दूसरे चरण में था, वह पूरा किया गया। नानक सागर योजना भी पूरी हो चुकी है और उसमें इस साल कुछ पानी भी भरा गया है। इसके साथ कुवानो पम्प और दोहरीघाट का काम भी पूरा हो गया है। अब जैसा मैंने अर्ज किया, अगले साल के लिये जो हमारा प्रोग्राम होगा उस काम के लिये जो हमने रुपया रखा है वह आपने इस बजट के लिटरेचर में देखा होगा। उसके सिलसिले में यह उम्मीद की जाती है कि जो हमारे पिछले काम चले आ रहे हैं वे काम भी हमारे पूरे होंगे और उन कामों के सिलसिले में, मैं यह भी बता दूं कि माताटीला डैम करीब करीब पूरा हो चुका है। उसमें कुछ गेट्स लग चुके हैं और लग रहे हैं। तथा वह जून तक पूरे हो जायेंगे। श्रीनगर ताल, ४० मील की धामपुर की नहरें, शाखायें ललितपुर की नहरें, क्युलारी ताल परती रेग्युलेटर और करकरी का तालाब और तराई भावर की ४० मील की नहरें, तथा गढ़वाल भावर स्टेट की २० मील की स्टेट और बहुत से काम हैं, जो कि पूरे करने का हमारा लक्ष्य है जो कि हमें पूरा करना है। उसके अलावा और भी बहुत से जरूरी काम हैं, जैसे हमारा रामगंगा का रिजरवायर। यह ६८ करोड़ रुपये से बनने वाली योजना है जिसमें फ्लड से बचने के साधन पैदा किये जा रहे हैं।

जब हमारी इमरजेंसी पिछले जमाने से शुरू हुई तो केन्द्रीय सरकार की तरफ से इस बात का दबाव शुरू हुआ कि इस योजना पर ढील कर दी जाय। लेकिन बड़ी कोशिश के बाद हम इस बात में कामयाब हुये कि यह योजना जिस रफ्तार से चल रही है उसी तरीके से चलती रहे। एक बात की जरूर दिक्कत हो रही है कि जिस मात्रा में हम को फारेन एक्सचेंज की जरूरत है, वह नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताऊं कि इस योजना के लिये ४ करोड़ रुपये के फारेन एक्सचेंज की जरूरत है, लेकिन अभी तक हम उसे पाने में कामयाब नहीं हुये हैं। यद्यपि केन्द्रीय सरकार

[श्री राममूर्ति]

की तरफ से यह आश्वासन है कि उतनी रकम हमारे लिये दी जायगी । देर के कारण हमारी मशीन आने में दिक्कत हुई है, और हम काम में काफी पिछड़ गये हैं । इस योजना के सिलसिले में सड़कें बन गई हैं । जो धामपुर के पास एक बड़ा पुल बनने वाला था, उसका काम पूरा हो गया है और एक पाइलट टनेल थोड़ी सी रह गई है और काम करीब करीब पूरा हो गया है । यह भी मैं आपको बता दूं कि लेबोरेटरी भी बन गई है और वर्कशाप भी कायम हो गयी है और बांध की बुनियाद के सम्बन्ध में भी काम चल रहा है । इन सब बातों के अलावा मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि हम इस साल में इसमें करीब-करीब १२२ लाख रुपया खर्च करने वाले थे, परन्तु अब हम इसमें २२२लाख रुपया खर्च करने का इरादा रखते हैं और उससे सम्बन्धित जो हमारी लोअर गंगा कैनाल है, जिसका कि कितनी मर्तबा यहां पर जिक्र भी हुआ है, उसकी शाखायें बढ़ाई जा रही हैं ताकि जब तक यह रामगंगा का काम पूरा हो, उससे पहले उन शाखाओं के जरिये से धान की पैदावार में मदद मिले । चूंकि धान के जमाने में पानी की कमी नहीं होती है, इसलिये जो मध्य क्षेत्र है, मैनपुरी, इटावा, इलाहाबाद, आदि आप को बता दूं कि इनमें धान की पैदावार में बड़ी ही तरक्की हुई है । जो माननीय सदस्य उन क्षेत्रों से आये हुये हैं, वह इस बात को अच्छी तरह से जानते होंगे । पहले तो उस इलाके में धान को लोग बड़ी मुश्किल से जानते थे, परन्तु अब पिछले कुछ सालों से यहां पर धान की पैदावार बड़ी अच्छी होने लगी है ।

दूसरी हमारी बड़ी प्रोजेक्ट गंडक कैनाल की है । यह भी १५ करोड़ से ज्यादा की है । आशा की जाती है कि करीब ६ लाख एकड़ जमीन के लिये इससे पानी मिलेगा। इस योजना पर सर्वे पूरा हो चुका है । जमीनें भी हासिल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कबूल इसके कि मूल नहर पर काम किया जाय, नैपाल बांध का बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वह इस नहर का एक हिस्सा है । वह जब तक नहीं बनता है, तब तक नहर की सुरक्षा नहीं हो पाती है । प्राइमरी वर्क सब पूरे हो चुके हैं, लेकिन नहरों पर खुदाई का काम नहीं शुरू हुआ है । अभी मैंने बताया था कि नैपाल से हमारे दिन प्रति दिन ताल्लुकात अच्छे होते जा रहे हैं और यह उम्मीद की जाती है कि वह जमीन महाराजा की तरफ से हमको मिलेगी । उसके कागजात भी दे दिये गये हैं और मैं समझता हूं कि थोड़े अर्से के बाद यह जमीन जब मिल जायगी तो हम प्रयास करेंगे और हमें यकीन है कि इस बरसात से पहले कम से कम वह हिस्से नैपाल बांध के पूरे कर लेंगे जिससे आगे का काम शुरू हो जाय और जो बरबादी गोरखपुर के जिलों की और नैपाल के हिस्से में हुआ करती है वह न हो । इस गंडक की योजना से गोरखपुर और देवरिया में आबपाशी होगी और जिस हिस्से में पानी के साधन नहीं हैं वहां पानी उपलब्ध होगा और पैदावार बढ़ेगी । माननीय सदस्यों को ज्ञात होगा कि प्रदेश की ८६ फीसदी धान की पैदावार पूर्वी जिलों में होती है जिसका एवरेज ईल्ड ५०० पौंड का है जबकि मद्रास प्रदेश में १,२०० पौंड का है । कारण यह है कि धान के लिये आवश्यक पानी मुयस्सर नहीं होता । सिंचाई हर प्रकार की फसलों के लिये एक इंश्योरेंस है । अगर पानी न बरसे तो उससे मदद मिलती है और बरसे तो धीरे-धीरे पानी मिलने से पैदावार बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें उर्वरक डाले जा सकते हैं और आजकल के जमाने का जो तकाजा है उसको हम पूरा कर सकते हैं ।

लोअर गंगा कैनाल जहां से शुरू होती है, नरौरा से, वह पुराना काम है और खासा पुराना होने से गिर भी सकता है । उसको रामगंगा की योजना के कारण बड़ा करना है । ४,४० लाख की स्कीम है, उस पर काम हो रहा है । पाइल ड्राईविंग का काम जारी है और निर्धारित लक्ष्य के पूरा होने की उम्मीद है । मेजा बांध, बौर बांध, मूसा खंड, जैमली इत्यादि बांधों पर काम हो रहा है । मेजा रिजरवायर से इलाहाबाद और मिर्जापुर की जमीन की सिंचाई होगी, मूसा से बनारस और गाजीपुर की । जैमली से झांसी जिले की महरौनी तहसील को पानी मिलेगा । ३०-३१ हजार एकड़ के लिये पानी मिल सकेगा और ढाई करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च होगा । पड़ौस में मध्य प्रदेश में टीकमगढ़ में भी ३-४ हजार एकड़ को पानी दिया जा सकेगा । यह मोटे तरीके से नहरों का प्रोग्राम है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मध्य प्रदेश २६ लाख रुपया नहीं दे रहा है जो वहां के लिये खर्च हुआ है ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

एक बात सूचित कर देना चाहता हूं कि बनारस में जब कोई काम होता है तो चन्दौली तहसील पर ध्यान दिया जाता है, बनारस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है । आप तो गये हैं दौरे पर और आश्वासन भी दे आये हैं ।

श्री राममूर्ति—

कुछ माननीय सदस्य नाबालिग लोगों की तरह बर्ताव करते हैं । सदन में अगर शान्ति के साथ जो मैं निवेदन कर रहा हूं पहले सुन लें, उसके बाद माननीय सदस्य अपने खयालात का इजहार करें । उसके बाद फिर मुझे एक बार मौका मिलेगा उनकी खिदमत करने का और मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा उनको बातों का जवाब दूं ।

अब इसके अलावा ट्यूबवेल्स के बारे में मैं कुछ जिक्र करना चाहता हूं । दूसरी पंचवर्षीय योजना में १,५०० ट्यूबवेल्स बनाने का हमारा लक्ष्य था, मगर वह उस योजना में पूरा नहीं हो पाया । वह लक्ष्य अब जाकर पूरा हुआ है । जो तीसरी योजना में १,०२० बनाने का लक्ष्य है, उसमें भी अभी ४२५ ही हैं बनाये जा रहे हैं । लेकिन माननीय सदस्यों को विदित होगा, उन्होंने अखबारों में भी पढ़ा होगा, पिछले जमाने में पार्लियामेंट में गाजीपुर के एक माननीय सदस्य ने पूर्वी जिलों के बारे में एक बड़ी दर्दनाक बात कही और जिसका असर केन्द्रीय सरकार पर हुआ । उसके फलस्वरूप प्लानिंग कमीशन के कुछ लोग हमारे प्रदेश में आये और उनका आग्रह है कि पूर्वी जिलों के लिये पानी के साधन और भी बढ़ाये जायं । हमारे प्रदेश में गन्ने की खेती बहुत ज्यादा होती है और करीब-करीब यहां ७७-७८ चीनी के बड़े कारखाने लगे हुये हैं । पिछले जमाने से कुछ दक्षिण के प्रदेशों में चीनी का काम बहुत बढ़ता जा रहा है । कुछ वहां खेती भी अच्छी होती है और गन्ने के अन्दर जो चीनी की मात्रा होती है वह भी ज्यादा होती है जिसकी वजह से वहां पर इस व्यवसाय की ओर रुझान काफी है । तो अब यह फिक्र की बात है, क्योंकि हमारे प्रदेश में एक बड़ा भारी व्यवसाय गन्ने का है और हम यह चाहते हैं कि यह व्यवसाय बढ़े । इसलिये हम इस कोशिश में हैं कि हम फैक्टरी एरियाज में और ट्यूबवेल्स लगायें ताकि उससे गन्ने की फसल को तथा और दूसरी फसलों को भी फायदा पहुंच सके । उन इलाकों में जहां लोग केवल एक ही फसल को पानी दे पाते हैं, उससे एकोनामी अच्छी नहीं होती । अगले दिनों में हमारी यह कोशिश होगी कि जो तीसरी योजना का लक्ष्य है, वह सब इस योजना में पूरा हो जायं तथा कुछ और नये ट्यूबवेल्स भी लगाये जायं ।

नलकूप चलाने में जैसा आपको मालूम है, हमें काफी नुकसान है । करीब-करीब साढ़े ३ करोड़ रुपये का घाटा हमें इन ट्यूबवेल्स के कारण हुआ है । अगर नहर विभाग को देखें तो उससे आज भी फायदा होता है । ट्यूबवेल्स एक मोटर की तरह है, नहर हमारी रेल की तरह हैं । यह फर्क दोनों में है । फिर ट्यूबवैल से तो नाप तौल कर पानी मिलता है । कुछ ट्यूबवेलों को छोड़कर, सभी पर हमें नुकसान हो रहा है । पश्चिम के ट्यूबवेलों पर तो ८०० रुपये से ८५० रुपये तक, मध्य एरिया में करीब दाई हजार तक, और पर्वी जिलों के ट्यूबवेलों पर करीब साढ़े ४ हजार रुपये का सालाना लास हमको होता है । मेरठ और मुजफ्फरनगर में, जहां कि ४-५ हजार घंटे ट्यूबवैल चलते हैं, वहां कुछ फायदा अवश्य रहता है । लेकिन जहां नहीं चलते या कम चलते हैं वहां नुकसान ही रहता है ।

इसके अलावा लघु सिंचाई योजनाओं पर भी हम इलाहाबाद, बनारस, अलीगढ़ आदि जिलों में काम कर रहे हैं उनके ऊपर हम ३० लाख रुपया खर्च करने जा रहे हैं । छोटे छोटे बांध, तालाब या रेग्युलेटर वगैरा बनाने के लिये भी कोशिश हो रही है । इसी प्रकार से पहाड़ी इलाकों में भी कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, गढ़वाल इत्यादि में । यद्यपि ये

[श्री रामूर्ति]

बहुत ही कास्टली स्कीम्स है फिर भी इनको किया जा रहा है। उनकी सर्वे आदि में वक्त लगेगा। हम चाहते हैं कि प्रदेश के कोने कोने में आबपाशी का काम हो इसीलिये सभी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं।

बाढ़ हमारे प्रदेश का एक अभिशाप है । गंगा, घाघरा, राप्ती, गंडक तथा उनकी सहायक नदियों से करीब करीब ५५ लाख एकड़ भूमि हर साल प्रभावित होती है और ७ हजार गांव तथा ६० कस्बे और शहरों पर बराबर बाढ़ का हमला होता रहता है । हमारे कुछ ड्रेन्स पहले से हैं और कुछ अब नये बनाये जा रहे हैं । इसके लिये पिछले जमाने में करीब साढ़े चार सौ मील के मार्जिनल बांध बनाये गये और करीब ४ हजार गांव ऊंचे उठाये गये । अभी तक बाढ़ कार्यों पर साढ़े बारह करोड़ रुपया खर्च हो चुका है । इस साल भी इसके लिये करीब एक करोड़ रुपया रखा गया है।

इसके अलावा ३८ लाख रुपया इसके लिये और निर्धारित किया गया है ।

पिछले कुछ दिनों से केन्द्रीय सरकार ने मैन पावर यूटीलाइजेशन स्कीम बनायी है । उसके अन्तर्गत भी ७०० गांव ऊंचे उठाये गये हैं । इस पर करीब ७४ लाख रुपया खर्च किया गया है। इसके अलावा अभी तक हमारा यह नियम था कि ५ मील से कम की ड्रेन स्थानीय लोगों को स्वयं निर्मित करनी पड़ती थी । अब हमने उस नियम को भी बदल दिया । अब एक मील तक के बांध पब्लिक द्वारा, ब्लाक डेवलपमेन्ट कमेटी और गांव सभाओं द्वारा निर्मित होंगे और उससे ऊपर के सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित किये जायेंगे । पिछले जमाने में जब से यह नियम बना था सदैव इस प्रकार की शिकायतें आती थीं कि इन कामों को बनाने में बड़ी उलझनें आती हैं इसलिये उस शिकायत को दूर करने के लिये हमको यह फैसला करना पड़ा ।

अपने लिटरेचर में यह भी पढ़ा होगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई विभाग करीब ४२ करोड़ रुपये का काम बिजली विभाग का भी करेगा क्योंकि सिविल वर्क सिंचाई विभाग द्वारा किये जाते हैं । अभी हमारा रिहन्द डैम बन कर तैयार हुआ है । वहां की बिजली भी इस्तेमाल होने लगी है । अब उसी के पास में एक ओवरा डैम बनाने का इरादा हो रहा है । उसकी जांच पड़ताल हो रही है, काम भी थोड़े दिनों में शुरू हो जायगा । माताटीला के अन्दर भी पावर हाउस बनाया जा रहा है । इसी प्रकार सुकुआ ढकुआ बांध पर भी पावर हाउस बनाया जाने वाला है । राजघाट पर भी इसी प्रकार की छानबीन कर रहे हैं ताकि बुन्देलखंड में भी बिजली की कमी पूरी हो जाय ।

इसके अतिरिक्त यमुना हाइडिल स्कीम का भी बहुत बड़ा काम है । उस पर भी पूरे तरीके से काम शुरू हो गया है । एक चरण उसका पूरा हो रहा है । दूसरे चरण की छानबीन हो रही है । सड़कें इत्यादि बन गयी हैं, इन्वेस्टीगेशन हो रहे हैं । मैं अर्ज कर दूं कि ज्यों ज्यों साइंस की तरक्की हो रही है त्यों-त्यों बड़ी कम्पलिकेटेड चीजें बनती जा रही हैं । तो उसके लिये मशीनरी भी ऐसी बनानी पड़ती है कि वे उन चीजों की सही तरीके से जांच-पड़ताल करें । पहले हमारे इंजीनियर ही, जो साधारण तौर से काम करते हैं, उसकी छानबीन का काम करते थे; लेकिन अब हमने इनवेस्टिगेशन और प्लानिंग के अलग-अलग दो सर्किल बना दिये है, जिनमें से एक का हेड क्वार्टर तो देहरादून में है और दूसरे का हेड क्वार्टर यहीं लखनऊ में है। जो बड़ी योजनायें हैं उनकी छानबीन हो रही है ताकि चौथे प्लान में उनको शामिल कर सकें । मोटे तौर पर शारदा के ऊपर पूर्णागिरि की एक बहुत बड़ी योजना है जिससे करीब ४–५ लाख किलोवाट बिजली मिलेगी और उससे करीब ७–८ लाख क्यूसेक्स पानी का प्रबन्ध हो सकेगा और इस तरह से पूर्वी जिलों में आजमगढ़ तक नहरों के लिये पानी के साधन मिल सकेंगे । इसी तरह से डोबरा, अलखनन्दा आदि कई छोटी बड़ी योजनाओं का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ।

सिंचाई विभाग का डिजाइन डाइरेक्टोरेट भी बहुत बड़ा है जिसमें करीब डेढ़ दो सौ इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। डिजाइन का काम बड़ा कम्पलिकेटेड है। इससे करोड़ों रुपये की बचत भी होती है और काम भी सही ढंग से होता है। डिजाइन डाइरेक्टोरेट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है ताकि वहां हर योजना पर अच्छा बिचार हो जिससे आगे चल कर किसी तरह की दिक्कत न हो ।

इसी तरीके से रिसर्च आर्गनाइजेशन भी बहुत बड़ा होता जा रहा है। इस बात की हम सब को खुशी है कि सेंट्रल पावर ऐंड वाटर कमीशन, रेलवेज, हमारी सरकार का पी० डब्लू० डी०, स्वायत्त शासन विभाग और हमारे अपने डिपार्टमेंट का काम उसके जरिये हो रहा है। रिसर्च की कुछ और भी बेसिक चीजें हैं जिनकी छानबीन हो रही है। जैसे कि चैनेल की डिजाईनिंग है, कुछ नहरों को पक्का बनाना है, नीचे के पानी के बहाव की स्टडी, डैम्स की मिटटी की बारीकियां, इन तमाम चीजों का रिसर्च किया जा रहा है और दिनों दिन हम इस कोशिश में हैं कि इस वक्त जो कमियां हमारे अन्दर हैं वे आगे के लिये न रहें।

इसके अतिरिक्त कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम भी सिंचाई विभाग के द्वारा हो रहा है। देहाती इलाकों में जहां पानी के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं वहां पानी देने की कोशिश हो रही है। खास कर पूर्वी जिलों में जहां अच्छा पानी नहीं है वहां ट्यूबवेल के जरिये पानी देने का प्रबन्ध किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों के अन्दर पाइप लाइन लगा कर जहां पानी का कोई सोर्स नहीं है, पानी पहुंचाने का काम सिंचाई विभाग के जरिये हो रहा है। इस तरीके से हमारा मुहकमा इन तमाम कामों में लगा हुआ है जिनके लिये मैंने आपके सामने ये अनुदान प्रस्तुत किये हैं। मुझे आशा है कि आप सब उन पर सोचेंगे और विचार करेंगे।

एक बात मैं और कह दूं कि जिस तरह से हमारे विभाग का खर्चा बढ़ा है उसी मात्रा में उसके साधन भी बढ़ रहे हैं। सन् ४७–४८ में करीब ६० लाख एकड़ जमीन के लिये पानी उपलब्ध था। पहले प्लान में करीब ७२.७० लाख एकड़ जमीन में पानी पहुंचाया गया और दूसरे प्लान में करीब ९१.२० लाख एकड़ जमीन को पानी दिया गया और दोनों प्लान को मिला कर करीब ७४ करोड़ रुपये खर्च हुये। इस तरह से जो हमारा पोटेंशियल है वह बढ़ता जा रहा है। सन् ५०–५१ में हमको इससे आमदनी ५ करोड़ ७० लाख मिली लेकिन तीसरे प्लान के आखिर तक १२ करोड़ रुपये तक आमदनी बढ़ जाने की उम्मीद है। इस तरीके से एक नक्शा, एक रूप रेखा मैंने अपने विभाग की वर्किंग की, और इसकी कार्यशैली की आपके सम्मुख प्रस्तुत की है। माननीय सदस्य अपने खयालात वाद-विवाद के सिलसिले से जो पेश करेंगे मैं इस बात का प्रयत्न करूंगा कि उनका मैं पूरी मात्रा में उत्तर दूं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन्, मेरा जो प्रिविलेज का प्रस्ताव था उसमें ओरिजिनल कापी की जरूरत पड़ती है, वह कापियां चली जांयगी, मैं राममूर्ति जी को दिखला दूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है।

श्री राममूर्ति—

मैं एक मिनट में अर्ज कर दूं। सिंचाई विभाग बड़ा भोला भाला विभाग है.....

श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

केबिनेट की सम्मिलित जिम्मेदारी है।

श्री राममूर्ति—

यह विभाग तो सब की खिदमत करने वाला है, जो कोई भी याद करता है उसी की खिदमत करने पहुंच जाता है।

श्री भानुप्रतापसिंह (जिला बस्ती)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–सम्पूर्ण नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना.....

श्री उपाध्यक्ष—

मैं चाहता था कि आप तीनों कटमोशन पेश कर दें ।

श्री भानुप्रताप सिंह—

यही तीनों के लिये है । मैं अपने इस कटौती के प्रस्ताव को केवल इसलिये सदन में नहीं रख रहा हूं कि विरोधी पक्ष की ओर से इस तरह का प्रस्ताव आना चाहिये और किसी न किसी को कटौती का प्रस्ताव रखना ही है इसलिये वह रख ही दिया जाय । परन्तु वास्तव में मैं समझता हूं कि सिंचाई विभाग का जो उद्देश्य था, जिस आशा से इस विभाग पर धन व्यय किया गया था उसकी प्राप्ति में यह विभाग सफल नहीं हुआ है और जो कुछ भी धन व्यय हुआ है उसका कोई विशेष परिणाम नहीं निकला है । माननीय सिंचाई मंत्री जी ने अपने विभाग के उद्देश्यों के विषय में जो बताया है उससे मैं सहमत हूं । सिंचाई के महत्व को दोहराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन मैं इस सदन में कुछ आंकड़े देकर सिद्ध करना चाहता हूं कि जो सारी योजनायें बनीं और उन पर जो धन व्यय हुआ उसके फलस्वरूप जो हमारा उद्देश्य था कि अधिक क्षेत्र में सिंचाई हो उसमें हम असफल रहे हैं । सिंचाई विभाग का उद्देश्य यही हो सकता है कि अधिक से अधिक क्षेत्रफल में सिंचाई हो और दूसरा उद्देश्य यह भी हो सकता है कि गहन ढंग से खेती हो, एक फसले क्षेत्र, अधिक दो फसलें हो जांय पैदावार जिससे हो । मैं कुछ आंकड़े पेश करना चाहता हूं यह सिद्ध करने के लिये कि इन सारी योजनाओं के फलस्वरूप हमारे प्रदेश के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि नहीं हुई है । योजना से पूर्व १९५१–५२ में इस प्रदेश में सम्पूर्ण सिंचाई क्षेत्रफल १ करोड़ १८ लाख एकड़ था, वह १९५५–५६ में १ करोड़ २१ लाख एकड़ हो गया, १९५६–५७ में १ करोड़ १३ लाख एकड़ हो गया, १९५७–५८ में वह १ करोड़ २१ लाख एकड़ हो गया, १९५८–५९ में १ करोड़ २० लाख एकड़ हुआ, १९५९–६० में वह १ करोड़ २६ लाख एकड़ हुआ और १९६०–६१ में वह १ करोड़ २४ लाख एकड़ हो गया । यानी दस वर्ष में लगभग ८० करोड़ रुपया व्यय होने के बाद परिणाम यह निकला है कि इस प्रदेश के सिंचित क्षेत्रफल में केवल ६ लाख एकड़ की वृद्धि हुई है । इसको भी यदि हम अपने सूबे की पूरी कृषि-भूमि की तुलना में देखें तो यह और भी निराशाजनक है । सन् १९५१–५२ में पूरे क्षेत्रफल की तुलना में ३०.८ प्रतिशत क्षेत्रफल में सिंचाई हुई थी जब कि १९६०–६१ में वह थोड़ा सा-घट गया और केवल ३०.५ प्रतिशत एकड़ में सिंचाई हो सकी ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बाद में बोलेंगे । अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे ।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजकर ५ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री कमला-सिंह यादव के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री भानुप्रताप सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं लंच आवर के पहले कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा था । उनके विषय में कुछ भ्रम पैदा हो गया है इसलिये मैं आपकी अनुमति से एक बार फिर उनको पढ़ देना चाहता हूं । ये आंकड़े प्रदेश में सिंचित क्षेत्रफल के हैं । इसमें सरकार द्वारा जो सिंचाई होती है वह और जो निजी साधनों से होती है वह भी सम्मिलित है यानी संपूर्ण सिंचित क्षेत्रफल है । ५१–५२ में यह १ करोड़ १८ लाख एकड़ था, ५५–५६ में १ करोड़ २१ लाख एकड़ हुआ, ५६–५७ में १ करोड़ १३ लाख एकड़, ५७–५८ में १ करोड़ २१ लाख एकड़ हुआ, ५८–५९ में १ करोड़ २० लाख एकड़, ५९–६० में १ करोड़ २६ लाख एकड़ और ६०–६१ में १ करोड़ २४ लाख एकड़ । श्रीमन् इन आंकड़ों से यह सिद्ध होता है कि पिछले १० वर्षों में जितने प्रयास किये गये हैं सिंचाई के साधनों को बढ़ाने के लिये उनके बावजूद इस प्रदेश का सिंचित क्षेत्रफल केवल ६ लाख एकड़ ही बढ़ा है। और, यदि हम इस दृष्टि से देखें कि पूरे प्रदेश में खेती योग्य भूमि के क्षेत्रफल का यह कितने फीसदी है तो यह सिद्ध होगा कि जब कि ५१–५२ में पूरे रकबे का ३०.८ प्रतिशत सींचा

गया था उसकी तुलना में ६०–६१ में केवल ३०.५ प्रतिशत ही सींचा गया। इसका अर्थ यह होता है कि हमारी जितनी सिंचाई ५०–५१ में सभी साधनों से थी उसकी तुलना में प्रतिशत के रूप में हमने ६०–६१ में कम सिंचाई की गयी और अगर रकबे के रूप में देखें तो भी कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

सिंचाई की उपयोगिता नापने का एक और ढंग है। वह यह है कि हमारे प्रदेश में कितने क्षेत्रफल पर दोफसला खेती होने लगी है क्योंकि यह सभी मानते हैं कि खेती की उन्नति केवल गहन खेती करके ही सम्भव है यानी जहां एक फसल होती है वहां २ या ३ फसलें पैदा की जाने लगें। तो अब यह देखना है कि क्या सिंचाई योजनाओं के फलस्वरूप हमारे प्रदेश में दोफसला खेती का क्षेत्रफल बढ़ा है। क्योंकि यह कहा जाता है और यह माना जाता है कि दोफसला क्षेत्रफल बढ़ाने में सब से बड़ी बाधा सिंचाई के साधनों की कमी है। इसके विषय में मैंने कुछ खोज की तो देखा कि दोफसला खेती का रकबा भी अधिक नहीं बढ़ा है। ५०–५१ में यह ९० लाख एकड़ था जो ५९–६० में १ करोड़ ११ लाख एकड़ हो गया। थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है परन्तु जरा और गहराई से इस विषय में जाने पर यह मालूम हुआ कि जो वृद्धि हुई है वह उन क्षेत्रों में नहीं हुई है जहां कि सरकार ने सिंचाई के साधन तैयार कर दिये हैं। सिंचाई के साधन जो सरकार ने बढ़ाये उनसे और दोफसला रकबे की प्रान्त में जो प्रगति हुयी है उसमें कोई संबंध नहीं दिखाई देता। जहां सरकार ने साधन नहीं प्रस्तुत किये हैं वहां भी वृद्धि हुई है। बहुत-सी जगहें ऐसी हैं जहां साधन उपलब्ध हो गये फिर भी दोफसला रकबे में कोई वृद्धि नहीं हुई है। एक आंकड़ा इस विषय में और महत्वपूर्ण है। रकबा जिसमें एक बार से अधिक सिंचाई होती है वह पहिले कितना था और अब कितना हो गया है। ५१–५२ में जो एक बार से अधिक सिंचाई का रकबा था वह ९.१३ लाख एकड़ था और ६०–६१ में या ११.९७ लाख एकड़ ही हुआ। इसका मतलब यह हुआ कि जो हमारी आशा थी कि सिंचाई के साधनों को यदि हम बना देंगे तो हमारी खेती का स्तर ऊंचा उठ जायगा, उत्पादन बढ़ेगा, दोफसला खेती का रकबा बढ़ेगा, यह सब हमारी आशायें पूरी नहीं हुईं। ऐसा क्यों हुआ? इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिंचाई विभाग पर काफी व्यय हुआ है।

प्रथम और द्वितीय योजनाओं में लगभग ८० करोड़ रुपया सिंचाई साधनों को जुटाने पर व्यय हुआ और हमारे सिंचाई मंत्री जी ने बताया किस प्रकार से नयी योजनायें जल्दी-जल्दी बनायी जा रहीं हैं रिसर्च भी हो रहा है और कितने ही अधिकारी इस काम के लिये लगे हुए है। परन्तु इन सब के होते हुए भी जो अंतिम लक्ष्य है कि सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़े, खेती की पैदावार बढ़े, दो फसला खेती का रकबा बढ़े उसमें सफलता नहीं मिलती है। अगर इनमें सफलता नहीं मिली है तो हमको और आप सब को मिल कर सोचना चाहिये कि आखिर इस असफलता का क्या कारण है। इतना धन व्यय करने के बाद भी अगर कोई नतीजा नहीं निकलता है, इसलिये कहता हूं क्योंकि सिंचित क्षेत्रफल का रकबा नहीं बढ़ा है तो उसके कारणों पर बिचार करने की आवश्यकता है और उसके अनुसार नई नीति बनाने की आवश्यकता है। मेरी राय है कि सरकार की सिंचाई संबंधी नीति त्रुटिपूर्ण है और उसी के कारण यह सब गड़बड़ियां हुयी हैं। सरकार इसके बजाय कि किसानों को स्वयं अपने सिंचाई के साधन तैयार करने में सहायता देती उनको इस के लिये प्रोत्साहित करती, उसने यह प्रयत्न किया कि वह स्वयं सिंचाई के साधनों को तैयार करे। जैसी इस सरकार की सभी नीतियां राज्यवाद स्टेटिज्म की तरफ ले जाने वाली हैं उसी प्रकार से सिंचाई का भी पूर्ण प्रबन्ध सरकार जो कर रही है। सिंचाई का कार्यक्रम भी उसी नीति का एक अंग है जो सरकारी साधनों पर अधिक विश्वास करता है निजी साधनों को शंका की दृष्टि से देखता है। मैं वह तस्वीर भी सामने रखना चाहता हूं कि यदि इन बड़ी बड़ी योजनाओं और टयूववैलों का सहारा न लिया गया होता और किसानों को अपने खेत में कुएं तैयार करने, रहट लगाने के लिये सहायता दी गई होती और इतना ही रुपया व्यय किया गया होता तो क्या नतीजा निकल सकता था। एक छोटे कुएं पर उसकी बोरिंग करने और रहट लगाने में जो खर्च होता है उसका आधा यदि सरकार देती और आधा किसान

[श्री भानुप्रतापसिंह]

अपने पास से लगाता तो ८० करोड़ रुपया जो सरकार ने पिछले १० साल में खर्च किया है उसको और जो किसान अपने पास से खर्च करता उसको मिला कर कुएं की स्कीम के लिये १६० करोड़ रुपया उपलब्ध होता। एक छोटा कुंआ बनाने उसमें बो.रिंग करने और रहट लगाने में लगभग २,५०० रु० का खर्चा औसतन बैठता है। इस हिसाब से १६० करोड़ रुपये में ६,४०,००० कुएं इस प्रदेश में अब तक बन चुके होते। और अगर मान लें कि एक कुवें से १० एकड़ की सिंचाई हो सकती है तो ६४ लाख एकड़ जमीन की सिंचाई उनके द्वारा हुयी होती और प्रदेश को इसका लाभ हुआ होता। जो सिंचाई क्षमता पहली और दूसरी योजना में बढ़ायी गयी है वह ४०-४२ लाख एकड़ है। यदि केवल क्षमता बढ़ाने की दृष्टि से भी देखा जाय तो छोटे कुओं की योजना कहीं अधिक सफल सिद्ध होती। इसके अलावा इसमें और भी कई गुण हैं। एक तो किसान आत्मनिर्भर बनता, आज वह दूसरों का मुखापेक्षी बन गया है। हमारे सिंचाई मंत्री ने कहा कि उनको अपनी योजनाओं के चलाने में विदेशी मुद्रा की कमी बहुत बड़ी बाधक है। यदि इन कुंवों की योजना चलाई गई होती तो किसी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज जब देश के सामने विदेशी मुद्रा का प्रश्न विकट रूप में उपस्थित है उस समय भी ऐसे साधनों पर भरोसा करना जो बिना विदेशी मुद्रा के नहीं चल सकते और उनके मुकाबले में ऐसे साधनों की उपेक्षा करना जो बिना विदेशी मुद्रा के सुलभ है बड़ी भारी गलती है।

इसके अलावा सरकार को तीन, साढ़े तीन करोड़ रुपये का नुकसान सिंचाई विभाग में प्रति वर्ष उठाना पड़ता है। यदि उन्होंने इस ८० करोड़ रुपये को किसानों को दे दिया होता अनुदान के रूप में तो सरकार इस घाटे से बचती और सरकार के साथ-साथ करदाता भी बचता। जो घाटा सरकार को होता है वह तो करदाता से वसूल ही कर लिया जाता है। इसके अलावा जितना भ्रष्टाचार और असंतोष इन नहरों और ट्यूबवेलों के कारण इस प्रदेश में है वह भी न हुआ होता।

जो स्थिति है उसमें किस तरह से सुधार हो सकता है उस पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। परन्तु उसके पहले कुवों के संबंध में एक निवेदन मैं और करूंगा। संभव है कहीं कोई क्षेत्र हो जहां ये कुयें न बन सकते हों, लेकिन सौभाग्य से हमारे प्रदेश में बहुत बड़ा रकबा ऐसा है जहां कुवें सफल हो सकते हैं लेकिन इन क्षेत्रों में भी कुयें बनाने की योजना को जो प्राथमिकता दी जानी चाहिये थी वह नहीं दी गयी है। हमारे सिंचाई मंत्री जी ने अभी कहा कि ट्यूबवेल की योजनाओं में बड़ी कठिनाइयां हैं। नुकसान होता है, असंतोष है। वे भी इन छोटी सिंचाई योजनाओं के पक्ष में हैं। परन्तु मेरा निवेदन है कि पक्ष में होना ही काफी नहीं है। कार्य रूप में जो कुछ होता है उसका फल हमारे सामने आता है। पिछले वर्ष छोटी सिंचाई योजनाओं के मातहत इन कुवों के लिये काफी धन किसानों को बांट दिया गया। लेकिन उनको ईंट, सीमेन्ट तथा अन्य बोरिंग के साधन उपलब्ध नहीं कराये जा सके। परिणाम यह है कि पिछले वर्ष जितना रुपया दिया गया किसानों को कुवें बनाने के लिये उसमें बहुत ही थोड़ा अंश कुवें बनाने के काम में आ सका। इसके दोषी किसान नहीं हैं क्योंकि उनको कुवें बनाने के लिये साधन नहीं दिये गये। मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि पिछले वर्ष कितने कुंवों के लिये तकावी इत्यादि दी गयी और कितने वास्तव में तैयार हुए ?

अब मैं उन कारणों पर आता हूं कि जो साधन हैं भी, उनकी भी उपयोगिता क्यों कम है ? सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिंचाई की खेती बिलकुल भिन्न होती है। और जहां सिंचाई के साधन नहीं होते वहां की खेती भिन्न होती है। किसी क्षेत्र में नये सिंचाई के साधन उपलब्ध किये जाते हैं तो वहां के किसान उस से पेश्तर जो दूसरे किस्म की खेती करते चले आते हैं उनके सामने कोई नक्शा नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता कि इस तरह से खेती करके वे सिंचाई के साधनों से फायदा उठा सकते हैं। यही कारण है कि उसका उपयोग नहीं हो पाता है। कहा गया कि बड़ा कोआर्डिनेशन हो गया है लेकिन केवल कोआर्डिनेशन काफी नहीं है। इसलिये बराबर यह बात कही गयी है कि सिंचाई तथा कृषि विभाग दोनों एक ही

महकमे के अन्तर्गत होना चाहिये। जहां तक मेरी जानकारी है, इस समय कोई भी ऐसा माध्यम नहीं है, न तो सिंचाई विभाग के पास और न कृषि विभाग के पास जो किसानों को इस तरह के डिमान्ड्रेशन करके दिखलावे कि सिंचाई के पानी का किस प्रकार उपयोग किया जाना चाहिये।

श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने मुझको समय कितना दिया है क्योंकि आपने लाल बत्ती जला दी है और अगर समय अधिक न दे सकेंगे तो बड़ी कठिनाई हो जायगी।

श्री अधिष्ठाता––
बीस मिनट हर एक को दिया जाता है।

श्री भानुप्रतापसिंह––
कटौती के प्रस्तावक को अधिक समय मिलता है।

श्री अधिष्ठाता––
वैसे तो आपके लिये कोई टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन बीस मिनट की परिपाटी रही है। आप कितने मिनट चाहते हैं?

श्री भानुप्रताप सिंह––
मैं दस मिनट और चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता––
अच्छा ले लीजिये, चलिये।

श्री भानुप्रताप सिंह––
श्रीमन्, दूसरा कारण यह है कि असेसमेंट का तरीका, कि कितना महसूल किस किसान से वसूल किया जाय यह बहुत ही दोषपूर्ण है। तरीका कागज में या सरकारी आदेशों में चाहे जो कुछ भी लिखा हो लेकिन वास्तव में होता यह है कि २४ घंटे ट्यूबवेल चलता है और बाद में जिस किसान का जितना खेत है उसके अनुपात में उस २४ घंटे के खर्चे को बांट दिया जाता है। अब उसी समय में कोई किसान गन्ने की खेती करने वाला है, वह गन्ने की सिंचाई करेगा कोई किसान मूंग बोयेगा, कोई चारे की फसल बोयेगा, इन सभी फसलों को बराबर मात्रा में पानी नहीं चाहिये लेकिन उनको बराबर मात्रा में महसूल देना पड़ता है। इसका नतीजा यह होता है कि मान लीजिये अगर किसी को १० हजार गैलन पानी लेना चाहिये तो वह २० हजार और ३० हजार गैलन पानी खर्च करता है। आप देखें पूर्वी जिलों में इस समय जो हो रहा है, मैंने वहां देखा है कि खेत के चारों तरफ मेड़ बना देते हैं और खेत को बिलकुल ताल-पोखरे की तरह भर देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें तो क्षेत्रफल के अनुसार महसूल देना पड़ेगा। यह तरीका खेती के लिये भी नुकसानदेह है और दूसरी दृष्टियों से भी नुकसानदेह है। इसको बदलने की आवश्यकता है।

तीसरी बात यह भी है कि आपरेटर्स को किसी प्रकार का यह प्रलोभन नहीं है कि यदि वे ट्यूबवेल को ज्यादा चलायेंगे तो उनको कुछ बोनस मिलेगा। जो आपरेटर साल भर में ५ घंटे ट्यूबवेल चलाता है संभव है इस सदन को यह सुन कर आश्चर्य हो परन्तु ऐसे तलकूर हैं, और जो ५ हजार घंटे चलाता है उन दोनों के वेतन में कोई अन्तर नहीं है। तो मेरा सिंचाई मंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप चाहते हैं कि उसकी कुछ दिलचस्पी बढ़े तो तनख्वाह के अलावा काम के घंटों के अनुसार उनको कुछ बोनस दिया जाय वरना वह तो यह समझता है कि हमको तो उतनी ही तनख्वाह मिलनी है चाहे जितने घंटे काम करें।

चौथी बात यह है कि जहां तक संभव हो, और इस में कोई कठिनाई भी नहीं है, आपरेटर्स को खेती में ट्रेनिंग मिलनी चाहिये। आपरेटर्स का काम खेती से इतना संबंधित है कि अगर उनको

[श्री भानुप्रतापसिंह]

खेती में ट्रेनिंग नहीं होगी तो वह अच्छे आपरेटर नहीं बन सकते हैं। इसलिये जो आपरेटर नियुक्त किये जायं वे कृषि में ट्रेंड हों।

इसके अलावा कुछ ट्यूबवेल ऐसे हैं जिनमें सिंचाई बहुत कम होती है, बेकार पड़े रहते हैं। साढ़े चार हजार रुपया प्रति ट्यूबवेल मंत्री जी ने बतलाया कि पूर्वी जिलों में सरकार का नुकसान होता है। तो ऐसे ट्यूबवेल्स के विषय में मेरा सुझाव यह है कि कम से कम ५ एकड़ तक की भूमि के लिये मुफ्त में पानी दिया जाय और किसानों को दिखाया जाय कि किसान पानी से कितना लाभ उठाता है। अगर ५ एकड़ तक को पानी मुफ्त दे दिया जायेगा तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हो जायगी परन्तु डिमांस्ट्रेशन से पानी की उपयोगिता बढ़ेगी और लोग इसे इस्तेमाल करने लगेंगे। एक ही दर से महसूल लगाना भी ठीक नहीं है। कुछ ऐसा सीजन होता है जब पानी ज्यादा चाहिये, कभी स्लैक सीजन होता है। जब पानी बहुत कम चाहिये, कोई किसान ज्यादा और कोई कम पानी इस्तेमाल करता है, किसी को दिन में और किसी को रात में पानी की जरूरत होती है। इसलिये मेरा सुझाव है कि स्लैक सीजन में कंसेशन देना चाहिये। रात में जो पानी ले उसको भी सहूलियत मिलनी चाहिये। जो कच्ची गूल से पानी लेते हैं उनको भी छूट मिलनी चाहिये क्योंकि उसमें सरकार का पैसा नहीं लगा है और उसको पानी भी कम मिल पाता है।

अन्त में मैं श्रीमन्, एक बात की ओर सदन का ध्यान दिलाकर भाषण समाप्त करूंगा। नलकूप की नालियां निकालने के लिये बड़ी बेरहमी के साथ किसान की जमीन खोदकर फेंक दी जाती है। जिस समय ये नहरें निकाली जाती हैं उस समय ३२ फीट चौड़ी जमीन खोदी जाती है जो बाद को केवल १२ फीट रह जाती है। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर प्रति नलकूप ३ मील लम्बी गूल हो तो प्रति ट्यूबवेल साढ़े चार एकड़ जमीन नष्ट हो जाती है। सारे सूबे में छः साढ़े छः हजार ट्यूबवेल हैं इस तरह से २७,००० एकड़ जमीन लग चुकी है। किसान की जमीन कम कीमत पर ले ली जाती है इसलिये इसकी आवश्यकता नहीं समझी जाती कि इस पर विचार किया जाय कि कोई दूसरा भी तरीका हो सकता है या नहीं, पानी जिस रास्ते से जाता है वह केवल एक फीट चौड़ा होता है। इसके लिये १२ फीट चौड़ी जमीन खराब की जाती है। जब कि हमारे देश में आबादी बढ़ती जा रही है तो इस तरह की बात उचित नहीं है। मैं ध्यान दिलाना चाहता हूं कि इसके लिये रिसर्च किया जाय कि किस प्रकार भूमि को कम नष्ट करके पानी पहुंचाया जा सकता है इसके लिये अन्डर ग्राउन्ड चैनल्स बनाई जायं। लोग कहेंगे कि इसमें खर्चा बढ़ जायगा। मैं समझता हूं कि यदि इसमें थोड़ा खर्चा बढ़ भी जाय तो भी जो पैदावार होगी उसको देखते हुये यही राष्ट्र के हित में है। जमीन का दुरुपयोग बंद किया जाय। अगर इस ओर ध्यान दिया जाय तो अच्छे तरीके निकल सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को पेश करता हूं।

(श्री रमेशचन्द्र शर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि....

श्री अधिष्ठाता--

अभी व्यवस्था के प्रश्न का क्या सवाल है ?

श्री राधेश्याम शर्मा--

समय के बारे में है। इसी सदन में माननीय उपाध्यक्ष ने यह रूलिंग दी थी कि एक घंटा सरकारी पक्ष को और डेढ़ घंटा विरोधी पक्ष को मिलेगा। लेकिन बराबर का समय मिल रहा है। मैं चाहूंगा कि उसी रूलिंग को अमल में लाया जाय और विरोधी पक्ष को ज्यादा समय दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता––

जहां तक आप का विचार है विरोधी दल को अकोमोडेट करने की बात वह मानी जा सकती है, लेकिन यह नहीं है कि किसी का समय काट कर आप को दे दूं। ऐसी रूलिंग कोई अब तक नहीं है।

श्री राधेश्याम शर्मा––

ऐसी रूलिंग है। मुझे याद है।

श्री अधिष्ठाता––

याद है तो दिखा दीजियेगा। उसके बाद कंसीडर कर लेंगे।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)––

वैसे आपने इस संबंध में अपनी व्यवस्था दी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इससे पहले माननीय नरेंद्रसिंह जी ने भी व्यवस्था दी थी कि यहां पर इस पक्ष में बैठते हैं या उस पक्ष में बैठते हैं सभी सदस्य हैं, सभी का अधिकार है। इस प्रकार का विभाजन कि विरोधी पक्ष को इतना समय दिया जाय और इस पक्ष को इतना दिया जाय, ऐसी कोई बात नहीं हो सकती। यह तो हो सकता है कि मंत्रियों को या कट मोशन पेश करने वाले को कितना समय मिले लेकिन शेष जिसको आप उचित समझें उसको समय दें ताकि सब पक्ष सदन के सामने आ जायं।

श्री अधिष्ठाता––

मैंने यही बात कही है और कोशिश करूंगा इस तरीके पर।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)––

एक निवेदन आप से करना है। साढ़े दस बजे से एक बजे तक रोज विरोधी पक्ष सदन का समय ले लेता है। विरोधी पक्ष में इतने दर्जन नेता हैं कि उनको ३०–३० मिनट, २०–२० मिनट लगते हैं तो सदन के पूरे समय का ४/५ उन्हीं के हिस्से में पड़ जाता है। १५ में हम २५१ हैं। इसलिये इस तरफ आप ध्यान रखें कि हम को समय ज्यादा मिले और उनको थोड़ा समय मिले क्योंकि वह वैसे ही समय ज्यादा ले लेते हैं।

श्री अधिष्ठाता––

आप पहले यह बतायें कि आप किस पार्टी से बोल रहे हैं?

श्री जे० पी० मिश्र––

मैं असेम्बली के एक साधारण मेम्बर की हैसियत से अर्ज कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता––

चूंकि आपके पार्टी का नेता सुझाव दे चुका, उसके बाद आपको कोई हक नहीं है।

श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)––

अधिष्ठाता महोदय, मैं बजट का समर्थन कर रहा हूं और जो कटौती की गयी है उसका मैं विरोध कर रहा हूं। मैं सरकार को और सिंचाई मंत्री को धन्यवाद देता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

सदन को मैं सूचित करना चाहता हूं कि अब से जितने माननीय सदस्य बोलेंगे उनमें दस मिनट में आर्डिनरी मेम्बर्स को दूंगा। अब आप जारी रखिये।

श्री राधेश्याम शर्मा––

जरा यह साफ करिये।

श्री अधिष्ठाता––

बीच में आप नहीं बोल सकते।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा---

ऐसे युग में जब कि हमारे मुल्क में चीन जैसी बर्बर शक्तियों का मुकाबला होता हो और हमारा देश खतरे में हो ऐसे समय में मैं गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि करीब ३९ करोड़ रुपये का बजट किसानों की सिंचाई के लिये जो दिया जा रहा है उसके लिये मैं धन्यवाद दे रहा हूं। आज कई साल से तीसरी योजना चल रही है। बहुत से ट्यूबवेल बने, नहरें बनीं, नालियां बनीं। और अगर कोई माननीय सदस्य यह कह दे कि उससे किसानों का कोई लाभ नहीं हुआ है तो मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं। उससे किसानों को लाभ हो रहा है, किसानों की खेती की तरक्की हो रही है। इसलिये जो ३९ करोड़ रुपया इस युग में सिंचाई पर खर्च हो रहा है, यह किसानों का बजट है। अगर इसमें कोई माननीय सदस्य कटौती करना चाहें या यह कहें कि यह पास न हो तो यह गलत चीज है जब कि हर माननीय सदस्य कहता है कि हम किसानों के हमदर्द हैं, हम चाहते हैं कि किसानों की फसल ज्यादा पैदा हो, जहां यह शब्द इस्तेमाल हो रहे हों वहां किसान की सिंचाई के लिये प्रत्येक माननीय सदस्य ने यह कहा और हमेशा कहता आया है कि किसान की खेती में सबसे अच्छी दवा और सबसे अच्छी ताकत पानी है। जब तक पानी किसान को नहीं मिलता तब तक कोई शक्ति नहीं है कि जो किसान की खेती को मजबूत करे। इसलिये मैं बजट का समर्थन करता हूं। अभी माननीय ठाकुर साहब ने सुझाव दिया कि छोटे-छोटे कुयें अगर बनाये जायं तो ज्यादा अच्छा है। हो सकता है और होता है, मैं छोटे कुओं का विरोध नहीं करता। लेकिन छोटे कुओं के लिये जो तकावी बांटी जाती है उसमें मुश्किल से पंद्रह प्रतिशत कुयें बन रहे हैं और बाकी कुयें इसलिये नहीं बन रहे हैं कि कुछ तो सीमेंट और ईंट की कमी है और कुछ इसलिये नहीं बनते हैं कि जो कुएं का पैसा किसान को मिलता है वह निर्धन होने के कारण उसको अगर उसमें कुछ देर हुई तो अपने निजी काम में खर्च कर देता है, नतीजा यह होता है कि कुयें तैयार नहीं होते। इसलिये अगर सरकार छोटे कुओं को बनवाना चाहती है तो किसान को उसके लिये तकावी न देकर हर गांव का सर्वे खुद कराये और देख ले कि कितने कुयें किस गांव में बनने हैं और फिर उनको या तो स्वयं बनवा दे या सीमेंट ईंट इत्यादि का प्रबन्ध कर दे। सरकार पैसा देकर अगर चाहे कि कुयें बन जायं तो यह कुयें वगैरह कुछ नहीं बनेंगे।

अब मैं कुछ सुझाव अपने जौनपुर जिले के बारे में देना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पूरब के जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, आदि जिलों की हालत बड़ी खराब रहा करती है इसलिये कि हमेशा बाढ़ का प्रकोप उन जिलों पर हुआ करता है। गंगा, गोमती, सई, बसुही, गंडक, सरयू, घाघरा ये जितनी नदियां हैं सब उन जिलों में पहुंचती हैं। उनसे फायदा भी हो सकता है, लेकिन अधिकतर उनसे नुक्सान हो रहा है। पहले तो जब खरीफ की फसल बोनी हुई तो पानी की कमी रही, फिर कुवार और कार्तिक के महीने में जाकर बाढ़ आ गई, तो नतीजा यह होता है कि किसान की सारी फसल बरबाद हो जाती है। इसलिये मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इन जिलों में सिंचाई की व्यवस्था अधिक करें। अभी मंत्री महोदय ने बोलते हुये कहा था कि पूरबी जिलों के ट्यूबवेलों में ज्यादा पैसा नुकसान हो रहा है चार हजार के करीब। मैं उनसे बताना चाहता हूं कि पूरबी जिलों में जितने ट्यूबवेल बने हैं उनसे नुकसान नहीं होता और न होने वाला है। किसान अधिक पानी चाहता है, लेकिन अभी तक उन ट्यूबवेलों की नालियां ठीक नहीं हो सकी हैं जिससे पानी ठीक से पहुंच नहीं पाता है। अधिकतर नालियां कच्ची हैं और कुछ ट्यूबवेल पुराने जो लगे हैं पहली योजना के वह कुछ तो खाले लगा दिये गये हैं, नीची जगह पर लगा दिये गये हैं और किसान का खेत उससे ऊंचे पर है। उनको लगाते समय न तो गांव वालों से कोई राय ली गयी और न कोई सर्वे कराया गया। मैं अपने यहां के एक ट्यूबवेल का उदाहरण देता हूं, हमारे यहां एक ट्यूबवेल है बनकट में जहां १५ गांव उसके करीब हैं, जिनमें सब में रबी की फसल होती है लेकिन वह बनकट का ट्यूबवेल केवल ३० एकड़ जमीन सींच सकता है क्योंकि वह खाले में लगा दिया गया है। मैं यह सुझाव दूंगा कि अगर कहीं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गलती से ऐसे ट्यूबवेल लग गये हैं तो उनको उखड़वाकर दूसरी जगह पर लगवा दें। हजार, दो हजार का नुकसान उठाकर भी यह कर देना मुनासिब होगा क्योंकि ऐसा न होने से किसान को पानी नहीं मिल पाता।

*श्री शिवचरण (जिला आगरा)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आगरा के गांवों में जो गरकी आ गई है देहाती क्षेत्र में उसकी कुछ यहां पर मैं चर्चा करना चाहता हूं। नदियों की बाढ़ से उपजाऊ भूमि गरकी में आ चुकी है। वहां पर नहरों में पानी तब आता है जब खेत या तो सूख जाते हैं या कोई पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अधिष्ठाता नहोदय, मंत्री जी यहां पर ४० फीसदी सिंचाई का नाम लेकर सिंचाई का काम पूरा मान लेते हैं। लेकिन होता यह है कि खेतों तक पानी न आने के और भी कारण होते हैं। जहां पर ४ इंच का कुलाबा लगा हुआ है वहां पर खेतों तक पानी नहीं पहुंचता है। जब वहां पर ६ इंच के कुलाबे लगाये जायं तब खेतों में पानी पहुंच सकता है। एतमादपुर तहसील में सेंगर, सिरसा और हर नदियों की बाढ़ से जितने वहां पर गांव हैं वे सब गरकी में आ गये हैं। खेत तो पहले ही गरकी में आ गये थे लेकिन अब वहां के गांव भी बरबाद और तबाह होते चले जा रहे हैं। खेतों में सूखा रहने से और गरकी रहने से उपजाऊ भूमि खत्म हो जाती है। इस तरह से वहां के गांव भी बरबाद हो चुके हैं। इसलिये सरकार को उस गरकी की तरफ अपना ध्यान देना चाहिये। अब मैं आपके सामने अपने क्षेत्र के संबंध में यह कहना चाहता हूं कि खैरागढ़ तहसील के महाव, रेलई गांव पानी में बिलकुल डूबे रहते हैं। वहां पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसलिये उस क्षेत्र की हिफाजत के लिये सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिये। इसके अलावा हमारी तहसील एतमादपुर में जो गांव हैं नारकी, कोटला और रेमजा, इत्यादि में पानी भरे रहने से उनकी उपजाऊ भूमि समाप्त हो चुकी है। वहां के किसानों को महान कष्ट है। माननीय मंत्री जी कहते है कि सिंचाई उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरह से हो रही है तो मैं यह कहूंगा कि जैसे एक कवि ने कहा है कि:--

"बातों से नाहर पछारे।
कभी न दाम छदाम पुन्य करो, बातन से थरपे कोठारे।

एक मकान कभी नहीं छाया बातन से गढ़ के गढ़ ढारे।
सही कहावत दुनिया में गाल को जीते माल को हारे।"

आपके यहां तो बातों से सिंचाई होती है, किन्तु आज तक मेरी तहसील एतमादपुर में, जहां से मैं चुनकर आया हूं, तमाम हल्ला होता रहता है। इन नदियों के पानी से वहां के तमाम गांव गरकी में आ गये हैं। उनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिये। अब मैं आपके सामने चीन के बारे में भी एक कविता रखता हूं--

"भारत मां की बलवेदी पर और भी खून बहाना है।
देश न बने गुलाम चीन का, वीरों तुम्हें बचाना है।।
भारत की सीमा पर बाज रही रणभेरी है।
नेफा और लद्दाख दुष्ट ने चौतरफा से घेरी है।।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)--

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। जो कविता पढ़ी जा रही है उसका इस सिंचाई की ग्रांट से क्या ताल्लुक है? इनको इसी विषय पर बोलने के लिये कहिये।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य अपना भाषण जारी रखें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री मैनेजरसिंह—

पहाड़ों से ही तो ये नदियां निकलती हैं जिनसे प्रान्त में खेती की सिचाई होती है।

श्री शिवचरण—

मैं इसी विषय से सम्बन्धित सिंचाई विभाग पर बोल रहा हूं:—

रण के दूल्हा बनो चलो रण माहीं करो मत देरी है,
भारत के भट सुघट करो चट मार शठन के ढेरी है।
भारत भूमि वीरों की वसुन्धरा है इसे धब्बा नहीं लगाना है ॥
खटिया पड़के मरता उसका मास गीध नहीं खाते हैं।
रणभमि में मरे स्वर्ग हो वीर गति को पाते हैं,
उन माता को धन्य जिनने अस बेटों को जन्म दिया।
देश की सेवा में धन दौलत शरीर को अर्पण किया,
जन्म लिया सो मरे देश सेवा में फिर मर जाना है।
देश न बने गुलाम चीन का, वीरों तुम्हें बचाना है ॥
इसी देश में पृथ्वीराज की गौरव भरी कहानी है,
स्वाभिमान शेर की जुग जुग रहे निशानी है।
चन्द्र कवि ने पृथ्वी राज की ताकत का वर्णन किया,
नेत्र विहीन बहादुर के कर धनुष बाण को हाथ दिया।
चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण,
ऐते पर सुल्तान विराजे मत पूछो चौहान।
शब्द सुना चट बाण चला गौरी का बना निशाना है।
देश न बने गुलाम चीन का वीरों तुम्हें बचाना है ॥
इसी देश में टीपू की तलवार भी झंकारी थी,
इसी देश में झांसी वाली रानी भी हुंकारी थी।
इसी देश में वीर शिवा ने दुश्मन को ललकार दी,
इसी देश में राणा ने शत्रु को करारी हार दी।
यह इतिहास शिवचरण वीरों फिर दोहराना है,
देश न बने गुलाम चीन का वीरों तुम्हें बचाना है।'

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—

अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई विभाग की तरफ से अनुदान पेश है, उसका मैं हृदय से समर्थन करता हूं। श्रीमन्, हमारे जिले में भी बहुत से बांध हैं और तमाम सिंचाई के काम किए गए हैं। मुझे सिंचाई मंत्री को बधाई देते हुये हर्ष हो रहा है और उन अपने नौजवान इंजीनियरों को भी बधाई देना चाहता हूं जिनका काम मैंने रात-दिन देखा है जरावे बांध और दूसरे बांधों की मैं आप को बताता हूं कि जब वे बन रहे थे तो वहां पर रात-दिन शिफ्टों में काम हुआ है। इस तरह से लक्ष्य के अन्दर काम को पूरा किया जाता था। इस तरह से मुझे फख्र के साथ कहना पड़ता है कि जो सिंचाई का काम हुआ है, वह निर्धारित समय के अन्दर पूरा किया गया है और इससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। आज लड़ाई और इमरजेंसी के जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं। उसमें खेती पर बल देना बहुत आवश्यक है और यह तो आप को मालूम होगा कि खेती के लिये सिंचाई कितनी जरूरी है। उसके लिये जो अनुदान की मांग की गई है, वह मेरे खयाल में बहुत कम है। मेरा यह स्पष्ट कथन है कि यदि इससे भी ज्यादा अनुदान इस आदरणीय सदन के समक्ष रखा गया होता तो हमें किंचित भी संकोच न होता।

इसके साथ ही मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। यह क्षेत्र तीन हिस्सों में बटा हुआ है। मैं आप को बताऊं कि बहुत से गांव परगना, महली, जिला मिर्जापुर में ऐसे हैं जो कि हमेशा जलमग्न रहते हैं। जो रेगुलेटर गड़ई नदी में वाराणसी के बार्डर पर लगाया

गया है, उसकी वजह से यह हिस्सा सदैव जलमग्न रहता है। यहां पर आप को मैं बता देना चाहता हूं कि बड़े बड़े गांव हैं, और यहां की जनता बड़ी ही परिश्रमी है। यह ७० गांव बहुत ही मशहूर हैं. लेकिन वाटर लॉगिंग की एक वहां पर बड़ी समस्या है और इसको हल करना निहायत जरूरी है। इस आपत्ति का सामना करने में वहां की जनता को समर्थ बनाना है ताकि वहां की जनता खेती के उत्पादन को बढ़ा सके। इसमें अधिक पैसा भी नहीं खर्च होगा और खेती का उत्पादन बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। इसलिये मैं अपने मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं। इस छोटे से काम को जल्दी से जल्दी किया जाय। मैं यहां यह भी कह देना चाहता हूं और यह उचित ही समझता हूं और इसके लिये सर्वे भी हो चुका है और कुछ प्राविजन भी किया गया था, लेकिन पता नहीं अब तक यह काम किस तरह से पूरा नहीं हो सका है। मैं चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी इस काम की तरफ खयाल किया जाय।

इसी तरह से गोरखपुर का ताल है, जिसमें कई एकड़ जमीन जलमग्न रहती है। अगर्चे इसमें एक मील का ड्रेनेज बना दिया जाय और उसको गुरहा नाले से जोड़ दिया जाय जो कि रामनगर में जाता है, तो इस तरह से काफी फसल वहां पर पैदा हो सकती है। बनारस जिले में १५ गांव का माइनर बनाया जा सकता है और इस माइनर का खर्चा भी बहुत कम पड़ेगा। जारगों मुगल सराय राजबहा के ११ वीं मील पर परगना भूइली में जो गवां गांव के पास से १५ गांवों के लिए एक माइनर बनाया जा सकता है और इस माइनर का खर्चा भी बहुत कम पड़ेगा। उससे मैं समझता हूं जो १५ गांव हैं जिनकी जमीन बहुत उपजाऊ है, उनको बहुत फायदा पहुंच सकता है।

इसके अलावा श्रीमन्, अगरसन और रुपौंधा गांव के करीब जो पथरौरा माइनर है उसकी टेल को अगर एक मील और बढ़ा दिया जाय तो उससे भी जो ३-४ गांव हैं--परसिया, बेलवारी और बिरजीवनपुर, उनको बहुत फायदा पहुंच सकता है और वहां आबपाशी बहुत आसानी से हो सकती है।

ट्यूबवेलों के बारे में यह शिकायत की गयी कि उन पर बहुत नुकसान हो रहा है। मैं समझता हूं, इस पर वृहत् तरीके से सोचने की जरूरत है। जिन गांवों में आसानी से बिजली जा सकती है वहां लोगों को सब्सीडी आदि देकर, कुछ रुपया कर्ज देकर उनको अपने कुएं बनवाने के लिये इजाजत देनी चाहिए। ऐसा करने से जो ट्यूबवेलों की शिकायत है इसको बहुत हद तक दूर किया जा सकता है और उससे हर आदमी जब जितना चाहे पानी ले सकता है। आज जो यह शिकायत है कि इससे बहुत ज्यादा आबपाशी नहीं हो सकती, यह शिकायत भी दूर हो सकती है।

एक हमारे यहां क्रियात परगना है जहां पर करीब ८० गांव हैं। वहां पर ३-४ ट्यूबवेल्स ही लगे हुये हैं। मैं समझता हूं कि वहां पर अब चकबन्दी शुरू हो गयी है और शायद एक साल के अन्दर ही वह खत्म हो जायेगी। वहां की जमीन भी बहुत जरखेज है। वहां पर बिजली से ट्यूबवेल चल रहे हैं। वहां पर बिजली पहुंचाना आसान काम होगा। इस लिये यह अच्छा होगा अगर वहां पर कुछ और ट्यूबवेल लगा दिये जायं तथा वहां पर लोगों को सब्सीडी आदि दे कर यह कार्य कराया जाय। किसानों को इन्करेज करना चाहिये कि वे अपने कुएं खुद बनायें। सरकार उसके लिये उनको मदद दे। उससे वहां की सिंचाई की समस्या काफी हद तक हल हो सकती है।

इसी तरह से चुनार तहसील में जो हवेली परगना है, जो गंगा जी के किनारे है, वहां एक तरफ रेलवे लाइन है, दूसरी तरफ गंगा जी का किनारा है, वहां पर बिजली पहुंचा कर, प्राइवेट तरीके से, सब्सीडी दे कर, कुएं बनवाने का इन्तजाम किया जाय ताकि जो जरखेज जमीन है उस पर सिंचाई हो सके और पैदावार को दुगना तिगुना बढ़ाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं माननीय सिंचाई मंत्री जी को तथा जो इस कार्य को चला रहे हैं उनको बधाई देना चाहता हूं।

*श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं क्योंकि आप ने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारे माननीय सिंचाई मन्त्री जी ने अपने भाषण में एक बात बताई कि हम को ट्यूबवेल के लिये बाहर से मुद्रा मंगानी पड़ती है। मेरा तो यह खयाल है कि एक ट्यूबवेल में कम से कम ६५ हजार की लागत आती है और जब वह लगता है तो उससे कितनी सिंचाई होती है? उसकी जगह अगर छोटे-छोटे कुओं का निर्माण कर दिया जाय तो उससे ३०, ३२ कुओं का निर्माण हो सकता है। उससे एक फायदा यह भी होगा कि जो मजदूर वहां बेकार होते हैं उनकी बेकारी भी दूर होती है और किसान समय-समय पर अपने आप सिंचाई भी कर लेता है। ट्यूबवेल ऐसा होता है कि बिजली कट जाती है और फिर नहीं आती और टाइम से सिंचाई के साधन उपलब्ध न होने के कारण फसल सूख जाती है। ज्यादातर कच्ची गूलें बनी हुई हैं जिससे पानी बारबार कट जाने से और भर जाने से फसल सब बरबाद हो जाती है। इसलिए यदि सरकार कोई ऐसी योजना बनाये कि इस रुपये को किसानों को ही दे दिया जाय और वह जरूरत के मुताबिक कुएं बना कर स्वयं पानी का साधन उपलब्ध कर सकें तो उचित होगा। फूलपुर तहसील में धान की फसल होती है, वहां उत्तरी क्षेत्र में ट्यूबवेल नाम-मात्र को हैं। वहां बरसात में केवल धान की ही फसल हो पाती है, रबी की नहीं हो पाती। कछार एरिया में तो कटाव है, जहां पानी के साधन होने चाहिए वहां भी न होने से ठीक ढंग से फसलें नहीं हो पाती हैं। अभी मंत्री जी हंडिया में गये थे, मैंने अखबारों में पढ़ा था कि उन्होंने आश्वासन दिया है कि २० ट्यूबवेल और लगायेंगे। मुझे आशा है कि जहां जरूरत हो उसके मुताबिक विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे।

जहां तक नालियों का सम्बन्ध है, अधिष्ठाता महोदय, मैंने देखा है कि जितनी गूलें हैं वह एक मील से ज्यादा पक्की नहीं हैं और ३–३, ४–४ मील कच्ची नाली बना ली जाती हैं जिससे पानी बेकार होता है। तो जब घाटा ही घाटा चल रहा है तो पानी के बचाव की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए और नालियों को पक्की बनाने की कोशिश करनी चाहिये।

मैंने देखा कि डालमियां की ऐलमिनियम फैक्टरी में बिजली की दर एक पैसा पर यूनिट है जबकि किसानों से १७ पैसे पर यूनिट चार्ज किये जाते हैं। यह तो पूंजीपति को ही सुविधा दी गयी है, लेकिन किसान जो देश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए इतनी मेहनत करता है उसपर अधिक चार्ज करते हैं। तो इस ओर भी अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए और रेट कम होना चाहिए।

चौथी बात यह है कि आपरेटर जो अच्छा काम करता है उसके लिए सरकार की तरफ से कोई प्रलोभन नहीं है कि जो अधिक से अधिक पानी दे सके तो उनको प्रोत्साहन दिया जाय। इसलिए कुछ न कुछ इनाम या तरक्की की योजना पर सरकार विचार करे ताकि जो आपरेटर ज्यादा से ज्यादा सिंचाई के लिए पानी दे उसको प्रोत्साहन मिले।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अक्सर किसानों के यहां थोकदार हुआ करते हैं, और वह अपने ही लोगों को अवसर दे दिया करते हैं। जो उनके विरोध में रहते हैं, उनको वोट नहीं देते हैं। तो उनको पानी नहीं मिलता है। पार्टीबन्दी होती है, गांव में लड़ाई होती है, और फसल बरबाद होती है। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि कम से कम इधर अवश्य ध्यान दें कि पार्टीबन्दी के सिलसिले में कोई ऐसी योजना बनाएं ताकि किसानों का नुक्सान न हो और पानी सभी को उपलब्ध हो सके। कुछ और भी बातें चलती हैं। हमने देखा है कि बहुत से ट्यूबवेल इलाहाबाद में बने। लेकिन इंजीनियर लोग उनका ठीक से उपयोग न कर सके। उनसे बहुत सी जमीन सींची जा सकती थी। परन्तु अब ठीक ढंग से देखभाल न होने के कारण सिंचाई नहीं हो पा रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं एक दरख़्वास्त और करूंगा। सिंचाई विभाग के अफ़सर जो हैं वे अफ़सर बन कर काम करते हैं। मैं सोचता हूं कि उन्हें बिलकुल बनिया बन कर काम करना चाहिये और घाटे व मुनाफ़े का ध्यान रखना चाहिये। वर्ना हमारी घाटे ही घाटे की योजनायें चलती रहेंगी। मैं कुवों के लिये विशेष जोर देता हूं। चकबन्दी में हमने देखा है कि बीच से नाली निकाल देते हैं जिसके कारण किसान अच्छी तरह खेती और सिंचाई नहीं कर सकता है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस बात को देखेगी कि नालियां इस प्रकार से निकाली जावें कि काश्तकारों का विशेष नुकसान न हो।

कुमारी श्रद्धा देवी (जिला मेरठ)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करती हूं।

मान्यवर, आज एमेर्जेंसी के युग में सिंचाई विभाग का कितना अधिक महत्व है, यह सभी माननीय सदस्य भली भांति जानते हैं। मैं समझती हूं कि हमारे प्रदेश की आर्थिक उन्नति कृषि पर आधारित है और कृषि के सरप्लस उत्पादन पर हमारा उद्योगीकरण निर्भर है। तो मूल आधार कृषि के सरप्लस उत्पादन का हुआ सिंचाई विभाग। इसलिये मैं सिंचाई, पावर और कृषि के, इन तीनों विभागों के बजटों का, हृदय से समर्थन करती चली आ रही हूं और आज भी करती हूं।

मान्यवर, जैसा कि हमारे सिंचाई मंत्री जी ने कहा, सिंचाई विभाग में भगीरथ प्रयत्न होते आये हैं और सर्वोन्मुखी उन्नति हुई है। यह बात सत्य है। मंत्री जी ने कहा कि सिंचाई विभाग के अन्तर्गत बहुत सारी योजनायें हैं। लेकिन हमारी बड़ी बड़ी योजनायें, जैसे रामगंगा योजना, माताटीला योजना और उसके अन्तर्गत छोटी छोटी सिंचाई की योजनायें, गण्डक नहर, नानक सगर, नरौरा बांध योजना, जमनी बांध योजना, मूसाखण्ड बांध आदि बहुत सारी योजनायें चल रही हैं। दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में जहां ट्यूबवेल नहीं लग पाते हैं, पथरीली जमीन है, वहां बंधियों की योजना चल रही है जिनसे खेती की उन्नति होगी। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्रों के लिये भी उन्होंने कहा कि वहां भी वह नहर बनाने की योजना रखते हैं। सम्भवतः कुछ मील नहर बनायी जा चुकी हैं और २१ मील नहर बनाने की उनकी एक योजना है। इस प्रकार से, मैं समझती हूं, सिंचाई विभाग में बराबर उन्नति हो रही है।

मान्यवर, हमारा १९५०-५१ में सिंचित एरिया था ६७,३१,१५५ एकड़, १९५५-५६ में हुआ ६३,८३,३०२, १९६०-६१ में ८०,५५,३५५ और १९६३ तक ८८ लाख एकड़ हो गया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि उत्तरोत्तर हमारा सिंचित एरिया बढ़ता चला गया। हमारी तृतीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य १ करोड़ १२ लाख है। यानी टोटल अन्त में जाकर अगर मैं गलत नहीं समझती हूं तो १९५०-५१ से २१ लाख अधिक सन् १९६३ तक जाकर होता है जो कि हमारे लिए गौरव की बात हो सकती है। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूंगी कि जहां हमारा सिंचाई का एरिया बढ़ा है, मैंने थोड़ा तुलनात्मक दृष्टि से देखा था, हमारे खाद्यान्न उत्पादन में भी, कृषि विभाग में, उन्नति उत्तरोत्तर हुई है, २ साल को छोड़कर, जोकि मैंने जोत-कर विधेयक पर आंकड़े दिये थे। लेकिन इतना मैं नहीं कह सकती कि जितना एरिया बढ़ा उसके हिसाब से हमारे कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, वृद्धि हुई जरूर है। सन् ५० में अनाज की पैदावार ११५.८९ लाख टन थी। १९५५-५६ में ११८.६७ लाख टन हुई, और १९६०-६१ में १४२.५७ लाख टन हुई। तीसरी योजना में १८३.०२ लाख टन का लक्ष्य है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि गत १० वर्षों में, मैं प्रथम और द्वितीय योजनाओं की बात कह रही हूं, हमारे खाद्यान्न में २७ लाख टन की वृद्धि हुई जो कि एरिया के हिसाब से कोई ज्यादा मुझको नहीं दिखाई देती। गन्ने की पैदावार में १० वर्षों में ५४६ लाख टन गन्ना बढ़ा। आलू में १० वर्ष में १ लाख टन बढ़ा। तिलहन में तो ६ लाख टन की वृद्धि हुई। लेकिन यह सब इस प्रकार से नहीं हुआ जैसा होना चाहिये था। एरिया ही केवल

[कुमारी श्रद्धादेवी]
बढ़ने से खाद्यान्न की उन्नति नहीं होगी। सिंचाई और कृषि विभागों का सामंजस्य होगा, खाद-पानी-बीज एक ही विभाग द्वारा उचित समय पर दिये जावेंगे तो मेरा खयाल है कि काफ़ी उन्नति होगी।

दूसरा निवेदन मेरा यह है कि जितने भी हमारे अधिकारीगण हैं उनके लिए एक कोटा निर्धारित कर दिया जाय। वह एरिया लेते हैं। मेरा सुझाव है कि ट्यूबवेल आपरेटर, पतरौल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एस० डी० ओ० सब के लिये कोटा बांध दिया जाय कि तुमको इतना अन्न उत्पादन कर के देना होगा। तब वे यह सोचेंगे कि कितना अन्न इतने एकड़ में देना है। जब वे सोचेंगे कि इतना अन्न मेरे कोटे का १८ एकड़ में हो सकता है और पानी दे पावेंगे ५ एकड़ के लिये ही, और १३ एकड़ के लिये पानी नहीं दे पावेंगे, तो वे सोचेंगे कि कैसे कोटा पूरा होगा। इसलिये हमारे अधिकारियों के लिये, नीचे से लगाकर ऊपर तक, कृषि उत्पादन का कोटा निश्चित होना चाहिये, तब वे सुझाव देंगे कि किस तरह से लघु उद्योग और लघु सिंचाई की योजनायें होनी चाहिये, किस प्रकार से वृहद् सिंचाई योजना होनी चाहिये। इस भांति अपने पर पड़ने पर ही वे आप को सही सही सुझाव भेजेंगे।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि बाढ़-ग्रस्त जिलों में कुछ अच्छे जिले हैं और जिनको मैं समझती हूं हमारे प्रदेश की ग्रेनरी हो सकते हैं उन जिलों को नमूने के तौर पर ले लिये जायं और सिंचाई से उनको सेचुरेट किया जाय। दक्षिण-पूर्वी जिलों को लघु सिंचाई योजना से सेचुरेट किया जाय तथा और कृषि के साधनों से सेचुरेट किया जाय और फिर उसके नतीजे देखे जायं। मैं समझती हूं उनका बहुत अच्छा नतीजा होगा।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई विभाग के महत्व के बारे में कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कृषि प्रधान अर्थ-व्यवस्था में सिंचाई के साधनों की अभूतपूर्व आवश्यकता होती है, इससे स्वतः ही इस बात को समझा जा सकता है। इस विषय में केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी सम्पूर्ण जो उपजाऊ भूमि है उस को शीघ्रातिशीघ्र सिंचित किया जाना चाहिये इससे हमारी तरक्की द्रुतगति से हो सकती है। नेचर के ऊपर ही डिपेन्ड रहने से खेती में अधिक डवलपमेंट नहीं किया जा सकता। उसके लिये मेरा एक सुझाव यह है कि सिंचाई को हमें आमदनी का साधन नहीं बनाना चाहिये, बल्कि केवल खर्च के हिसाब से आबपाशी के चार्जेज लेने चाहिये।

तीसरी पंचवर्षीय योजना की प्रगति रिपोर्ट में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सरकार ने वृहत् और मध्यम वर्ग की योजनाओं को ज्यादा बल दिया, लेकिन लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक बल नहीं दिया जो दिया जाना चाहिये। अभी मंत्री जी ने कहा कि हमारे सामने फारेन एक्सचेन्ज की समस्या आ जाती है। मेरा विचार है कि अगर सरकार ने तकावी आदि के द्वारा लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक बल दिया होता तो उसके सामने यह समस्या न आती। इसके अलावा किसान को समय पर पानी न मिलने की शिकायत रहती है वह भी न रहती। इसलिये लघु सिंचाई योजनाओं पर अधिक बल दिया जाना चाहिये था।

इसी पुस्तिका में यह भी बताया गया है कि संकटकालीन स्थिति के कारण गंडक नहर और सरजू नहर योजनाओं को स्थगित कर दिया गया है। सभी सदस्यों ने यह भाव व्यक्त किये कि संकटकालीन स्थिति में तो सिंचाई योजनाओं को और आगे बढ़ाना चाहिये था। मैं सरकार का यह भाव न समझ पाया कि उसने इन योजनाओं को संकट काल में क्यों बंद कर दिया। पुस्तिका में आंकड़ों के द्वारा यह भी साबित किया गया है कि सिंचाई आकड़ों में बढ़ी है, लेकिन यह भी सत्य है सिंचाई के कष्ट लोगों के बढ़े हैं। अधिक पानी वाली फसलों को समय पर पानी नहीं मिलता। किसी को पानी की आवश्यकता है तो केवल एक ही बार मिल पाता है और उसका नतीजा यह होता है कि फसल सूख जाती है। कहीं कहीं ऐसा हुआ है कि पानी अधिक जाता है और इतना अधिक पानी जाता है कि माइनर के एंड से बहकर

सैकड़ों बीघे जमीन जलमग्न हो गयी है। इसका उदाहरण लालगढ़ी माइनर से निकले हुये पानी का जो कि फतेहगढ़ शाखा में है हमारे सामने है जिससे महसुआ, जिनौल, आदि गांवों की सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न है। इसी तरह से बलिया जिले के कुसाड़ी माइनर के सम्बन्ध में ब्लाक नगरा के निकासी गांव से सूचना मिली है कि वहां के लोगों ने इस आशा में कि नहर से हमें पानी मिलेगा, अपने यहां ईख बो दी, लेकिन ईख के लिये एक बार पानी दिया गया, फिर दुबारा उन्हें पानी नहीं मिला जिससे किसानों के ईख के खेत सूख गये और मुश्किल से किसानों को १० सेर बीघा के हिसाब से गुड़ मिला। इसके बाद भी उनसे पूरी आबपाशी वसूल की जा रही है। तो माननीय मंत्री जी को इन दोनों तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिये। एक तो यह कि लालगढ़ी माइनर पर टेल बनवा दें जहां किसानों को अपनी फसल के लिये पानी नहीं मिलता और दूसरे यह कि दोबारा पानी न देने के बाद भी किसानों से आबपाशी वसूल की जा रही है जो न होनी चाहिये।

दूसरा प्वाइंट जो मुझे सरकार के सामने रखना है वह यह है कि पर्वतीय इलाके में सिंचाई क साधन जहां तक हो सकें द्रुतगति से विकसित करने चाहिये। क्योंकि हमारी सीमा पर जो दूसरे देश हैं वहां के किसानों से यहां कहीं अधिक सिंचाई व कृषि के डेवलपमेंट की सुविधा नहीं देंगे तो पंचमांगी कम्युनिस्ट तत्व उनको यह कह कर भड़का सकते हैं कि चूंकि वहां कम्युनिस्ट राज्य है इसलिये वे तुमसे ज्यादा प्रास्परस हैं और तुम लोग गरीब हो। इसलिये सिंचाई के साधन विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ाने चाहिये। सिंचित क्षमता के बारे में यह कहा गया कि नालियां बनाने के लिये सरकार ने धन का प्रबन्ध किया है। यह एक बहुत ही अच्छा कदम है जिससे सिंचाई के साधनों में वृद्धि होगी। परन्तु साथ ही साथ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां सिंचाई केवल गूल की वजह से ही नहीं रुकी, बल्कि नहरों में कुलाबे न होने की वजह से भी यह दिक्कत सामने आयी; फतेहगढ़ शाखा के ही नर्थर गांव के पास कुलाबे की आवश्यकता है। कहा गया है कि सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए कई ऐसी सुविधायें और कुछ नियम प्रस्तुत किये गये हैं। उन नियमों में मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी दो नियमों की और व्यवस्था करें। एक तो यह कि लघु सिंचाई योजना के बारे में किसानों को तकावी व सब्सिडी बांटी जाती है ब्लाक स्तर पर और वहां एक सब से बड़ी समस्या जो व्यवहारिक है, उस ओर आप को ध्यान देना पड़ेगा। जो धन वितरित करने वाले अधिकारी लोग हैं वे किसानों से पहले ही कमीशन तय कर लेते हैं जिससे वहां के किसान बड़े परेशान हैं और इसकी वजह से कोई भला किसान तो तकावी लेना पसन्द ही नहीं करता। मैं सब अधिकारियों के लिये नहीं कहता, लेकिन अधिकतर ऐसे अधिकारी हैं जो इस तरह से किसानों से रिश्वत लेते हैं और यह मेरी जानकारी में भी है।

दूसरा प्राबलम यह है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से आपका विभाग यह तय कर ले कि तकावी के लिये लिस्ट लेने के लिये किसानों को जो तहसील हेड क्वार्टर पर जाकर हर फर्द के लिये ४०-४५ रुपया देना पड़ता है, वह उसे न देना पड़े और इस तरह का फर्द हर किसान को ब्लाक आफिस में ही मिल जाया करे। इस तरह से हर किसान से जो रिश्वत के रूप में पैसा ऐंठा जाता है वह भी बन्द हो जायगा।

श्री केशव सिंह (जिला शाहजहांपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, हम लोग जो देहात के रहने वाले हैं और जिनकी आजीविका ही कृषि है, उनको सिंचाई के लिये पानी का प्रबन्ध हो जाय तो हम समझ जायं कि हमारे लिये प्लानिंग सही ढंग से की गयी है। हर खेत की सिंचाई के लिये अगर पानी मिल जाय तो उससे हमारी आमदनी भी बढ़ जायगी और उसी से हमारे सभी प्रकार के जीवनोपयोगी साधन भी जुट जायंगे।

[श्री केशवसिंह]

उसके बाद फिर आपके सामने किसानों को हाथ पसारने की जरूरत नहीं रह जायगी। इस लिये सरकार देहातों के लिये जितना भी सिंचाई का प्रबन्ध कर रही है, उतना ही हम समझते हैं कि हमारे देहातों के फायदे के लिये कुछ काम किया गया है।

मैं शाहजहांपुर जिले की तहसील जलालाबाद का जिक्र करना चाहता हूं, वहां पर दो तीन प्रतिशत से अधिक सिंचाई का क्षेत्र नहीं है, न वहां पर अधिक नहरें हैं, न नलकूप हैं और न सिंचाई के अन्य अच्छे साधन हैं, केवल तीन चार प्रतिशत क्षेत्र है जो नहरों से सींचा जाता है और २–४ नलकूप हैं। बदायूं से जो ट्यूबवेल की लाइन परौर तक है उसको और आगे अगर कादराबाद से ककोडा, अस्तोली, कुडरी, इकरी, दमुलिया, कीलापुर भौति, कुनिया, हस्सीपर, मिर्जापुर, जरीनपुर, पृथ्वीपुर, ढाई, भौगांव, मुबारकपुर, कलान जखियां, तक बढ़ा दिया जाय तो खेतों की सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है और खेतों का उत्पादन भी बढ़ सकता है। जलालाबाद से फर्रुखाबाद तक पक्की सड़क जाती है, बिजली की लाइन जलालाबाद में मौजूद है, अल्लागंज तक अगर बढ़ाई जाय तो उससे लाभ हो सकता है। जलालाबाद से अल्लागंज तक पक्की सड़कों के पूर्व की ओर ट्यूबवेल के लिये बिजली की लाइन बिछाई जा सकती है। जलालाबाद के खण्डहर की साइड में ४–५ निजी नलकूप बने हैं अगर उधर लाइन को भी बुधआने तक और फिर खंडहर तक बढ़ा दिया जाय तो सिंचाई की सम्भावना हो सकती है और वहां के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सकता है। खेरा बझेड़ा एक अच्छा क्षेत्र है और एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, वहां के लोगों का जीवनस्तर बहुत नीचे गिरा हुआ है, अगर उसको ऊपर उठाया जाय तो जो डकैतियां और झगड़े वहां होते हैं वह खत्म हो जायंगे। इसी तरह से रामगंगा और गंगा के बीच का जो क्षेत्र बुधुआना है उसमें एक सोत नदी है वहां पर जिस जगह पर सरकार मुनासिब समझे किसी खास जगह पर नहीं, एक बांध बांध कर नहरें निकाली जायं तो उससे बहुत लाभ हो सकता है। जो खर्च उस बांध के बांधने में आयेगा उसका आधा खर्च हम वहां के निवासी देने को तैयार हैं। इसी तरह से बहगुल का जो बांध है, उसे पक्का कर दिया जाय तो उससे भी ६४ गांवों की सिंचाई हो सकती है और काफी लाभ हो सकता है। गवर्नमेंट इस पिछड़े हुये इलाके की तरफ ध्यान दे, वहां पर कोई यातायात के साधन नहीं है, जीप भी वहां नहीं पहुंच पाती और इसी कारण से वहां तक अधिकारी और अफसर नहीं पहुंच पाते हैं। इसी तरह से फरीदपुर के पास एक ड्रेनेज रेवती नाला नहर विभाग ने निकाला है। इस पर नहर विभाग तीन पुलिया बना चुका है। एक पुलिया तरा ग्राम पर, दूसरी मेवा ग्राम पर जिसका अन्तर केवल ४ फर्लांग का है और तीसरी पुलिया इस पुलिया से तीन मील के अन्तर पर है। उसके बाद यह नाला सरजूपुर के पास बहगुल नदी में मिलाया गया है और इन ७ मील के बीच में एक भी पुलिया नहीं है और इसके कारण वहां के कम से कम २५ गांवों के लोगों को बहुत कष्ट है। इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र भी इंजीनियर साहब के पास शाहजहांपुर में आ चुका है। मेरी प्रार्थना है कि इस फासले में कम से कम २ पुलिया जरूर बनाई जायं, एक तो बिनौरा ग्राम पर और दूसरी कुम्रा डाडी ग्राम पर। यह कार्य इसी वर्ष हो जाय तो मंत्री जी की बड़ी कृपा होगी। यही मेरी प्रार्थना है, मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस की तरफ ध्यान देगी और इस पिछड़े हुये इलाके को भी ऊपर उठाने की कोशिश करेगी। इसके अलावा खेड़ा बझेड़ा क्षेत्र में बरुआ के पास सुखनेया नाम की नदी है, यदि उस पर बांध बाधा जाय तो ५० गांवों की सिंचाई हो सकती है। फरीदपुर ब्रांच से बझेड़ा रजबहा निकला है उसको रिमार्डोलिंग के लिये लिया गया है, वह भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा हो जाय तो अच्छा है। उस पर कोई पुल भी नहीं है, अगर पुल बन जाय तो अच्छा रहे। इस रजबहा से कम से कम गांवों की सिंचाई होगी जहां अभी कोई सिंचाई का साधन नहीं है। सरकार इस ओर ध्यान देगी और इस पिछड़े हुये इलाके को पानी देगी ताकि वह भी तरक्की कर सके। मैं चाहता हूं कि यह अनुदान तो ड्योढ़ा होना चाहिये ताकि छोटी बड़ी सिंचाई योजनायें जल्द कार्यान्वित की जा सकें। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री भगवानसहाय (जिला शाहजहांपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय भानुप्रतापसिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया उसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं और समझता हूं पहली दफा इस सरकार के सिंचाई विभाग ने कुछ ऐसे कदम उठाये हैं जिनके द्वारा सिंचाई का ही नहीं बल्कि जमीन के सुधार के मुताल्लिक बहुत बड़ी सम्भावनायें हैं। सिंचाई है क्या ? मैं एक अमली किसान होने की हैसियत से यह समझता हूं कि खेत को जरूरत के माफिक पानी समय से मिले, वही सिंचाई है और इस हिसाब से जब विभाग के कार्य को देखता हूं, खास तौर से नहर के काम को, ट्यूबवेल का मुझे तजुर्बा नहीं है, तो मैं समझता हूं किसान को पानी न तो समय से मिलता है और न जरूरत के मुताबिक मिलता है।

आज से कुछ साल पहले इसी सरकार ने बड़े-बड़े आंकड़े पेश किये, नहर से सिंचाई की प्रगति को दिखाया लेकिन वह सही नहीं थे क्योंकि जहां कहीं पर थोड़ी सी जरूरत हुई सिंचाई की तो विभाग ने नहर से, खास तौर से मैं शारदा नहर के मुताल्लिक कह रहा हूं, माइनर निकाल दी, एक मील, दो मील, तीन मील की लम्बाई के। लेकिन शारदा सागर के डिसचार्ज की कैपेसिटी वही रही, वह नहीं बढ़ी। तो जब उन्होंने माइलेज बढ़ाया वह बेकार गया, क्योंकि उतना ही पानी बिना उसकी डिसचार्ज कैपेसिटी बढ़ाये माइलेज में डिवाइड हो गया। पहले ही किसान को कम पानी मिलता था उससे भी कम मिलने लगा। मंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बाढ़ बड़ा अभिशाप है। सही है, पर है क्यों, किसके कारण है, कहां से आया ? मेरी समझ में इसकी जिम्मेदारी इस सरकार और केन्द्रीय सरकार की गलत प्लानिंग पर है। और वह क्यों है ? जितनी डेवलपमेंट की स्कीम्स बनायी गयीं कभी इस बात का खयाल नहीं किया कि नेशन बिल्डिंग के दूसरे विभाग पर उसका क्या असर पड़ता है। एक मामूली सी मिसाल है जिसको मंत्री जी स्वीकार करेंगे कि अगर पानी १ फुट में १ इंच बरस जाय तो १ वर्ग मील एरिया के अन्दर २५ क्यूसेक्स डिसचार्ज की कैपेसिटी पैदा होती है। क्या मैं माननीय मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि उन्होंने जो अपने वर्क्स बनाये हैं, उसमें जो आउटलेट्स रखे हैं उनकी डिसचार्ज कैपेसिटी क्या रखी है ? पहले जितने वर्क्स रखे उनमें ढाई क्युसेक्स डिसचार्ज कैपेसिटी रखी। उसके बाद ५ क्युसेक्स रखी और आज भी माननीय मंत्री जी जो वर्क्स बना रखे हैं उनमें डिसचार्ज कैपेसिटी १० क्युसेक्स के हिसाब से रख रहे हैं और बहुत बड़े काम जो हैं उनमें हद से हद २० क्युसेक्स की डिसचार्ज कैपेसिटी बना दी है। अक्सर ऐसा होता है कि भारी पानी बरसने लगता है और जब उसे आउटलेट नहीं मिलता है तो वह एक साथ निकल कर एक भयंकर बाढ़ की सूरत धारण कर लेता है। अधिष्ठाता महोदय, पानी के बहाव को दुनिया के अन्दर न कोई रोक पाया है, न आइन्दा रोक सकता है। उसका बहाव आप दूसरी दिशा में बदल सकते हैं और उस दिशा को बदलकर उस पानी को आप पालतू करके अपनी आज्ञानुसार उसे लाकर किसानों को देते हैं ताकि भूखी जमीन की प्यास बुझा सके। आपने शारदा कैनाल बनाई मगर इस बात का ख़याल नहीं किया कि यह कैनाल क्या असर पैदा करेगी। यह ठीक है कि उससे हमारे खेतों को पानी मिला लेकिन उसका असर यह हुआ कि शाहजहांपुर जिले में जहां गेहूं का सरप्लस था, धान करीब-करीब अनजान चीज थी, आज सारे के सारे जिले में इतना पैदा होने लगा है, ७-८ लाख मन धान वहां से बाहर जाने लगा है और गेहूं इतिहास की तरह पुरानी चीज होती जा रही है।

शारदा सागर से जो मेन कैनाल आई है उसके दोनों ओर सीपेज इतना बढ़ गया है कि दोनों तरफ ५, ६ फुट के नाले निरन्तर बहते हैं। यह पानी १२ महीने बहता है और इस प्रकार शारदा कैनाल की मेन लाइन के दोनों तरफ मीलों जमीन के अन्दर इतना पानी आ गया है कि वह पानी ऊपर को रिसता है। उसका नतीजा यह होता है कि उस जमीन की उर्वरा शक्ति कम हो गयी है और कम होती जा रही है। जो साल्ट्स पहले जमीन के अन्दर रहते थे अब निरन्तर पानी बहने से, पानी रिसने से ऊपर आ रहे हैं और जमीन अलक्लाइन

[श्री भगवानसहाय]

होती जा रही है । अधिष्ठाता महोदय, पहले जब पानी बरसता था जमीन सूखी होती थी, पानी की मुन्तजर रहती थी और अब वह उस बरसे हुए पानी का ४० से ६० फीसदी पी लेती थी लेकिन आज जमीन की प्यास बुझ गयी सदैव के लिये और नतीजा हुआ कि जो पानी बरसता है वह बहाव चाहता है, जमीन उसको नहीं मांगती और नतीजा यह होता है कि वह ४० से ६० फीसदी पानी जिसको जमीन पी लेती थी अब जमीन के न पीने के कारण फ्लड की शकल अख्तियार कर लेता है । मैं एक तारीखी वाकया बतलाना चाहता हूं । गढ़वाल के अन्दर एक दफा पानी बहुत हुआ और नतीजा यह हुआ कि बहुत बड़ा लैन्ड स्लाइड हुआ और लैन्ड स्लाइड का नतीजा यह हुआ कि पूरी की पूरी वेली में एक बड़ी दीवार खड़ी हो गयी । यह वाकया सन् १८०० कुछ का है और वह दीवार खड़ी होने के बाद पानी इकट्ठा होने लगा और जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था, पानी को कोई रोक नहीं सकता । सैकड़ों फीट चौड़ी दीवार भी उस पानी को रोक नहीं पायी । इंजीनियर्स ने कैलकुलेट किया और नीचे के दरिया के किनारे के रहने वाले गांवों को वार्न किया । वह दीवार फटी और कानपुर तक के सारे रैवीन प्रदेश को जलमग्न कर दिया । एक अनप्रिसीडेंटेड फ्लड आया और टूटने के बाद एक लेक बनी वह लेक आज भी है जो गोआना लेक के नाम से मशहूर है । तो पहले फ्लड्स इसलिये आते थे कि कैचमेंट एरिया में एकदम से अनप्रिसीडेंट रेन्स हो गये और वह पानी एकदम से जब बहा तो नीचे के मैदान को फ्लड कर दिया । लेकिन आज सूखा होता है और कहीं पर पानी नहरों ने, सड़कों ने, रेलों ने रोक रखा है और जब वह पानी एकदम से छूटा तो उसने एक भयंकर फ्लड की शक्ल अख्तियार कर ली । तो इस गम्भीर समस्या के ऊपर मंत्री जी ध्यान दें । आज के फ्लड्स इन्सान के बनाये हुये फ्लड्स हैं ।

दूसरी बात, मैं माननीय मंत्री जी से आपके द्वारा खास तौर से यह कहूंगा कि वे वाटरलागिंग की समस्या की तरफ मुनासिब तवज्जह दें । जब हालैंड जैसा देश जिसका एक-तिहाई हिस्सा मुस्तकिल तौर से ५० से १०० फीट तक समुद्र की सतह के नीचे रहता है और उसने अपनी समस्या हल कर ली है तो यहां जो ६ फीट पानी भर जाता है उसको माननीय मंत्री जी के विभाग के कर्मचारी आज की साइन्स और रिसोर्सेज से क्यों नहीं हल कर सकते हैं ?

दूसरी एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि अभी थोड़े दिन हुये जब मैंने शाहजहांपुर के अन्तरिम परिषद् में कहा था कि शारदा कैनाल की सिंचाई के पर्चे काश्तकारों को बिलकुल नहीं दिये जाते हैं तो उस दिन यह आश्वासन दिया गया था कि वे बांटे जायंगे लेकिन इस धान की फसल में भी एक पर्चा नहीं बांटा गया और मंत्री जी अगर जांच करें तो उन्हें पता चलेगा कि जिन खेतों में १ से २ फीट पानी वैसे ही भरा रहता है जुलाई से नवम्बर तक भरा रहता है लेकिन सिंचाई इसकी भी भरी जाती है और आबपाशी की सूचना किसान को उसी वक्त मिलती है जब रेवेन्यू विभाग का अमीन उसको वसूल करने आता है । तो किसान की इस कठिनाई की तरफ भी मंत्री जी काफी ध्यान करें ।

श्री देवेन्द्रसिंह (जिला नैनीताल)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि इस वाद विवाद में मुझे भी भाग लेने का आपने मौका दिया । सिंचाई का महत्व संकटकालीन स्थिति में हमारे देश में और भी बढ़ गया है । कृषि प्रधान देश होने के कारण वैसे भी हमें सिंचाई की अधिक आवश्यकता पड़ती है लेकिन जो वर्तमान स्थिति हमारे देश में गुजर रही है उसमें इसकी उपयोगिता और भी बढ़ गयी है । मुझे अत्यन्त खुशी है कि मंत्री महोदय ने इस अनुदान में जो धनराशि रखी है वह पर्याप्त है । हो सकता तो उसमें और भी वृद्धि की जाती लेकिन धनाभाव के कारण जो भी धनराशि इसमें रखी गयी है उससे हमारी इस दिशा में काफी प्रगति होगी । मान्यवर, हमारे देश की अर्थ व्यवस्था कृषि पर निर्भर है और कृषि की उन्नति सिंचाई पर निर्भर

है। सिंचाई के साधनों को सुदृढ़ बनाने के लिये हमारी जो योजनायें इस समय चल रही हैं या सरकार के विचाराधीन हैं उनमें एक मोड़ लाने की आवश्यकता है और उनमें तेजी भी लाने की आवश्यकता है ताकि जो जनता को फायदा होने वाला है वह शीघ्र हो सके। हमारी जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी उसमें सिंचाई पर करीब २५ करोड़ रुपया खर्च किया गया। लेकिन इस तृतीय योजना में वह रकम बढ़ कर ५१.७१ करोड़ हो गई है। इतना ही नहीं, इस साल सिंचाई पर ७८८ लाख रुपया खर्च होना है। इसके अतिरिक्त जो हमारी छोटी और मध्यम सिंचाई की परियोजनायें हैं उन पर भी ९४६ लाख रुपया खर्च होगा।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सिंचाई की पर्वतीय क्षेत्र में एक विशेष परिस्थिति है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं उसकी भौगोलिक स्थिति अन्य क्षेत्रों से भिन्न है। उसका कुछ हिस्सा पहाड़ों की तलहटी में है, कुछ तराई का हिस्सा है और दो तिहाई पहाड़ी हिस्सा है। अभी मंत्री जी ने अपने भाषण में पहाड़ी क्षेत्र के विषय में चर्चा की। उसके लिये मुझे उनको धन्यवाद करना है और उन्होंने जो उधर विशेष ध्यान दिया है वह सराहनीय है। पहाड़ी क्षेत्र में जो योजनायें बनी हैं वे बहुत अच्छी हैं लेकिन उनका जो मेंटीनेंस का काम है उसमें कुछ खामियां हैं उसकी ओर मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। जितने समय में काम होना चाहिये उतने समय में नहीं हो पाता है। ऐसा इंतजाम होना चाहिये ताकि पानी सुचारु रूप से चले जिससे कृषि और किसानों को फायदा हो। मेरे क्षेत्र में बहुत सी योजनायें बन चुकी हैं लेकिन पानी नहीं चल रहा है। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय। पिछले बजट वर्ष के समय मैंने एक योजना चीफ इंजीनियर को दी थी। उसको मैं दोहराना चाहता हूं, मुझे आशा है कि मंत्री जी उस पर ध्यान देंगे। मैंने जो सुझाव रखे हैं उन पर अमल किया जाय ताकि जनता को फायदा हो सके। भावर के बारे में मंत्री जी ने इसी सदन में जिक्र किया था कि भावर की नहरों का रेनोवेशन किया जायगा। मुझे अत्यन्त खुशी है और यह कार्य शीघ्र होना चाहिये जिससे वहां के किसानों को फायदा हो सके। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान खास तौर पर इस ओर भी दिलाना चाहता हूं कि जो पहाड़ों में, ड्रिंकिंग वाटर की स्कीम्स हैं उनका मेंटीनेंस बड़ा खराब है। उनको देखने वाला कोई नहीं है जिसकी वजह से पानी के बगैर वहां की जनता को रह जाना पड़ता है।

श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)---

मान्यवर, मैं, माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस सम्बन्ध में जो मंत्री जी ने भाषण दिया उसको मैंने बहुत गौर से सुना और इस की गहराई में जाना चाहा कि मंत्री जी का मकसद क्या है और किन कामयाबियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने अपनी तकरीर में दो योजनाओं का बार-बार जिक्र किया और जो चालू योजना है उसके दो वर्षों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत सी उपलब्धियां की हैं, पिछली पंचवर्षीय योजनाओं में यह कामयाबियां मिली हैं लेकिन दुख की बात है कि उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उन्होंने जो सिंचाई की योजना बनायी है, उसमें कितने फीसदी हम नाकामयाब रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। इसमें जरूरत है कि आबपाशी के पूरे तौर पर जराये बढ़ाये जायं ताकि इस प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो और जो यह लक्ष्य है कि हम अधिक पैदावार करके अनाज की अपनी जरूरत खुद पूरी कर लें और गल्ला बाहर से न मंगाना पड़े इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन उनका ध्यान इस तरफ भी ले जाना चाहता हूं कि महज इस बात को बार-बार दोहराने से कि दो पंचवर्षीय योजनाओं में जो काम किये हैं उन्हीं से सब कुछ कर लिया है और हमारा समाधान हो गया, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि हमने क्या खर्च किया। मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान जरूर ले जाना चाहता हूं कि पहली योजना १९५१ में शुरू हुई और १९५६ तक चली। जिस वक्त यह शुरू की गयी उस वक्त हमारे प्रदेश में खेती

[श्री शराफत हुसैन रिजवी]

करने के लायक जो जमीन थी उसमें ७६ लाख ९६ हजार एकड़ रकबा ऐसा था जिस पर आबपाशी होती थी यानी प्रदेश की कुल जमीन का १२–१३ फीसदी रकबा था जिस पर आबपाशी होती थी। उस पर हमने पहले प्लान में ३५ करोड़ ४१ लाख रुपया खर्च किया जिसकी वजह से आबपाशी का रकबा ९६ लाख ७९ हजार एकड़ हो गया, यानी ३० लाख एकड़ रकबा बढ़ गया। यानी ५ फीसदी हमने तरक्की की और रुपया खर्च किया ३५ करोड़ ४१ लाख के करीब। यह हमारे पहले मंसूबे की कामयाबी है। दूसरे प्लान में आबपाशी की स्कीमों पर ३८ करोड़ रुपया खर्च किया जिसकी वजह से २१ लाख ४४ हजार रकबे पर और अधिक आबपाशी होने लगी और अब आबपाशी ११८ लाख २३ हजार एकड़ पर हो गयी, यानी दूसरे प्लान में २० फीसदी कुल सिंचाई का रकबा हो गया, यानी ३८ करोड़ रुपया खर्च करके ३ फीसदी हमने तरक्की की। यह हमारी तरक्की की रफ्तार दो मंसूबों में रही है इसे देख कर बार-बार कामयाबी का जिक्र करना ज्यादा मुनासिब नहीं है। हमारे देश में पैसा नहीं है। बहुत सा पैसा बाहर से मंगाना पड़ता है। बहुत सी स्कीमें इसलिए मुल्तवी करनी पड़ती हैं कि बाहर से पूंजी नहीं मिलती। जब हमारे पास साधन कम हैं उस वक्त पैसे का गलत इस्तेमाल हो, वह पैसा जो किसानों और मजदूरों की गाढ़ी कमाई है, उस पैसे को अगर हम गलत इस्तेमाल करें तो बहुत शर्मनाक बात है। हमने यह कहा कि जो पैसा हमने खर्च किया, उससे हमने उतनी कामयाबी नहीं की जितनी कामयाबी होनी चाहिए थी। तीसरे, पंचसाला प्लान में जो चालू है और जिसके दो साल खत्म हो चुके हैं.... (लालबत्ती होने पर) पांच मिनट और दे दिये जायं।

श्री अधिष्ठाता—

बोलने वाले बहुत ज्यादा हैं। आप अपनी बात कहें।

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

मैं पांच मिनट चाहता हूं श्रीमन्। तो ७१ करोड़ ७१ लाख रुपया रखा गया लेकिन अब मालूम हुआ है कि उसमें कुछ कटौती कर दी गई। इस तरह पूरी तीन पंचवर्षीय योजनाओं में जो रुपया खर्च किया गया वह करीब डेढ़ अरब है और जो रकबा सिंचाई का बढ़ा है वह १२ प्रतिशत से बढ़कर २२ या २३ हो जायगा। तो इस कामयाबी पर हम गौरव करें, यह किस तरह उचित हो सकता है? अब मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी का ध्यान आपके द्वारा आबपाशी की दरों की तरफ ले जाऊं। यह दरें बीच में कई मर्तबा बढ़ाई गई हैं। सबसे पहले सन् १९४८–४९ में एकदम पचास प्रतिशत यह दरें बढ़ाई गई। उसके बाद में फिर ५३ में आबपाशी के साधन बढ़ाने के नाम पर एक बार फिर आबपाशी दुगुनी कर दी गई। तो मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहूंगा कि जितना पैसा आबपाशी पर हम खर्च कर रहे हैं हमें उसका उतना फायदा नहीं हो रहा है, और हम उसमें उतनी तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। आखिर में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि जिन कुओं का डिस्चार्ज २० हजार गैलन से कम है उनकी रिबोरिंग होनी चाहिये। दूसरा सुझाव यह है कि पुरानी मशीनों को बदल दिया जाय ताकि उसका डिस्चार्ज बढ़ जाय। तीसरा सुझाव है कि आपरेटर्स दिल लगाकर काम नहीं करते, उनका बहुत सा एरियर मुहकमें में रुका है, वह तुरन्त ही अदा कर देना चाहिये। चौथा सुझाव यह है कि सिंचाई की छोटी स्कीमों रहट, कुओं आदि की तकावी में इजाफा कर देना चाहिये और अंतिम यह निवेदन है कि फसल की सिंचाई में आमतौर से पूरे प्रदेश में यह शिकायत रहती है, इधर ईख या गेहूं में पानी जाता है और उधर बीच में बिजली बन्द कर दी जाती है जिससे पानी जाना बीच में बन्द हो जाता है और फसल सूख जाती है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें और इन शब्दों के साथ एक बार फिर मैं भानुप्रताप जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्णानन्दराय (जिला गाजीपुर)--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हमारा यह दृढ़ विश्वास है कि यदि विधान सभा की नियमावली में बहस आरम्भ करने का कोई दूसरा तरीका दिया गया होता तो कोई भी विरोधी दल का सदस्य कम से कम सिंचाई के अनुदान में न तो कटौती का प्रस्ताव पेश करता और न कोई उसका समर्थन करता। श्रीमन्, जब से यह पंचवर्षीय योजनायें आरम्भ हुई हैं तब से करीब चार लाख एकड़ जमीन को प्रति वर्ष सिंचित बनाने का राज्य सरकार की ओर से प्रयास चल रहा है। हमारे पास आंकड़े हैं जिनके अनुसार प्लान के पहले ७३ लाख एकड़ जमीन सिंचित होती थी जो पहली योजना के अन्त में ९३ लाख हो गई और दूसरी योजना के अन्त में ११८ लाख एकड़ हो गई और तीसरी योजना में तो पहली दोनों योजनाओं को मिलाकर जितना आता है उतना लक्ष्य रखा गया है। ऐसी स्थिति में मैं यह अनुभव करता हूं कि शायद ही इस सदन का कोई आदरणीय सदस्य जो प्रयास सरकार का चल रहा है, उसका विरोध करेगा।

श्रीमन्, इस अनुदान का तो मैं समर्थन करता ही हूं, उसके साथ-साथ माननीय सिंचाई मंत्री जी ने जो बहुत ही स्पष्ट भाषण दिया है अपनी ओपेनिंग स्पीच दी है, इस अनुदान की मांग रखते हुये, उसके लिये मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं। श्रीमन्, सिंचाई मंत्री ने यह कहा कि अभी तक राज्य सरकार का प्रयास जो कुछ चल रहा था सिंचाई के संबंध में वह पश्चिमी जिलों में ज्यादा केंद्रित था और पूर्वी जिलों में नहीं था। हालांकि आजादी के बाद इधर पूर्वी जिलों की तरफ भी ध्यान गया है और हिली एरिया और बुन्देलखंड एरिया और पूर्वी जनपदों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया गया है। श्रीमन्, यह बात सच्ची भी है। मैं केवल एक जिले का उदाहरण देना चाहता हूं। मेरठ जिले में ७ लाख एकड़ जमीन जोत में है जिसमें से ५ लाख एकड़ जमीन राज्य सरकार सींचती है और गाजीपुर जिले में ६ लाख एकड़ जमीन जोत में है जिसमें ४५ हजार एकड़ जमीन राज्य सरकार द्वारा सिंचित होती है। इस तरीके से जहां एक का ६० प्रतिशत है वहां दूसरे का १३ प्रतिशत आता है। लेकिन श्रीमन्, सिंचाई मंत्री महोदय का यह भी कहना बिलकुल सही है कि इधर राज्य सरकार का ध्यान पूर्वी जनपदों की सिंचाई समस्या की ओर काफी गम्भीरता से गया है। क्योंकि, श्रीमन्, जैसा कि आंकड़ों के देखने से पता चलता है केवल ३ वर्षों के अन्दर ६ प्रतिशत सिंचाई की योजनाओं में पूर्वी जनपदों में विकास हुआ है। हमारे गाजीपुर के उदाहरण को देखा जाय तो १३ प्रतिशत से राज्य सरकार द्वारा सिंचित भूमि १९ प्रतिशत तक पहुंचाई गई है। जो लक्ष्य इस समय चल रहा है तीसरी योजना का उससे ऐसा पता चलता है कि ३९ प्रतिशत तक वह सिंचित भूमि का औसत पूर्वी जिलों में पहुंचेगा लेकिन मैं अपने सिंचाई मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ६० फीसदी मेरठ में है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पूर्वी जिलों में ३९ फीसदी तक पहुंचने की बात है तो उस तीसरी योजना के अन्त तक पश्चिमी जिलों में ७०,८० फीसदी तक पहुंच जायेंगे। हमको मालूम देता है कि यदि वही औसत लगाया जाय तो पश्चिमी जिलों की बराबरी में पहुंचने में न मालूम कितनी पंचवर्षीय योजनायें लगेगी जब कि हम लोग पश्चिमी जिलों की बराबरी में पहुंचेंगे। जब मैं बराबरी की बात करता हूं तो वह इसलिये नहीं करता हूं कि पश्चिमी जिलों से हमको कोई होड़ है। प्रदेश का कोई भाग यदि अधिक सिंचित हो और उसका विकास हो तो यह प्रसन्नता की बात है लेकिन मुझे निवेदन यह करना है कि पूर्वी जिलों में आप जानते हैं कि उद्योग धंधों की बहुत बुरी हालत है। ७००, ८०० रजिस्टर्ड फैक्ट्री आपको गाजियाबाद और मेरठ में मिलेगी। हमारे गाजीपुर और बलिया में २, ३ रजिस्टर्ड फैक्टरियों का औसत आता है। वहां पर हालत बहुत खराब है। वहां की जनता ८३ फीसदी कृषि पर निर्भर करती है और कृषि के संबंध में भी वहां पर बहुत अच्छा स्टैंडर्ड नहीं है। सरकार यदि उन लोगों की तरफ अधिक ध्यान नहीं देगी तो कठिनाई होगी। जैसा कि मैंने निवेदन किया, सरकार सिंचाई की तरफ काफी अच्छा ध्यान दे रही है लेकिन एक आंकड़ा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्णानन्दराय]

हमारे सामने आया जिसके प्रति मैं सिंचाई मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे देश में ८३ फीसदी व्यक्ति खेती पर लगे हुये हैं। ५० फीसदी आय खेती से आती है, लेकिन जो आंकड़े हैं वह दूसरी बात कहते जा रहे हैं। मैं इसलिये निवेदन करता हूं कि सिंचाई मंत्री महोदय काफी वरिष्ट मंत्री हैं। इसके लिये थोड़ा सा संघर्ष करें। इस अनुदान के लिये जो आउटले था पंचवर्षीय योजना का वह पहले १६ फीसदी था जो केवल सिंचाई का आउटले था, लेकिन वह धीमे-धीमे गिरता जा रहा है। पहली पंचवर्षीय योजना का १६ फीसदी था, दूसरी पंचवर्षीय योजना का ९ फीसदी हुआ और तीसरी में वही ९ फीसदी रह गया है। इससे मालूम होता है कि सिंचाई में, जो कि पब्लिक इंटरप्राइज है, उसमें कट करते जा रहे हैं, उसका औसत गिरता जा रहा है। हमारी समझ में सिंचाई मंत्री को इसके लिये अधिक संघर्ष करना पड़ेगा।

मैं एक दो स्थानीय समस्याओं की ओर भी मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे जिले में जब वह गये थे तो देखा था कि कुछ छोटी-छोटी समस्यायें है जिनका थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाय तो समाधान हो सकता है। उन समस्याओं को उनके सामने रखा गया था। जैसे कि जमानियाघाट से ताड़ीघाट कैनाल पर ऐसे पुल बनाये गये है जिनके ऊपर से बैलगाड़ी नहीं जा सकती है। किसान लोग चिल्लाते है कि आपके पुल पर से बैलगाड़ी नहीं जा सकती है तो इसको थोड़ा चौड़ा किया जाय। यह छोटी छोटी समस्यायें हैं जिनका समाधान आसानी से किया जा सकता है। मंत्री महोदय जब जाते हैं तो उनसे यह सब बातें कही जाती हैं और उनसे निवेदन किया जाता है लेकिन जब वह जाते हैं तो उनके साथ बहुत से अधिकारी रहते हैं। वह अधिकारी कहते रहते हैं कि यह प्राविजन है और यह काम तीन महीने के अन्दर हो जायगा। लेकिन जब वह चले आते हैं तो यह सब बातें रह जाती हैं और कोई काम नहीं हो पाता है। मैं यह समझता हूं कि ऐसे ये छोटे काम हैं जो लोकल कोआपरेशन से आसानी से हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय भानुप्रतापसिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और इस समर्थन में मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय इसका यह तात्पर्य नहीं है कि एक रुपया कर दी जाय या विभाग ही समाप्त किया जाय बल्कि सरकार ने पिछले १० वर्षों में जो ८० करोड़ रुपया खर्च किया है, उनके इस विभाग के द्वारा इस प्रकार से जो व्यय हुआ तब भी सिंचाई विभाग में कितना पिछड़ापन है उसकी आलोचना करना है और सुझाव देना है।

मान्यवर, विभाग में किस प्रकार ढिलाई हो रही है, उसका भी कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

इस विभाग पर जो एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा है उसको देखिये। Direction office देखिये, यही एक ऐसा विभाग है जिसमें ६ चीफ इंजीनियर्स है, १३ पर्सनल असिस्टेंट हैं, ३३ एस० ई० हैं तथा १,०३७ और आफिसर्स हैं और ४४ हजार ५६५ के करीब क्लार्कस आदि हैं। इस तरह से यह टाप हैवी एडमिनिस्ट्रेशन है और इस पर कितना खर्चा सरकार का होता है यह आप स्वयं देख लें।

इसके अलावा श्रीमन्, कृषि के संबंध में यह बताया गया कि सिंचाई विभाग ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया ताकि गांवों में इन्टेंसिव खेती हो। इस सरकार की कोशिशों के बावजूद भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और न फर्टीलाइजर का ही ठीक उपयोग हुआ। क्योंकि पानी समय से नहीं मिला। १६-२-६३ के नेशनल हैरेल्ड में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने अपनी पदयात्रा अपने क्षेत्र में करते हुये कहा है कि उन्होंने ऐसी जगह भी देखी है जहां पर ऊसर भूमि में एक घास का पौधा भी नहीं उगा। मगर वहां पर सिंचाई दिखाकर

सिंचाई का पैसा वसूल किया जा रहा है। अगर सिंचाई का एरिया इसी तरह बढ़ा है तो इस तरह के भ्रामक आंकड़ों को पेश करके आप जरूर कह सकते हैं कि हमने सिंचाई में इतनी तरक्की की है।

हरदोई जिले में माधोगंज एक स्थान है, जहां पर गन्ना इसलिये पैदा नहीं हुआ कि वहां पर सिंचाई का उचित प्रबन्ध नहीं था। बुन्देलखंड में आप स्वयं जानते हैं, वहां पूरा पानी फस्लों को नहीं मिल पाता। जो नहरें भी बनी हैं वहां बरसाती पानी के निकास का ध्यान न रखकर नहरें बना दीं इसी से वाटरलागिंग हो जाता है, जिसके लिये भी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की है। वहां जो बड़ी-बड़ी नहरें बनी हैं, उनके द्वारा बरसाती पानी रुक जाता है, उनकी निकासी के लिये सरकार ने कोई प्रबन्ध नहीं किया है। इसका सारा कारण यह है कि अफसरों की ढिलाई पर मंत्री जी का कोई चेक नहीं है, टेक्निकल हैंड्स पर उनका कोई दबाव नहीं है।

श्रीमन्, आफीसर्स की इतनी बड़ी फौज रखने पर भी बड़ी-बड़ी योजनाओं के इस्टीमेट्स गलत होते हैं। कारण यह है कि आफीसर्स वगैरह मौके पर न जाकर साइट प्लान लखनऊ में ही बनाते हैं। जब पहले कोई योजना बनती थी तो ओवरसियर्स और असिस्टेंट इंजीनियर मौके पर जाकर साइट प्लान तैयार करते थे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उसको फाइनल करते थे। आज होता क्या है? आज लखनऊ में ही दो यूनिट्स खोल दी गयी हैं--सेंट्रल आर्गेनाइजेशन यूनिट और इन्वेस्टीगेशन एन्ड प्लानिंग यूनिट। इसमें ३ सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, २५ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ७० सहायक इंजीनियर तथा हजारों व्यक्तियों का स्टाफ वगैरह है। फिर भी बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स तैयार करने में गलती होती है इसी से यह सब बेकार साबित हुये हैं। कई प्रोजेक्ट के इस्टीमेट्स गलत बनाये गये हैं। उसको पुराने लोगों ने ही ठीक किया है। इनमें मुख्य एक बरेली प्रोजेक्ट की मिसाल सामने है। (लाल बत्ती होने पर) मुझे श्रीमन् ५ मिनट और दे दिये जायं तभी विभागीय स्थिति स्पष्ट कर सकूंगा।

इस कैनाल डिपार्टमेंट का जो सिस्टम है वह बड़ा गलत है। पहले इंजीनियर्स महीने में २० दिन दौरा करते थे और किसानों से निकट सम्पर्क स्थापित करते थे आज उनकी कोई बात तक नहीं सुनी जाती। किसानों से अधिकारियों का सम्पर्क तोड़ दिया। किसान नहरों के पानी का उचित लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जब तक उन्हें पुराने ढंग पर कार्य करने में नहीं लगाया जायगा, सुधार नहीं हो पायेगा। सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी।

१९६०-६१ की आडिट रिपोर्ट के पृष्ठ १६ पर देखा जाय, प्राडक्टिव वर्क्स में, श्रीमन्, ९ प्रोडक्टिव वर्क्स पुराने हैं जिनमें रामगंगा नहर ४.७९ लाख के घाटे पर, अफजलगढ़ वाली नहर २.९६ लाख के घाटे पर बान गंगा नहर करीब १ लाख के घाटे पर चल रही है। स्टेट ट्यूववैल्स भी इसी तरह से १२ लाख २७ हजार के घाटे पर चल रहे हैं। अन्-प्रोडक्टिव वर्क्स में भी देखिये-शारदा कैनाल पर १९ करोड़ के करीब लागत आई और वह ३५ लाख के घाटे पर चल रही है। बेतवा नहर में ९ करोड़ ५५ लाख ११ हजार रु० की लागत है जिसमें ३५ लाख का घाटा है, बेलान नहर में ४ करोड़ ८३ लाख की लागत के करीब २५ लाख ८५ हजार का घाटा है और घाघरा कैनाल में ९ लाख ६४ हजार का घाटा है। इसी प्रकार से स्टेट ट्यूबवेल्स में भी है जिनमें २४.४८ करोड़ रु० लगा है और २.६९ करोड़ का घाटा है। इन सबमें कार्मीशयल इकोनामिक बिजनेस के प्रिंसिपल्स पर कार्य होना चाहिये था। उसमें भी २ करोड़ ६९ लाख का घाटा है। इतने बड़े एफिशिएंट स्टाफ के होते हुये भी वह माताटीला बांध की योजना जो कि ३ करोड़ की थी वह बाद में ११ करोड़ की हो गई। इसी प्रकार बजट के वाल्यूम (३) में २४९ पेज पर लिखा हुआ है कि रामगंगा प्रोजेक्ट भी ६८ करोड़ की है और इसका भी भय है कि यह एस्टीमेट भी बढ़कर दुगनी-तिगुनी न हो जाय यह निश्चित है कि पी० डब्ल्यु० डी० जस काम को १ पैसे में करता है इरिगेशन विभाग उसे ५ व ६ पैसे में करता है। इसी से साबित है कि सरकार का विभाग पर कोई शासन नहीं है। इस नीति को बदला

[श्री कृष्णानन्दराय]

जाय और ठीक काम चलाने के लिये एक रेलवे बोर्ड की तरह सिंचाई बोर्ड बनाया जाय। इन शब्दों के साथ मैं कटौती का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया ।

(इस समय ४ बजकर ७ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

*श्री बैजनाथ पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी मेरे माननीय अधिष्ठाता महोदय ने मुझे इजाजत दी है और अब आप आ गये हैं और आपने मुझे मौका दिया है कि मैं सदन के सामने अपने विचार रख सकूं। जो हमारे माननीय सिंचाई मंत्री जी की तरफ से यह अनुदान पेश किया गया है, उसका मैं समर्थन कर रहा हूं। आज मुझको मालूम हुआ कि यह सिंचाई विभाग हमारे किसानों के इतने नजदीक संबंध रखता है कि उनके जीवन को इस विभाग से बहुत लाभ मिलता है। यह किसान वह किसान है, माननीय मालवी जी के मुख से—

संसार भर के भरण-पोषण का जिसे सम्मान है,
वे विष्णु के अवतार हैं या भारतीय किसान है।

इन किसानों को सदियों से दबाया जाता रहा है और बराबर उन पर तकलीफों के पहाड़ गिरते जाते रहे हैं। आज हमारी राष्ट्रीय सरकार की तरफ से जो किसानों के हित की तरह-तरह की बातें सोची जा रही हैं और उनके उत्थान की बातें सोची जा रही हैं, उनके हर तरह से कल्याण की बातें सोची जा रही हैं, उनमें हमारे सिंचाई विभाग का मुख्य हाथ रहा है। यह जो अनुदान आपके सामने पेश है, मैं चाहता हूं कि हमारे सिंचाई मंत्री जी सदन से और बढ़ाकर अनुदान मांगें, बजट में से और अधिक रुपया सिंचाई मंत्री जी को दिया जाय। फिर भी जो कुछ सिंचाई विभाग की तरफ से किसानों के लिये किया जा रहा है, वह सराहनीय है। यह किसान सदियों से दबा हुआ है। यह किसान सबसे ज्यादा अन्न उपजाने के लिये ही जिम्मेदार है। हमारी सरकार की तरफ से भी यह सौभाग्य की बात है कि इन योजनाओं में किसानों के हित के लिये बहुत अधिक काम किया गया है, कृषि उत्पादन में किसानों को सहायता देने के लिये ३–४ बातें आवश्यक हैं। एक तो उसमें उत्तम ढंग के बीज हों, दूसरे जमीन उत्तम ढंग की हो, तीसरे उनको उत्तम ढंग की खाद मिले और समय से उनको पानी मिले। आज उनको इन्हीं सब बातों का लाभ पहुंचाने के लिये हमारी राष्ट्रीय सरकार की तरफ से योजनायें चलाई जा रही है। मैं उस क्षेत्र से आया हूं जिसे हंडिया तहसील कहते हैं, मैं उसी क्षेत्र की जनता का सेवक हूं। मुझे आज कुछ निवेदन करने का सौभाग्य मिला है और मैं चाहूंगा कि वहां की फरियाद आपके कानों तक पहुंचाऊं। हमारे यहां ऐसे-ऐसे स्थान है जहां गंगा का किनारा पड़ता है, जिन जगहों पर पानी किनारे कटाव करता हुआ निकलता है। इस तरह से आप देखें कि किसानों को बड़ी कठिनाई होती है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी स्थान हैं जहां कि पानी देने में कठिनाई होती है। अभी माननीय मंत्री जी हमारे यहां गये है, उनसे निवेदन किये हैं कि इन-इन घटनाओं को आप देखें और जिन-जिन गांव सभाओं से आपके पास प्रार्थनापत्र आये हैं ट्यूबवेल के लिये और ऐसे २५–३० गांव हैं उनको ट्यूबवेल मिलने चाहिये। जहां जमना का किनारा है वहां पाला बहुत असर करता है और पानी न मिलने से रबी की फसलें बेकाम हो जाती है। इसलिये इन १५–२० गांवों में ट्यूबवेल अवश्य लगवाये जायं।

श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हमारे जिले के डिप्टी मिनिस्टर हैं, उनको हमारे जिले की पूरी जानकारी है। मुझे केवल मंत्री जी को ध्यान दिलाना है कि

वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्री जी के गांव से लेकर ४० मील का तालाब है बड़ेला । इस तालाब में बाढ़ के कारण पानी की निकासी नहीं होती इसलिये करीब-करीब ४०० एकड़ जमीन हमेशा पानी से डूबी रहती है जो कभी खाली नहीं होती मगर उसकी मालगुजारी सरकार पूरी ले लेती है । हमारे जिले में और भी दो तालाब है जहां लखनऊ से लोग शिकार खेलने के लिये जाते हैं, करौटो और सरैनी, उनसे भी ६–७ हजार एकड़ जमीन का नुक्सान होता है। इसलिये उस जिले के होने के कारण मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि कटाव का पानी बहाने के लिये जल्द से जल्द कोई योजना बनायें और जिनकी जमीन पानी में डूबी रहती है उनसे मालगुजारी न लें ।

दूसरा सुझाव यह है कि हमारे जिले में सरकार ने जबसे नहर बनायी, अंग्रेजों के जमाने से ही, पंजाब वाला कानून लागू है । पंजाब साइड में गांव दूर-दूर है इसलिये पुल भी दूर-दूर है । रायबरेली में १३ लाख की आबादी है, गांव बहुत पास-पास हैं लेकिन पुल दूर-दूर है इसलिये खाद और पांस ले जाने में जनता को बहुत तकलीफ होती है, इसलिये जैसे गांव नजदीक-नजदीक हैं वैसे ही पुल भी बनाने के लिये सुविधा दें ।

तीसरी बात यह है कि कुछ शिकायत है माननीय मंत्री जी से कि वह अधिकारियों और पतरौलों को आदेश दें कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं है, ऐसी घटना रोज होती है कि उनके पास नहर का पर्चा आ जाता है और सरकार उनसे लगान वसूल कर लेती है। जमीन किसी दूसरे की है और लगान किसी दूसरे पर पड़ता है। इसलिये जिस किसान को पर्चा मिले उससे पतरौल दस्तखत करा लें, इस प्रकार के आदेश दिये जाने चाहिये ।

दूसरे यह कि नहर तो हमारे जिले में है, तालाबों के मुताल्लिक यह है कि उनमें से पानी निकालने की कृपा करें और यह काम जिले में जल्दी लग जाना चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)––

उपाध्यक्ष महोदय, यों तो स्वराज्य मिलने के पश्चात् हमारी प्रदेशीय सरकार ने प्रत्येक विभाग में आशातीत सफलता प्राप्त कर ली है और जनता की सेवा की है लेकिन सिंचाई विभाग की सेवा उल्लेखनीय है । इसमें कोई दो रायें नहीं हैं कि सिंचाई पहले से दुगुनी हो गयी है । संकटकालीन स्थिति में हमें अधिक अन्न उपजाने की आवश्यकता है इसके लिये जो सिंचाई के साधन बढ़ा कर कार्य किया जा रहा है उसके लिये सरकार बधाई की पात्र है । हमारे जिले में इलाहाबाद शाखा को निकाल कर जनता की बड़ी भारी सेवा की गयी है । लेकिन हमारे यहां वाटरलागिंग की बड़ी भारी समस्या है और जमीन खेती योग्य होते हुये भी हजारों एकड़ भूमि पानी से भरी रहती है । हम लोगों ने सरकार का इस ओर अनेक बार ध्यान आकर्षित किया है कि वहां पर सर्वे कराया जाय, इस समस्या को हल किया जाय लेकिन अभी तक कोई उपाय नहीं किया गया है । अब मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वे इस ओर शीघ्र ध्यान दें ।

यह ठीक है कि सिंचाई के साधन बढ़े हैं लेकिन एक चीज खटकती है कि अभी गांवों में पानी का दुरुपयोग बहुत होता है । हमारे किसान अभी अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करते कि पानी का दुरुपयोग न हो। पानी नालों और रास्तों में बहता रहता है। इटावा जिले में दो डिवीजन नहर के हैं––इलाहाबाद डिवीजन और एक भोगनीपुर डिवीजन । मैं किसी अधिकारी पर लांछन नहीं लगाना चाहता हूं । भोगनीपुर शाखा में पानी बहुत कम लोगों को मिलता है । अभी १५ दिन पहले वहां के बहुत से जिम्मेदार आदमी यहां लखनऊ आये थे और चीफ इंजीनियर साहब से मिले थे तब जाकर उनको पानी मिला । वहां एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से कहते हैं तो वह अपनी मजबूरी जाहिर कर देते हैं । बहुत सी चैनल्स तो ऐसी हैं कि जहां पानी पहुंचता ही नहीं है और अगर पहुंचता भी है तो केवल १–२ दिन के लिये । मंत्री जी इस ओर ध्यान दें ।

[श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल]

तीसरी बात यह है कि आबपाशी का जो पर्चा आता है वह बीघों में आता है जब कि सारी जगह एकड़ों में लिखा जाता है। बीघों में लिखे होने के कारण वह समझ में नहीं आता है। अतः कृपाकर रेवेन्यू विभाग की भांति रकबा एकड़ों में लिखा जाया करे। इन शब्दों के साथ मैं माननीय माल मंत्री जी की मांग का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद)---

उपाध्यक्ष महोदय, सिंचाई अनुदान को देखकर मुझे खुशी हुई। अब तक सिंचाई की ओर से जो उपेक्षा बढ़ती जा रही थी उसके विरुद्ध इस बजट को देखकर कम से कम ऐसा तो ज्ञात होता है कि सरकार कुछ चेती है। जो धन व्यय किया जा रहा है उस अनुपात में लाभ नहीं हो रहा है अतः कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करके सरकार के सामने अपने सुझाव रखना चाहता हूं। सरकार के द्वारा जो सिंचाई साधन हैं वे दो प्रकार के हैं---कैनाल्स और ट्यूबवेल्स, कैनाल्स में बहुत सी नहरें पचासों साल पुरानी हैं लेकिन उनके वाटर लेविल की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। यदि उनका पुनरीक्षण किया जाय तो अनेक ऐसे स्थान मिलेंगे और देखा गया है कि जहां पानी का लेविल नीचा है वहां किसानों को मेंड़ बना कर या दूसरे तरीके से अपने खेतों में पानी देना पड़ता है जबकि कई सीधे काट कर अपने खेतों में पानी देते हैं। इसकी वजह से भी काश्तकारों को बड़ी परेशानी होती है। यह एक अजीब बात है कि जिस काश्तकार को सीधे अपने खेत में पानी देने में आसानी होती है, उसे तथा दूसरा काश्तकार जो किसी तरह से पानी उलीच कर अपने खेतों में लेता है, उसे भी एक ही वाटर चार्ज देना पड़ता है। इसकी ओर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये।

यह ठीक है कि गूलों की व्यवस्था होनी चाहिये लेकिन बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां छोटे-छोटे कुलाबे लगे हुये हैं जिससे बहुत से खेत बच जाते हैं, उनकी सिंचाई नहीं हो पाती है। यद्यपि उनका लक्ष्य सिंचाई पूरे खेतों में करने का है लेकिन वे नहीं कर पाते।

इसी प्रकार से ट्यूबवेल्स के बारे में भी विशेष शिकायत है जिसे मैं सरकार के सामने रखना चाहता हूं। सरकारी ट्यूबवेल्स ऐसे स्थानों पर बनाये गये हैं जहां पानी की सुविधा पहले थी। मेरे यहां फर्रुखाबाद में ऐसे स्थान है जहां खेत-खेत में कुएं थें और सैकड़ों कुयें एक-एक गांव में थे, वहां सरकार ने अपने ट्यूबवेल्स लगाये और सिंचाई की व्यवस्था की। वहां काश्तकार आलू और तम्बाकू की खेती करते हैं और आलू के खेतों में तो ४,५ या ६ दिन के बाद पानी देना पड़ता है लेकिन इन ट्यूबवेल्स से उनको १०,१२ और १५ दिन पर पानी मिलता है इसलिये कि वहां पूरे कमांड एरिया के लिये पानी तो है नहीं। साथ ही सैकड़ों कुयें थे वे भी बेकार हो गये हैं। इस तरह से ट्यूबवेल्स पर निर्भर रहने की वजह से वहां के किसानों को हजारों लाखों का नुकसान है।

इन ट्यूबवेल्स की जो नालियां हैं वे भी पक्की नहीं हैं। सीमेंट का जो अनुपात होना चाहिये उस अनुपात में सीमेंट उनमें नहीं लगाया गया है और इस तरह से हजारों लाखों बोरी ठेकेदार ब्लैक में बेच देते हैं और वह पानी जमीन के अन्दर तक जाकर खेतों को खराब कर देता है।

साथ ही ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां आपरेटर काश्तकार से फी बीघा एक रुपया, दो रुपया और तीन तीन रुपये तक लेकर तब पानी देते हैं। कोई भी ऐसा आपरेटर नहीं है जो पानी देने के लिये पैसे नहीं लेता। देहातों में जो थोकदार होते हैं उनके हस्ताक्षर से पानी किसान को मिलना चाहिये लेकिन आपरेटर अपनी मनमानी करके पैसे लेकर जिसको चाहते हैं पानी देते हैं और जिसको नहीं चाहते नहीं देते हैं। इस तरह से वहां भ्रष्टाचार चल रहा जिसके बारे में अनेक शिकायतें की गयी हैं परन्तु उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है। हमारे यहां का क्षेत्र स्वायल कंजर्वेशन स्कीम के अन्तर्गत लिया गया, लेकिन बाद में किसी मिनिस्टर की इच्छानुसार उस स्कीम को वहां से बिलकुल हटा दिया गया। इसी प्रकार से सिंचाई के प्रबंध के लिये वहां ट्यूबवेल्स लगाने की व्यवस्था की गयी थी लेकिन किसी मंत्री विशेष के लोगों को लाभ

पहुंचाने की नीयत से उस स्कीम को वहां से हटा का दूसरी जगह चालू कर दिया गया। इस तरह की नीति में समझता हूं कि देश और प्रदेश की उन्नति के लिये गलत है। इसी तरह से वाटरलागिंग की जहां तक बात है, कानपुर जिले में ही कानपुर–फर्रुखाबाद लाइन पर एक गांव बरराजपुर है जहां दो साल से बराबर बाढ़ आ जाती है जिससे किसानों की सारी फसल खराब हो जाती है। इस सम्बन्ध में अनेक शिकायतें की गयीं और अनेकों प्रार्थना–पत्र भी दिये गये हैं, इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिये। वहां बाढ़ आने का कारण यह है कि जो कैनाल गयी है। वहां से जो छोटी सी नहर गई है वह पानी को रोकती है, वहां कोई साइफन की व्यवस्था नहीं है और पानी इकट्ठा हो जाता है जिस से लाइन कट जाती और सारा वहां का इलाका डूब जाता है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस तरफ ध्यान दें ताकि वहां के गरीब किसानों को नुकसान न हो और वहां के लोगों को सुविधा प्राप्त हो।

श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)––

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया गया इस के लिये मैं आप का आभारी हूं। जहां तक सिंचाई की समस्या है उसके सम्बन्ध में हमारा जो क्षेत्र है, बुन्देलखंड का वह एक बहुत ही जटिल क्षेत्र है और वहां की समस्या भी कृषि की जटिल है। जहां तक सिंचाई का प्रश्न है वह नहरों कुओं या नलकूपों से ही हो सकती है लेकिन हमारे यहां नलकूप भी कामयाब नहीं हैं, वहां वह लग नहीं सकते। नहर के मुताल्लिक भी ऐसी ही बात है। वहां पर २ बांध बने हैं, एक तो अर्जुन बांध है और चन्द्रावल का काम जारी है लेकिन जहां यह व्यवस्था की गई है वहां इस से वहां के किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है, बल्कि दूसरी तहसील के लोगों को लाभ हुआ है और जमीन वहां के किसानों की एक्वायर की गई है और जो उनकी जमीन बाकी बची है उस पर यह पानी नहीं पहुंचता। मेरा मंत्रीमहोदय से सुझाव है कि वहां की समस्या को देखते हुये, वहां के किसानों के लिये केवल एक ही सिंचाई का साधन रह गया है कि वहां बंधी का निर्माण किया जाय। अगर ऐसा किया जायगा तो वहां के किसानों को कुछ न कुछ लाभ हो सकता है। वहां बंधियों के निर्माण की योजना चल रही है लेकिन वहां भी एक दिक्कत है कि जो टेक्निकल फार्मूला बनाया गया है कि कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा जमीन सिंच सके, इस फार्मूले के कारण वहां के काश्तकार वहां बंधी के काम से वंचित कर दिये जाते हैं। यह तो जाहिर है कि ऊंची नीची ढालू जमीन में कम जमीन सिंचित होती है और खर्च ज्यादा पड़ता है। मैं चाहता हूं कि इस फार्मूले को ऐसे क्षेत्र के लिये संशोधित किया जाय और अन्डर एक्सेप्शन उस क्षेत्र में कुछ अधिक खर्च किया जाय तभी वहां की समस्या हल हो सकती है। इस साल ही वहां जैसे बारिश नहीं हुई है, तो वहां अकाल की स्थिति है और किसानों की हालत बहुत खराब है। अतः मेरे इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिये।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि वहां पर लघु सिंचाई साधनों के लिये ज्यादा से ज्यादा तकावी दी जाय, बंधी बांधने के लिये, कुयें के लिये, रहट के लिये क्योंकि वहां की जमीन पथरीली है और गहरे पर पानी है। जो तकावी कुओं के लिये दी जाती है वह इतनी कम होती है कि उसमें गरीब किसानों के लिये कुआं खोदना कठिन हो जाता है। इसलिये वहां तकावी देते वक्त इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि वहां कितने पैसे में कुयें का निर्माण सम्भव है। अगर वहां किसानों को तकावी में कम पैसा दिया जायगा तो वह कुआ या रहट लगाने में नाकायमयाब रहेंगे और पानी गहरा होने के कारण वहां पर रहट की योजना बहुत जगहों पर सफल नहीं होती। वहां के लिये सब से अच्छी स्कीम बंधियों की ही हो सकती है, इसलिये मंत्री जी इस पर ध्यान दें कि वहां के लिये बंधियों के फार्मूले को किस तरह से बदला जाय। अक्सर ऐसा होता है कि बंधियों के प्रार्थना-पत्र आते हैं लेकिन उनको अधिक खर्च की बात कह कर इंजीनियर्स नांमूजूर कर देते हैं और ऊपर के कर्मचारी चीफ इंजीनियर और मंत्री जी कोई ध्यान नहीं देते। ऐसी दशा में मेरा अनुरोध है कि इस विषय पर मंत्री जी ध्यान दें। खा स तौर पर महोबा और चरखारी तहसीलों पर मंत्री जी अवश्य ध्यान देंगे।

*श्री बैजनाथसिंह वैद्य (जिला सुल्तानपुर)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं। यह बात सही है कि यह विभाग इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बगैर इंसान जानवर तथा जितने भी जीव हैं कोई भी जिन्दा नहीं रह सकता। हमारे मंत्री जी भी बहुत पानीदार हैं। उन्होंने जब से इसको अपने हाथ में लिया है बड़ी मेहनत से और कामयाबी के साथ इसको चलाने की कोशिश की है बावजूद इसके कि इसमें पहले बहुत गड़बड़ियां थीं, उन्होंने काफी सुधार करने की कोशिश की, इसके लिये वह बधाई के पात्र हैं और अब धीरे-धीरे वह काबू में आ रहा है।

मैं अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं। हमारा सुल्तानपुर जिला ऐसा है जो न पूरब में आता है और न पश्चिम में, बल्कि बीच में है जिसकी वजह से हमारा जिला काफी कठिनाई में पड़ जाता है। हमारे यहां ४ तहसीलें हैं। अमेठी और मुसाफिरखाना दो ऐसी तहसीलें हैं जिनमें धान और जड़हन काफी पैदा होता है जिसके लिये सिंचाई की ज्यादा आवश्यकता होती है। ८० फीसदी वहां चावल होता है और २० फीसदी में और चीजें पैदा होती हैं और यह दोनों चीजें सिंचाई काफी चाहती हैं। हमारे यहां ऊसर बहुत है जिसके लिये सिंचाई आवश्यक होती है। अच्छी जमीन में १, २ बार सींचने से फसल हो जाती है, लेकिन ऊसर में अनेक बार पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिये अमेठी की तरफ मंत्री जी विशेष रूप से ध्यान दें। वह एक दफा हमारे यहां दौरा करके देखें तो पायेंगे कि वह इतना पिछड़ा क्षेत्र है कि वहां पानी की कोई सुविधा नहीं है, ट्यूबवेल कोई है ही नहीं और नहर की भी कमी है। हमने कई बार सिंचाई सुविधा के लिये विभाग को लिखा लेकिन उसको नाममंजूर कर दिया गया। अतः मंत्री जी विशेष तौर से उधर ध्यान दें। सुल्तानपुर जिले के लोग खेती पर ही निर्भर करते हैं क्योंकि वहां अन्य कोई उद्योग धंधा नहीं है न अन्य कोई साधन ही हैं जिनसे वे अपना जीवकोपार्जन कर सकें। इसलिये मंत्री जी से प्रार्थना है कि उधर सिंचाई की सुविधा विशेष रूप से करें। साथ ही साथ अपने विभाग को जिस खूबी के साथ देख रहे हैं उसको जरा और कड़ाई से देखें और जो गड़बड़ियां पैदा हो गई थी उनको सुधारने की कोशिश करें। बस मुझे श्रीमन्, यही कहना है और जो आपने मुझे समय दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव श्री भानुप्रतापसिंह जी ने पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं मैं सिंचाई मंत्री का ध्यान थोड़े समय में अपने क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं, देवरिया जिला की ओर। हमारे यहां जो थोड़ा बहुत सिंचाई का प्रबंध हुआ है वह बहुत अव्यवस्थित ढंग से हुआ है। जो नहर नारायणी कैनाल से निकाली गयी है उस पर एक-एक मील पर पुल बनाये गये हैं जिससे किसान अपने खेतों में ले जा कर खाद नहीं डाल सकता। कुलाबे जो बने हुये हैं वे पानी नहीं उठा पाते हैं नहर से। लिहाजा झाल बनने चाहिये। झाल न बनने के कारण ही कुलाबे पानी नहर से नहीं उठा पाते हैं। मैंने दरख्वास्त दी है कि इसकी जांच कराई जाय मगर पता नहीं कब जांच होगी और कैसे जांच होगी ?

दूसरी चीज यह है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र के आस-पास के ब्लाक्स में नहर तथा ट्यूबवेल्स बने हुये हैं लेकिन मोतीचक ब्लाक जिसमें ९१ ग्राम सभायें हैं वहां आज भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। पहली और दूसरी पंचवर्षीय योजनायें समाप्त हो गयीं और तीसरी शुरू होने जा रही है लेकिन पता नहीं इस तरफ माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट होगा या नहीं होगा।

नारायणी कैनाल से जो नहर निकाली गयी है उस पर पुल नहीं बने हैं, भिस्वां, लक्ष्मीपुर और मछागर पर पुल बनने की आवश्यकता है ताकि किसान खाद लाकर अपने खेत में डाल सकें और उत्पादन बढ़ा सकें। क्योंकि सिंचाई के जो साधन उपलब्ध भी हैं वे व्यवस्थित ढंग से नहीं हैं इससे किसान को पूरा लाभ नहीं पहुंच पाता है। सिंचाई मंत्री हमारे प्रान्त के वरुण देवता हैं और वे इस बात की ओर ध्यान देंगे कि सिंचाई की व्यवस्था एक सुनियोजित ढंग से हो। हाल यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है कि पानी की जरूरत किसान को पड़ती है तो उसको पानी वक्त पर नहीं मिल पाता है, आवश्यकता भर पानी नहीं मिलता है जिसके कारण उत्पादन में कमी पड़ती है। लिहाजा सिंचाई के साधन व्यवस्थित ढंग से हों ।

श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे केवल इतना ही निवेदन करना है—

रहिमन पानी राखिये, बिन पानी सब सून,
पानी गये न ऊबरे, मोती मानुस चून ।

श्री भानुप्रतापसिंह—

उपाध्यक्ष महोदय, इस सिंचाई विभाग के अनुदानों पर जो आज दिन भर वाद-विवाद चला उसको मैंने काफी ध्यानपूर्वक सुना और विशेषकर उधर के बैठने वालों को तो मैंने बहुत ही ध्यान पूर्वक सुना। मैं इस आशा में था कि सम्भव है कि उधर की कुछ बातें सुनने के बाद मुझे अपने दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता हो परन्तु खेद है कि मैं अपने विचारों को बदलने में असमर्थ हूं। यह मैं जरूर मानता हूं कि शायद मैं अपने दृष्टिकोण को जितना स्पष्ट रखना चाहिये था उतना स्पष्ट रखने में मैं समर्थ नहीं हुआ जिसके कारण कुछ भ्रम है। मैं उन भ्रमों को पुनः एक बार स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा ।

कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि सिंचाई का बड़ा महत्व है और कटौती का प्रस्ताव लाकर विरोधी दल के लोग सिंचाई का कारोबार ही बन्द करना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कटौती के प्रस्ताव का उद्देश्य यह नहीं होता कि विभागों का कारोबार बन्द कर दिया जाय। यह तो केवल पेश किये जाते हैं कि विभाग की नीति और कार्यक्रम की आलोचना की जा सके। मैं तो जो अनुदान है उससे और भी ज्यादा रकम होती तो उसका स्वागत करता। वास्तव में जो कहा गया वह उनकी नीति और कार्यक्रम के विषय में कहा गया।

सिंचाई के क्षेत्रफल के विषय में भी कुछ भ्रम है। मैंने कुछ आंकड़े देकर यह सिद्ध करने की कोशिश की थी कि वास्तव में सिंचित क्षेत्रफल बढ़ा नहीं है लेकिन कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि सिंचित क्षेत्रफल बढ़ा है। तो दोनों बातें अपनी-अपनी जगह पर सही हैं वह इस तरह से कि मैंने जो आंकड़े दिये हैं वह सरकारी और निजी, दोनों साधनों को मिलाकर जो सिंचित क्षेत्रफल आता है, वह है। यह मैं मानता हूं कि सरकारी साधनों से सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ा है लेकिन साथ ही साथ निजी साधनों से सिंचाई का क्षेत्रफल घटा है। एक तरफ बढ़ने के कारण और दूसरी तरफ घटने के कारण परिणाम यह निकला है कि सिंचित क्षेत्रफल ज्यों का त्यों बना हुआ है। अंतिम लक्ष्य तो यह है कि प्रदेश के अन्दर कुल कितना क्षेत्रफल बढ़े, क्योंकि उसी से लाभ होगा। इससे कोई लाभ नहीं होना है कि केवल सरकारी माध्यम से ही सिंचाई का क्षेत्रफल बढ़ा हुआ यह है कि सरकारी साधनों की तरफ अधिक ध्यान दिया गया और निजी साधन धीरे-धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। इसका परिणाम यह निकला कि किसान पहले से ज्यादा दूसरों पर निर्भर हो गया। उनमें बेरोजगारी बढ़ी और जो वे अपनी मेहनत से सिंचाई कर लेते थे उसके बजाय अब उनको सरकारी महसूल अदा करना पड़ता है। तो यह कोई बड़ी अच्छी बात नहीं हुई कि इतना धन व्यय करने के बाद हमने किसानों को दूसरों का मुखापेक्षी बनाया, उनमें बेरोजगारी बढ़ायी और उनकी आमदनी भी इस माने में घटा दी कि जो काम वे स्वयं कर सकते थे वह अब महसूल दे कर वह कराते हैं। एक माननीय सदस्य ने कहा कि अब तो कार्य बहुत आगे बढ़ चुका है, कदम पीछे नहीं हटाया जा सकता। मेरी आलोचना का यह तात्पर्य बिलकुल नहीं है कि जितने ट्यूबवेल्स हैं

[श्री भानु प्रतापसिंह]

उनको उखाड़ कर फेंक दिया जाय, लेकिन अभी केवल ३० फीसदी रकबे की सिंचाई का ही प्रबंध हो पाया है और ७० फीसदी बाकी है। शेष क्षेत्रफल के लिये नीति में परिवर्तन होना चाहिये और यही मेरे भाषण का मुख्य उद्देश्य था।

इसके अलावा कुओं की योजना की विषय में एक माननीय सदस्य ने कहा कि तकावी का बड़ा दुरुपयोग होता है और इसलिये यह योजना ठीक नहीं है। यदि दुरुपयोग होता है तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या आपकी सरकार ने किसी तकावी के कर्जे का दुरुपयोग करने वालों को आजतक कोई सजा दी है? मैं इंगलैन्ड का एक उदाहरण देना चाहता हूं। पिछले महा-युद्ध के समय वहां की सरकार ने एक आदेश निकाला था कि कोई भी काई इमारत नहीं बन सकता है। बिला सरकार से इजाजत लिये, क्योंकि बिल्डिंग मैटीरियल की कमी थी। एक मंत्री महोदय के सुपुत्र ने अपने फार्म पर एक परमिट हासिल कर के इमारत बनायी, अपने पैसे से बनायी, सरकार ने पैसा भी नहीं लगाया था। परन्तु उन्होंने निर्धारित रकम से लेकिन थोड़ा सा ज्यादा खर्च कर दिया था परिणाम यह हुआ कि उन पर मुकदमा चला और मंत्री के पुत्र होते हुये भी उनको ६ महीने की सजा हुई। इस तरह की बातें जहां होती हैं वहां दुरुपयोग नहीं होता है। अगर तकावी का दुरुपयोग होता है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। हमारे यहां भ्रष्टाचार है और ईमानदारी नहीं हो सकती है तो मैं इस हद तक जाने के लिये तैयार हूं कि सरकार स्वयं मैसो-नरी वेल्स बनाये, और बोरिंग करके रहट लगा दे और जितनी कीमत आये उसकी आधी किसानों से वसूल कर लें। इस योजना से बहुत लाभ हैं और केवल यह कह कर कि इसमें भ्रष्टाचार है, इसको टालना नहीं चाहिये।

दूसरी बातों मैं यह कहना चाहता हूं कि सिंचाई के लिये कुछ रियायतें दी गई हैं कि यदि मूंग टाइप एक या अन्य दूसरी फसलें १५ जून से पहले सिंचाई करके बो दी जाय तो सिंचाई आधी लगेगी। मेरा सुझाव यह है कि कुंआरी धान भी इन फसलों की सूची सम्मिलित कर लिया जाय। मेरा सिंचाई मंत्री जी अनुरोध है कि वे कृषि विशेषज्ञों से पूंछें कि कुआरी धान यदि १५ जून से पहले सिंचाई करके बो दिया जाय तो क्या उसकी पैदावार १५, २० फीसदी बढ़ जायगी? यदि उसकी सम्मति हो कि बढ़ जायगी तो उसके लिये भी वही कंसेशन्स दिये जायं जो दूसरी फसलों को दिये गये हैं। मुझे आशा है कि इससे धान की पैदावार बढ़ेगी।

अन्त में मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सिंचाई की एक पुर्जी होती है। इसकी तरफ माननीय भगवान सहाय जी ने भी ध्यान दिलाया है। वास्तव में किसानों को पुर्जी नहीं मिलती है। मुझे स्वयं नहीं मिलती है। ऐसी दशा में मैं सोच सकता हूं कि दूसरे किसानों को नहीं मिलती होगी। इसका बड़ा दुष्परिणाम निकता है। इसलिये आदेश जाने चाहिये कि पुर्जी २४ घंटे में न सही ४८ घंटे में या ७२ घंटे में किसान को अवश्य मिल जानी चाहिये इससे बहुत हद तक भ्रष्टाचार रोका जा सकता है। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं।

श्री राममूर्ति—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ साल पहले हमारे सदन में ऐसी परम्परा थी कि जो माननीय सदस्य किसी अमुक विषय के ऊपर अपना कटौती का प्रस्ताव देते थे तो विभाग के जरिये उनकी बात का जवाब हासिल कर संबंधित मंत्री को आसानी हो जाती थी कि उस विषय में जवाब दे। लेकिन कुछ सालों से ऐसी परम्परा हो गई है कि विभागों के सम्बन्ध में एक जनरल कटौती का प्रस्ताव हो जाता है। ऐसी हालत में चाहे मैं होऊं या कोई भी इंसान हो, यह मुमकिन नहीं होता है कि जितनी बातें सदन में कही गई हैं उनके बारे में कुछ न कुछ जवाब दे दिया जाय। मैं सदस्यों से इसके लिये माफी चाहता हूं। हमारे विभाग का यह कायदा है कि जितनी बातें यहां कही गही हैं उन सबको अफसरों ने नोट किया है और जो ऐसी बातें हैं कि

विभाग के जरिये बनाई जा सकती हैं उनको बनाने की कोशिश करते हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि किसी अमुक विषय पर कोई सदस्य कोई बात चाहते हों तो लिख कर भी दे दें ताकि मैं उसकी जांच करवा लूं। मैं नहीं जानता कि सारे काम होंगे लेकिन कोशिश होगी कि उसको सहानुभूतिपूर्वक देख लिया जाय और जितने काम करवा सकते हों वह करवाये जायं ।

कटौती का प्रस्ताव हमारे माननीय मित्र भानुप्रतापसिंह जी ने पेश किया। कब्ल इस के कि मैं उसके बारे में कुछ कहूं, भानुप्रतापसिंह जो एक बड़े तरक्की पसन्द और जो साइंटिफिक तरीके से खेती होती है उसको करते हैं, उनका तजुर्बा भी इस सम्बन्ध में काफी है। उन्होंने बाकी माननीय सदस्यों ने जो आज की बहस में हिस्सा लिया मैं उनका बड़ा मशकूर हूं। बहुत से और भाई रह गये, समय की कमी की वजह से उनको मौका नहीं मिला, मेरी बदकिस्मती है कि मैं उनके सुझावों का फायदा नहीं उठा सका। मुझे इस बात की भी बड़ी खुशी है कि गैर मामूली तौर पर इस साल जो यह बहस हुई वह बड़ी खुशगवार और तकवियत देने वाली है। वाद-विवाद का स्तर अच्छा रहा। इस सबके लिए मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत मशकूर हूं और अपना आभार प्रकट करता हूं।

जिक्र किया गया कि सिंचाई का मुहकमा बढ़ चला जा रहा है लेकिन सिंचाई नहीं बढ़ती, ऐसी बात नहीं है। अबकी बार अलग-अलग विभागीय किताबें नहीं बाटी गयी हैं जैसी कि बजट के मौकों पर बांटी जाती थीं। अब की से एक कंसालिडेटेट किताब बांटी गयी है। लेकिन पिछले साल एक किताब हमारे विभाग की तरफ से बांटी गयी थी वह माननीय सदस्यों के पास होगी। उस किताब में १८५४ से लेकर १९६१ तक आबपाशी का एक चार्ट बना हुआ है। उस चार्ट में माननीय सदस्य देखेंगे कि आबपाशी बराबर बढ़ती जा रही है। यह बात दूसरी है कि किसी एक वर्ष में वर्षा ज्यादा हो जाय, हालात अच्छे हो जायं तो आबपाशी कम हो, लेकिन आबपाशी बराबर बढ़ती रही है। यह खुश्की का साल है। करीब ५२ लाख एकड़ जमीन रबी की सिंचाई हो चुकी है और शायद कुछ और बढ़े। गन्ने की फसल में भी करीब ४२ लाख एकड़ आबपाशी हुई। जायद फसल अलग है इत्यादि मटर की आबपाशी अलग रही।

श्री भगवानसहाय––

रबी की आबपाशी के जो आंकड़े आपने दिये, जैसा कि मैंने और भानुप्रतापसिंह जी ने कहा कि जब परचे नहीं बटते हैं, काश्तकार को ऐतराज करने का काम नहीं मिलता है, तो यह आंकड़े कैसे सही मान लिये जायं ?

श्री राममूर्ति––

इसका जबाव मैं अलग दूंगा। ज्यों ज्यों सिंचाई के कार्य बढ़ रहे हैं वैसे ही आबपाशी भी निरंतर बढ़ती जा रही है। मैंने शुरू में यह भी कहा था कि हमारे पोटेंशल का पूरा इस्तेमाल नहीं होता। हमारे एक भाई ने यह भी कहा कि आबपाशी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है। मैं कम्पेरेटिव फीगर दे सकता हूं। पंजाब सिंचाई के दृष्टिकोण से बहुत ही प्रगतिशील सूबा है। बम्बई और मद्रास में भी स्वराज्य के बाद आबपाशी का काम बहुत बढ़ा है। १९५५–५६ में पंजाब में ५२ फीसदी, बम्बई में ६६ फीसदी, मद्रास में ३१ फीसदी और उत्तर प्रदेश में ७४ फीसदी हुई। १९५६–५७ में पंजाब में ५२ फीसदी, बम्बई में ६५ फीसदी मद्रास में ३३ फीसदी और उत्तर प्रदेश में ७५ फीसदी। १९५७–५८ में पंजाब में ५९ प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में ७७ प्रतिशत, बम्बई में ६५ प्रतिशत और मद्रास में ३३ प्रतिशत। १९५८–५९ में पंजाब में ५६ प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में ७० प्रतिशत, मद्रास में ३५ प्रतिशत और बम्बई की फिगर उस वक्त की मिली नहीं। १९५९–६० में पंजाब में ६० प्रतिशत और उत्तर प्रदेश में ८१ प्रतिशत और मद्रास में ३५ प्रतिशत। इस तरह अगर मुकाबिलतन देखा जाय तो उत्तर प्रदेश में जो पानी की सुविधा है उसका इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है लेकिन हम यह चाहते हैं कि

[श्री राममूर्ति]

इमर्जेन्सी को देखते हुए और इस बात का खयाल करते हुये कि हमारे देश के अन्दर बाहर के देशों से गल्ला आता है, हमारे हर बूंद पानी का इस्तेमाल हो जाय ताकि ज्यादा से ज्यादा फसल हमारे प्रदेश के अन्दर पैदा हो और गल्ला हमारा बढ़े। दिक्कत यह है कि जैसा कि माननीय भानुप्रतापसिंह जी ने भी बतलाया कि सिंचाई का काम ऐसा है कि फौरन आदमी उससे वाकिफियत हासिल नहीं कर पाता। जिन इलाकों में कभी सिंचाई नहीं हुई उन इलाकों में सिंचाई का काम सिखाने के लिए खास वक्त की जरूरत पड़ जाती है और यह शिकायत कि हमारे यहां इस तरफ ध्यान नहीं है कि जहां लोग सिंचाई का इस्तेमाल नहीं जानते हैं वहां उनको ट्रेनिंग दी जाय, उस तरफ हम बेसहारा हैं, ऐसी बात नहीं है। इस किताब को आप खोलें, इसके सोलहवें पेज के ६४ वें पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि अब हमने अपने स्टेट के अन्दर ट्यूबवेल्स खास तौर पर और नहरें निर्धारित कर दी हैं कि जहां पर जायद फसल में पानी का इस्तेमाल कैसे होगा, पानी कैसे इस्तेमाल किया जायगा, कौन-कौन सी क्राप का टर्न उसमें लगाना चाहिये, यह सब बतलाया जायगा। यही नहीं जो कि हमारे परतौल हैं और नीचे के कर्मचारी हैं उनको भी हम लिखा रहे हैं ताकि नये तरीके से खेती करने के ढंग लोगों को सिखाये जायं, जो उर्वरक इस्तेमाल किये जाते हैं उनको कैसे लगाना चाहिए, कितने पानी की जरूरत होगी, इन सब बातों से उनको वाकिफयत हो, उसका भी प्रोग्राम हमने बनाया है जो इस किताब के अन्दर दिया हुआ है।

भानुप्रतापसिंह जी ने इस बात का जिक्र किया कि सिंचाई विभाग की टेंडेंसी और रुझान केन्द्रीयकरण की तरफ है बरखिलाफ इसके कि केन्द्रीयकरण हमारे साधनों का होना चाहिए। यह बात पार्शियली ठीक है और पार्शियली गलत है। जो बहुत बड़े बड़े काम हैं, गंगा की नहर है, या और बहुत बड़ी-बड़ी नहरें हैं इनका विकेन्द्रीकरण हो नहीं सकता, क्योंकि एक स्थान से पानी बांटा जाता है और वह भी सभी सर्किलों को नहीं बांटा जाता है, उसके भी अलग-अलग रेग्युलेशन के तरीके हैं। उसमें कोई चाहे कि विकेन्द्रीकरण कर दिया जाय तो विकेन्द्रीकरण तो होगा नहीं हालात जरूर खराब हो जायंगे। यह दूसरी बात है कि हम छोटी योजनाओं पर ज्यादा ध्यान दें। हमारी बराबर यह कोशिश है और माननीय सदस्य फिर इस किताब को खोलेंगे तो ४२ वें पेज पर देखेंगे (व्यवधान) यह किताब तो सभी माननीय सदस्यों को बांटी जा चुकी है, तो इसमें वह देखेंगे कि करेंट फाइनेंशियल ईयर में ५ करोड़ ५५ लाख रुपया जो मेसोनेरी वेल्स हैं, छोटे-छोटे कुएं हैं उनके बनाने के लिए, उन पर रहट लगाने के लिए, उनके अन्दर डीप बोरिंग कराने के लिए और प्राइवेट तरीके से ट्यूबवेल्स बनाने के लिए रखा गया है। इसके अलावा कम्यूनिटी डेवलपमेंट के जरिये से बराबर इस बात की कोशिश रहती है कि अगर ज्यादा लोग इस रुपये को इस्तेमाल करें तो सरकार इस रुपये को और अधिक इस ओर बढ़ा दें, यानी छोटी योजनाओं की तरफ और खास तौर पर जो मेसोनरी वेल्स हैं उनकी तरफ। लेकिन मैं माननीय सदस्यों की खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि जहां तक मुझे जिलों में जाने का मौका मिला है, मेरी आदत यों तो घूमने की नहीं है लेकिन जब माननीय सदस्य चाहते कि मैं उनके यहां की हालात को स्वयं देखूं तो मैं जाकर देखने की कोशिश करता हूं, लेकिन जहां भी मैं जाता हूं मेरा यह तजुर्बा है कि हर जगह ट्यूबवेल्स की मांग होती है। मैं इसके बरखिलाफ उनसे दरख्वास्त करता हूं कि ट्यूबवेल्स की तरफ रुझान नहीं करना चाहिए, बल्कि छोटे-छोटे कुंओं की तरफ रुझान करना चाहिए ताकि उसमें उनका स्वालम्बन हो। छोटे कुओं में न आपरेटर की जरूरत है, न बिजली फेल होने की शिकायत। गूल खराब हो गई या गूल बनाने के लिये जमीन ले ली गई न इस किस्म की और शिकायतें करने की जरूरत न रहेगी। इस तरह की शिकायत का उसमें मौका नहीं है। लेकिन देखा यह गया है कि आज के जमाने में जैसे जैसे विज्ञान बढ़ रहा है, विज्ञान के जरिये से सहूलियत बढ़ रही है तो हर एक आदमी की ख्वाहिश है कि वह उन चीजों को ज्यादा से ज्यादा अपनाये और उनसे फायदा उठाये। आज कोई आदमी पैदल चलना पसन्द नहीं करता है। पैदल चलने में किसी बात का डर नहीं है। न किसी

एक्सीडेंट का डर और न गिरने का डर, लेकिन जिस आदमी के पास जरा भी साधन पैसे का हैं तो वह पैदल चलना पसन्द नहीं करता है। चाहे रेल से, चाहे साइकिल से और चाहे मोटर से वह चलना पसन्द करता है। यह सब विज्ञान के युग की देन है। मैं भी यह समझता हूं कि यह बुरी चीज नहीं है। मैं आपसे मेरठ और मुजफ्फरनगर जिलों की बात करता हूं जहां पर सिंचाई के साधन बहुत पुराने है और जहां पर किसान एक एक बूंद सिंचाई के पानी का पीने के पानी की तरह से इस्तेमाल करता है। मैंने उनसे कहा कि कुंआ बनाओ और उससे सिंचाई करो लेकिन जहां पर ट्यूबवेल्स लगे हुये है वहां के काश्तकार यह नहीं चाहते हैं कि मेसनरी वेल बनाये जायं। सब ट्यूबवेल बनाने की बात करते हैं और कुओं को कोई भी अपनाना नहीं चाहता है। अगर मैं उनसे कुंआ बनाने की बात करता हूं तो वह मरम्मत करने लगते हैं। इसलिये हमारे लिये यह मजबूरी की बात हो जाती है कि हम ट्यूबवेल बनायें। जब लोग नहीं चाहते हैं तो क्या किया जाय ? बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां पर पानी का स्तर बहुत नीचे है। जौनपुर और सुल्तानपुर में ऐसी जमीन है कि जहां पर पानी का स्तर बहुत नीचे है। अगर वहां पर मेसोनरी वेल बनाया जाय तो वहां पर खेती में कामयाबी नहीं हो सकती है और अगर किसी तरह से कामयाबी हो जाय थो बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है। इसलिये ऐसी जगहों पर ट्यूवेल बनाना जरूरी है और ट्यूबवेल के जरिये पानी का साधन पहुंचना जरूरी है।

भानुप्रताप सिंह जी ने इंगलैन्ड के बारे बें जिक्र किया कि इंग्लैंड के अन्दर किसी मिनिस्टर के साहबजादे ने कोई बेजा फायदा उठाया। इंग्लैंड की बात छोड़िये, हिन्दुस्तान की बात करिये। यह गरीबों का मुल्क है। यहां पर इन्सानों को रोटी नहीं मिलती है।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---
उसने कानून के खिलाफ काम किया था।

श्री राममूर्ति---
उसने कानून के खिलाफ काम किया तो उसको सजा मिल गई। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं। यह छोटी-छोटी बातें हैं। इन पर ध्यान नहीं देना चाहिये। अगर कोई सराहनीय काम करता है तो उसको मानना चाहिये। यह गरीबों का मुल्क है। यहां पर इन्सान की तबियत छोटी-छोटी चीजों पर गिर सकती है। अगर कोई रिश्वत लेता है तो यह अफसोस की बात है। हमारी यह ख्वाहिश नहीं है कि ऐसा हो और हमारे सरकारी रूल भी ऐसे नहीं हैं, लेकिन इन बातों के बावजूद भी जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो हमारा कानून बना हुआ है उसमें बराबर हमारी कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा करप्शन रुके, लेकिन एक सोशल ईविल है जो सारे देश के अन्दर है और बल्कि मेरा खयाल है कि सारी दुनिया के अन्दर है। रूस जो एक टोटेलिटेरियन गवर्नमेंट का देश हैं वहां पर भी, हमारे इंजीनियर---इन-चीफ बैठे हुये हैं, उन्होंने बतलाया कि जब वह एक रेलवे स्टेशन से निकल रहे थे तो सब के फाउन्टेन पेन किसी ने मार दिये। वहां पर फार्मों में आज चोरी गल्ले की कर देते हैं। हमारी बराबर यह कोशिश रहती है कि जो ऐसा करे उसको सजा दी जाय। जब कभी कोई माननीय सदस्य हमारे नोटिस में ऐसी बात लाते हैं तो हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी सीमायें हैं उनके अन्दर जो तरीके हैं उनके अनुसार करने की कोशिश करते हैं। यह बात सही है कि ऐसा हो सकता है कि असेसमेंट करने में या आबपाशी के परचे में कुछ गड़बड़ी होती हो। कायदा यह है कि ट्यूबवेल के ऊपर जैसे ही किसी इन्सान को पानी दिया जाय तो उसी वक्त उसका टाइम नोट कर लेना चाहिये तभी उसको बता देना चाहिये कि इतने घंटे उसको पानी दिया गया। एक कच्ची रसीद उसको दे देनी चाहिये और फिर बाद को पक्की रसीद देनी चाहिये। अब यह मैं मानता हूं और कभी उस बात से इन्कार नहीं करता हूं।

एक सदस्य—

परती मिलती हुई है ।

श्री राममूर्ति—

लेकिन जब यह हमारे नोटिस में लाया जायगा तभी तो हम उसे देखेंगे और पिछले जमाने में उसे देखा है ।

(व्यवधान)

श्री बांकेलाल—

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि एक इलाके में तो उन्होंने ट्यूबवेल और नहरें दे दीं परन्तु उनकी दृष्टि हमारे इलाके की ओर नहीं गई है, वहां के लिये कौन सी योजना है ? .....

श्री राममूर्ति—

आप तो जानते ही हैं कि दृष्टि मेरी कुछ कमजोर है । लेकिन घूम फिर कर .....

(व्यवधान)

श्री मैनेजरसिंह—

वह आपको निमंत्रण दे रहे हैं ।

श्री राममूर्ति—

मैं इस सिलसिले में एक बात अर्ज कर दूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर साढ़े चार करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर खेती होती है और सरकार के जरिये अभी तक कुल करीब १२३, १२२ लाख एकड़ जमीन के लिये ही पानी उपलब्ध हुआ है और जो अभी पूरा इस्तेमाल भी नहीं हो रहा है । जाहिर है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने पर करीब २५ प्रतिशत पानी का इन्तजाम हो जायगा । यह तो हमारे विभाग के जरिये से होगा और प्राइवेट इन्डीविजुअल के द्वारा करीब ६० लाख एकड़ जमीन में पानी का इन्तजाम होगा । करीब ढाई करोड़ एकड़ जमीन ऐसी है कि जिस पर पानी का इन्तजाम नहीं है । श्री बांके लाल जी के दिल में अगर टीस उठती है, तो वह ठीक उठती है और उठनी चाहिए, क्योंकि हर आदमी यह चाहता है कि उसके क्षेत्र में सिंचाई का इन्तजाम हो और नहरें आदि बने । लेकिन सरकार के साधन वह सीमित हैं और इसी कारण से हर क्षेत्र में अभी सिंचाई की सुविधा नहीं हो पाई ।

हमारे माननीय कृष्णानन्दराय जी ने कहा कि पूर्व जिलों पर तवज्जह कम है । जो कार्य इस तीसरी योजना में नहीं हो पा रहा है, वह चौथी योजना में पूरा किया जायगा । जो मेजर स्कीम है उसमें ४६ लाख १५ हजार एकड़ जमीन के लिये इन्तजाम होना चाहिये और माइनर में १७ लाख ४८ हजार एकड़ का होना चाहिए । अब एक्चुअल जो होना चहिए वह १९ लाख १८ हजार, इस तीसरी पंचवर्षीय योजना में होगा । अगर हम इसको १०० फीसदी मान लें तो आप देखें कि बुन्देलखंड रीजन में ११ फीसदी हो जायगा, पूर्व में ४५ फीसदी हो जायगा और मध्यवर्ती क्षेत्र में १२ फीसदी । वेस्टर्न डिस्ट्रक्ट्स में ३० फीसदी सिंचाई होगी । जो पहाड़ी इलाके हैं उनमें २ फीसदी होगी । यह कहना मुनासिब नहीं है कि पूर्वी क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है । हमारा ध्यान स्वराज्य के बाद से बराबर यह रहा है कि पूर्वी जिलों में अधिक से अधिक सिंचाई का इन्तजाम किया जाय ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर—

जो २० मील लम्बी नहर पहाड़ी इलाके में है उस पर एक्चुअल कितना चालू है ?

श्री राममूर्ति—

वह आप लिखकर भेज दें, तो देख लिया जायगा । भगवान सहाय जी ने यह कहा कि शारदा कैनाल की शाखायें बढ़ाई गई हैं, पर उस अनुपात में पानी के साधन नहीं बढ़े...

श्री भगवानसहाय—

वह सब है जिसमें आपने वाल्यूम बढ़ाया है ।

श्री राममूर्ति---

यह गलत है। शारदा सिस्टम में शारदा सागर ज्यादा बनाया गया। नानक सागर बनाया गया। विभाग पहले पोटेंशियल की जांच कर लेता है। प्रोजेक्ट बनाने के पहले तय कर लेते हैं कि इतनी नहरें बनायी जायंगी जिससे इतना एरिया सींचा जायगा। पहले पानी बढ़ाने के साधन बढ़ाये जाते हैं, इसके बाद नहरें।

श्री भगवानसहाय---

नानक सागर बनाने के पहले शारदा सागर में कितना वाल्यूम बढ़ाया गया और इस बीच में कितना बढ़ा ?

श्री राममूर्ति---

मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि डिटेल्स बता सकूं।

श्री भगवानसहाय---

शारदा सागर के अन्दर पानी कहां से बढ़ा, यह बतलाइये ?

श्री उपाध्यक्ष ---

अब आप पहले उनका भाषण सुनिये, आप बैठिये।

श्री राममूर्ति---

माननीय भगवानसहाय जी का एक तरफ कहना है कि पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, दूसरी तरफ यह कहना है कि पानी की ज्यादती की वजह से साल्ट्स बाहर निकलते चले आते हैं। यह जो हमारे लोगों का खयाल है कि ज्यादा पानी लगाने से फसलें बहुत ज्यादा अच्छी होंगी, यह भ्रम की बात है। जो एक्सपर्ट्स हैं जिन्होंने सारी जिन्दगी इस काम में लगायी है, उनकी राय है कि पानी कई मर्तबा लगाना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा न लगायें, उसकी मिकदार निर्धारित हो और जैसा कि मेरे दोस्त भानुप्रताप जी ने फरमाया कि लोग अपने खेतों को तालाब बना लेते हैं और मेड़ें उठा लेते हैं, नतीजा यह होता है कि बजाय फायदे के नुकसान हुआ करता है।

दूसरी बात यह है कि भगवान सहाय जी ने फरमाया कि फ्लड्स अभिशाप है। इनका कहना है कि इनसान के बनाये हुए और गवर्नमेंट के बनाये हुए हैं। किसी हद तक यह बात ठीक है। कन्ट्रीसाइड के स्लीप का एक ढंग है। जब पी० डब्ल्यू० डी० की सड़कें, रेलें, नहरें बन रही है तो इंजीनियर्स जो कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं पानी निकलने के रास्ते उतने चौड़े नहीं बनाते। पिछली बाढ़ में करोड़ों रुपया खर्च करके रास्तों को चौड़ा किया गया। लेकिन कितना ही रास्ता किया बना दिया जाय, कोई भी खर्चा इतना नहीं किया जा सकता जिसमें सौ साल का भी तखमीना लग जाय। नेचर क्या करेगी, कभी नहीं जाना जा सकता। सन् ६० में लखनऊ में बाढ़ आयी, ४८ घंटे में, पास के ७ जिलों में १७-१८ इंच पानी बरसा। जब इतना बड़ा वाटर कालम चलता है तो कहां तक सोचा जा सकता है कि इतने चौड़े पुल बनाने चाहिए। इसमें खर्चा १० गुना बढ़ जायगा। इसके अलावा सन् ३० या ३५ की लिस्टें देखें तो भाव ८-१० गुने हो गये हैं। सीमेंट, मिट्टी वगैरह सब के दाम १० गुने, ८ गुने हो गये। बाढ़ को रोकने के लिये साढ़े १२ करोड़ रुपया खर्च हुआ। ५५ लाख एकड़ भूमि में से १०-११ लाख एकड़ भूमि को बचाने का प्रयास किया गया, बहुत से मार्जिनल बांध बनाये गये और बहुत से गांव ऊपर उठाये गये। कल्पनार्थसिंह जी जानते हैं उन्होंने बाढ़ में देखा होगा कि लोगों और जानवरों की जिन्दगी सुरक्षित रहती है, इन उठे ग्रामों में इसमें शक नहीं कि वहां की फसलों की बरबादी हुआ करती है। बड़ी-बड़ी आर्टियर ड्रेंस बनायी जा रही है। यह भी खयाल रहना चाहिए कि बाढ़ नेसेसरिली खराब चीज नहीं है, उसके फायदे भी होते हैं। बलिया के जिले में मुझे जाने का मौका मिला। वहां जो बांध बनाये गये हैं लोगों की अब यह कोशिश है कि उमको बीच-बीच में तोड़ा जाय, क्योंकि वहां पर बाढ़ न आने से दीमक लगने

[श्री राममूर्ति]

लगी है। वहां लोग बाढ़ को चाहते हैं। कई जगह और भी जहां बाढ़ आना बन्द हो गयी है, वहां की जमीन खराब होती जा रही है । लिहाजा बाढ़ कोई खराब चीज नहीं है । उसके दोनों पहलू हैं, वह अच्छी भी है और खराब भी है।

अक्सर इस बात की शिकायत होती है कि पानी वक्त पर नहीं मिलता । कुछ कान्फ्रन्सेज में मैं गया, आफिसर्स और पब्लिक इस बात की शिकायतें करते हैं कि पानी वक्त पर नहीं मिलता । जितनी भी हमारी बड़ी नहरें हैं, गंगा, जमुना, शारदा तथा अन्य नहरें, उनको अगर ३६५ दिन में से ७ दिन के लिये भी, उनकी देखभाल के लिये बन्द कर दिया जाता है, तो पब्लिक शोर मचाने लगती है । इसका मतलब यह है कि नहरें साल भर बराबर चलती रहती हैं। उनकी सफाई तक का मौका नहीं मिल पाता । जब हमारे यहां उर्वरक ज्यादा इस्तेमाल होता है तो पानी की भी ज्यादा जरूरत होती है । पानी फसल के लिये निर्धारित सीमा के अन्दर चाहिये। हर आदमी चाहता है कि पानी वक्त से मिले। पानी का वाल्यूम निर्धारित रहता है। अब सभी को एक ही वक्त में पानी मिल जाय, यह नामुमकिन है।

एक बात और है । कुलावे जो हमारे हैं वे भी फिक्स रहते हैं । ४ इंच के कुलावे के जरिये १०० एकड़ की आबपाशी की जाती है, ६ इंच के कुलावे के जरिये करीब २०० एकड़ जमीन ली जाती है। कितने क्षेत्र में हम पानी दे सकते हैं, कितना क्षेत्र अपने कमान्ड में ले सकते हैं, उसके लिहाज से ही हम कुलावे लगाते हैं। (व्यवधान) समय कम है, मेरी बात को आप सुन लें ।

श्री भानुप्रतापसिंह जी ने एक बात का और जिक्र किया । उन्होंने कहा कि पानी के लिहाज से महसूल किया जाना चाहिये । गन्ने के लिये अलग रेट है, धान के लिये अलग रेट है। मैं यह अर्ज कर दूं कि ट्यूबवेल से १६ हजार गैलन पानी १ रुपये में हम देते थे । क्वारी धान के लिये हमने अब एक रुपये में २४ हजार गैलन पानी देना तय कर दिया है । ताकि लोग अपनी धान की फसल को बचा सकें । क्वारी धान के सिलसिले में एक दिक्कत और है । वही जमाना होता है गन्ने की सींच का। लोग क्वारी धान को मई जून में बोना चाहते हैं। गर्मी को महीनों में इतना हैवी प्रैशर होता है नहरों और ट्यूबवेलों पर कि गन्ने वाले ही दम नहीं लेने देते हैं और उस मौके पर हम गन्ने को भी पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं दे पाते हैं। पलेवे वगैरह की जायद फसलों को भी दिक्कत होती है। लेकिन अगर पानी बढ़ जाय तो हमें खुशी होगी कि क्वारी धान को भी मिले।

कहा गया कि नहरें बहुत नुकसान के साथ चल रही हैं । मैं बड़ी हैरत में आता हूं कि एक तरफ तो कहते हैं कि नहरें और ट्यूबवेल बनाये जावें और रिटर्न का खयाल रखा जाय, दूसरी तरफ नुकसान की शिकायत भी है। हमारा महकमा इस बात की दुआ नहीं करता कि हे प्रभू, सूखा डालो। हम तो चाहते हैं कि पानी बरसे। नहरें तो इसलिये खोली गई हैं कि कहीं सूखा न पड़ जाय और कहतसाली की नौबत न आ जावे। नहरें इसलिये हैं कि लोग उर्वरक इस्तेमाल करके पैदावार बढ़ावें। इसलिये ट्यूबवेल्स के जरिये हमें लगभग ३।। करोड़ रुपये का घाटा रहता है लेकिन उससे हमें कोई परेशानी नहीं है । हम चाहते हैं कि हम हजारों ट्यूबवेल और बनावें और खास तौर से हम वहां और बनावेंगे जहां नहरें नहीं हैं। हमारे लोग टैक्स बर्दाश्त करने के लिये तैयार हैं तो हम जरूर उन्हें फायदा पहुंचायेंगे। आखिर उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है। अगर खेती बाड़ी अच्छी है तो सभी को लाभ है।

मैं सभी माननीय सदस्यों को, अधिष्ठाता महोदय और उपाध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से हमारी बहस बड़ी अच्छी हुई। हमारी बराबर यह कोशिश होगी कि हम उत्तरोत्तर विभाग की कमियों को दूर करें। हमें इस बात की भी कोशिश करनी होगी कि ज्यादा से ज्यादा पानी उपलब्ध किया जाय ताकि हमारे यहां अच्छी सिंचाई हो। हम ही नहीं, इस प्रदेश में जो भी सरकारें होंगी वे प्रयत्न करेंगी कि जब तक सैचुरेशन प्वाइंट पर न पहुंचे बराबर सिंचाई के साधन बढ़ाती जावें। इसी से हमारे प्रदेश के लोगों को ४ पैसे की आमदनी होगी और हम और हमारे बच्चे खुशी की जिन्दगी बसर कर सकेंगे।

मैं अन्त में यह और कहूंगा कि हमारे इंजीनियर्स-इनचीफ हिन्दुस्तान के गिने चुने इंजीनियरों में से हैं और बाकी चीफ इंजीनियर्स भी बड़े काबिल हैं और हमारा इंजीनियर्स का कैडर भी बहुत ब्रिलियेंट है । आप कभी सेंट्रल वाटर ऐंड पावर कमीशन की या प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें तो मालूम होगा कि इस प्रदेश का सिंचाई का काम और प्रदेश से अच्छा है । यही नहीं, हमारे सेक्रेटरी भी बेचारे इस बात की निरन्तर कोशिश करते रहते हैं, दिल्ली जाकर, कि अधिक से अधिक रुपय लायें। इन सब बातों को देखते हुए मुझे पूरा विश्वास है कि सिंचाई विभाग का पूरा स्ट्रक्चर बड़ा साउन्ड है और वह बड़े से बड़ा काम अपने कंधों पर ले सकता है और उसे पूरा कर सकता है। मैं भानुप्रतापसिंह जी का खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने कटौती का प्रस्ताव पेश करके माननीय सदस्यों को सुझाव देने का अवसर दिया जिससे हमें बहुत फायदा होगा ।

इन शब्दों के साथ में उनसे दरख्वास्त करता हूं कि वह कटौती का प्रस्ताव वापिस लें और हमारे अनुदानों को स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि पश्चिम और पूर्व में नहरों की असमानता को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप कोई प्रश्न करना चाहें तो कर सकते हैं।

श्री मैनेजरसिंह--

जो पुस्तिका विभाग की ओर से बांटी गयी है उसके पेज १२६ को आप देखने की कृपा करें। इसमें मेरठ और बुलन्दशहर .....

श्री उपाध्यक्ष--

आप कह ही नहीं पा रहे हैं। अब आप कृपया बैठ जायं ।

प्रश्न है कि अनुदान संख्या ३०--राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के निर्माण कार्य के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३–६४ के लिये अनुदान संख्या ३०–राजस्व से किये जाने वाले सिंचाई के कार्य के अन्तर्गत १३,७७,२२,३०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३१--सिंचाई अधिष्ठान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ३१---सिंचाई अधिष्ठान के अन्तर्गत ६,३८,२८,५०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-४९ सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ४९---सिंचाई निर्माण कार्यों पर पूंजी लागत के अन्तर्गत १९,०६,२४,२०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष---

अब हम उठते हैं, कल साढ़े १० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बज कर २० मिनट पर अगले दिन के साढ़े १० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
५ मार्च, १९६३।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७०२ पर)

तारांकित

ब्लाक	पशु सेवा केन्द्रों की संख्या
१—सलोन	१
२—हरचन्दपुर	१
३—डलमऊ	१
४—महराजगंज	१
५—नसीराबाद	१
६—सतांव	३
७—बछरावां	१
८—जगतपुर	२
६—राही	२
१०—सरेनी	१
११—सिंहपुर	इस ब्लाक में १ पशु चिकित्सालय है
१२—ऊंचाहार	१
१३—डीह	इस ब्लाक में परसवे-पुर में १ पशु चिकित्सालय है
१४—लालगंज	१
१५—तिलोई	१
१६ खीरी	१
कुल ..	१८

नत्थी 'ख'

(देखियें अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७१० पर)

तालिका

जौनपुर जिले की तहसीलें	राजनैतिक पीड़ित व्यक्तियों की संख्या	मासिक पेंशन की दर
		रु० न.पै
तहसील सदर	२९	२०.००
	६	२५.००
	३	३०.००
	२	३५.००
	१	३७.५०
	४	४०.००
	१	५०.००
तहसील मड़ियाहूं	१२	२०..००
	१	२१.००
	३	२२.५०
	४	२५.००
	३	३०.००
	१	२४·००
तहसील मछलीशहर	४८	२०.००
	१७	२५.००
	६	३०.००
	१	३५.००
	२	४०.००
	१	५०.००
	१	६०.००
तहसील शाहगंज	१	१५.००
	५	२०·००
	१	२५.००
	१	३०.००
	१	६०.००
तहसील केराकत	७	२०.००
	२	२४.००
	२	३०.००
	१	३७.५०
	१	५०.००

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ३३७ एल० ए० (प्रो०)—१९६३—८५०।